द्वितीय माला, खण्ड २२—अंक २

१८ नवम्बर, १९५८ (मंगलवार)

लोक-सभा
वाद-विवाद

2nd Lok Sabha

(खण्ड २२ में अंक १ से अंक १० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

६२ नये पैसे (देश में) ३ शिलिंग (विदेश में)

236-AI LSD

विषय-सूची

[द्वितीय माला, खंड २२—अंक १ से १०—१७ नवम्बर से २९ नवम्बर, १९५८]

अंक १—सोमवार, १७ नवम्बर, १९५८

	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १ से ८, ११ से १३ और १५ से १७	१—२४
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ९, १०, १४, १८ से २५ और २७ से ३२	२४—३२
अतारांकित प्रश्न सख्या १ से २० और २२ से ३९	३२—४८
श्री सामी वैंकटाचलम् चेट्टी का निधन	४८
स्थगन प्रस्ताव—	
१. पांडेचेरी में स्थिति ; और	४९—५०
२. पाकिस्तान से सम्बन्ध	५०—५३
सभा-पटल पर रखे गये पत्र—	
प्रक्रिया नियमों के अधीन अध्यक्ष द्वारा दिया गया निदेश	५७
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	५७—५८
गुड़गांव में विमान बल के सिगनल केन्द्र में अग्नि दुर्घटना के बारे म वक्तव्य	५८
समिति के लिये नि चिन	५९
केन्द्रीय नरतत्व विज्ञान सलाहकार बोर्ड	५९
दिल्ली किराया नियंत्रण विधेयक—	
संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये समय का बढ़ाया जाना	५९
उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) सशोधन विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	५९—६९
खंड २ से १० और १	६९—७८
पारित करने का प्रस्ताव	७८
चाय (सीमा-शुल्क तथा उत्पादन-शुल्क में परिवर्तन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	७८—८९
कार्य मंत्रणा समिति—	
इकतीसवां प्रतिवेदन	८९
दैनिक संक्षेपिका	९०—९८

पृष्ठ

अंक २—मंगलवार, १८ नवम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३३, ३४, ३५, ३७ से ४४ . ९९—१२०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३६, ४५ से ६२ . १२१—२८

अतारांकित प्रश्न संख्या ४० से ९२ १२८—५२

सभा पटल पर रखे गये पत्र १५२–५३

प्राक्कलन समिति—

उन्तीसवां प्रतिवेदन . . १५३

तारांकित प्रश्न संख्या १३६० के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर की शुद्धि १५३

कार्य मंत्रणा समिति—

इकत्तीसवां प्रतिवेदन . १५३

चाय (सीमा-शुल्क तथा उत्पादन-शुल्क में परिवर्तन) विधेयक—

विचार करने के लिये प्रस्ताव १५४—५६

खंड २, ३ और १ १५७–५८

पारित करने का प्रस्ताव . . . १५८

संघलोक सेवा आयोग (परामर्श) विनियमों में रूपभेद सम्बन्धी प्रस्ताव १५८—७७

एक सदस्य को सजा . . : १७७

रेलवे यात्रा में जीवन की असुरक्षा के संबंध में चर्चा १७८—९३

दैनिक संक्षेपिका . . १९४—९८

अंक ३—बुधवार, १९ नवम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६३ से ७६ . १९९—२२१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७७ से १०० . . . . २२१—३२

अतारांकित प्रश्न संख्या ९३ से १४५ और १४७ से १५८ . . २३२—५९

पृष्ठ

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . . . २५९—६१

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति उनतीसवां प्रतिवेदन २६१

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

वित्त मंत्रालय से फाइलों का गायब हो जाना २६१–६२

आसाम तेल शोधन कारखाने के लिये भारत-रूमानियां करार के बारे में वक्तव्य २६२—६५

आसाम राइफल्स (संशोधन) विधेयक—

पुरस्थापित . . २६५

विष (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . . . २६५—२६८

खंड २ से ४ और १ . . . . २६८—७०

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . . २७०

भारतीय बिजली (संशोधन) विधेयक—

संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव . . . . २७०—८४

गंगा बांध परियोजना के बारे में प्रस्ताव . . . २८५—९८

दैनिक संक्षेपिका . . २९९—३०५

अंक ४—बृहस्पतिवार, २० नवम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०१, १०२, १०४, १०५, १०७, १०९ से ११५ और ११७ से १२१ . . . . ३०७—३१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०३, १०६, १०८, ११६ और १२२ से १२९ . ३३१—३७

अतारांकित प्रश्न संख्या १५९ से १८२, १८४, १८६ से २०२ और २०४ से २१० . . . ३३७—६०

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . ३६०—६३

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

पाकिस्तान की घटनायें . . . . ३६३—६५

सभा का कार्य ३६६

भारतीय बिजली (संशोधन) विधेयक—

संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव . . . . ३६६—८४

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के बन्द किये जाने के बारे में चर्चा . . ३८४—४११

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ४१२—१७

पृष्ठ

अंक ५—शुक्रवार, २१ नवम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३० से १४१ ४१९—४२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४२ से १६५ . . ४४२—५१

अतारांकित प्रश्न संख्या २११ से २८१ . . ४५१—८१

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . ४८१—८२

प्राक्कलन समिति—

तीसवां प्रतिवेदन . . ४८२

सभा का कार्य ४८३

जानकारी का प्रश्न . . ४८३—८४

समिति के लिये निर्वाचन—

भारतीय केन्द्रीय तिलहन समिति . . ४८४

भारतीय बिजली (संशोधन) विधेयक—

संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव . . ४८५—९३

संसद् (अनर्हता निवारण) विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार का प्रस्ताव . ४९३—५०१

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—

उनतीसवां प्रतिवेदन . . ५०१

बेरोजगारी की समस्या की जांच करने के लिये एक समिति नियुक्त करने के बारे में संकल्प—वापस लिया गया . . ५०१—२४

सैनिक व्यय के ढांचे की जांच करने के लिये एक समिति की नियुक्ति के बारे में संकल्प ५२४

दैनिक संक्षेपिका ५२४—३०

अंक ६—सोमवार, २४ नवम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६६ से १७९ ५३१—५४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १ ५५४—५६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १८० से २०७ और २१० से २१२ ५५६—७०

अतारांकित प्रश्न संख्या २८२ से ३७७ ५७०—६०८

पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . . ६०८—१०

प्राक्कलन समिति—

इकतीसवां प्रतिवेदन . . . ६१०

१९५५–५६ के लिये अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेलवे) ६१०

१९५६–५७ के लिये अतिरिक्त अनुदानों की मांगे (रेलवे) . . ६१०

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना ब्रिटिश तेल वाहक जहाज स्टैनवाक जापान में विस्फोट . ६१०—१२

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, वापस लिया गया . ६१२

हिमाचल प्रदेश विधान-सभा (गठन तथा कार्यवाही) मान्यीकरण विधेयक पुर-स्थापित ६१३

हिमाचल प्रदेश विधान-सभा (गठन तथा कार्यवाही) मान्यीकरण अध्यादेश संबंधी विवरण . . ६१३

संसद् (अनर्हता निवारण) विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार प्रस्ताव . ६१३—३६

सभा का कार्य ६३६

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ६३७—४४

अंक ७—मंगलवार, २५ नवम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २१३ से २२०, २२२, २२६, २२७ और २२९ . ६४५—६९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २२१, २२३ से २२५, २२८ और २३० से २६० . ६६९—८४

अतारांकित प्रश्न संख्या ३७८ से ४४१ . . . . ६८४—७०९

स्थगन प्रस्ताव—

रात की गाड़ी में हत्या ७०९–१०

सभा पटल पर रखे गये पत्र ७१०–११

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—

तीसवां प्रतिवेदन ७११

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

लंका में भारतीय उद्भव के राज्यहीन व्यक्ति . . ७११—१३

पृष्ठ

संसद् (अनर्हता निवारण) विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार करने का प्रस्ताव ७१३—२२

हिन्दुस्तान स्टील प्राइवेट लिमिटेड के बारे में चर्चा . ७२२—३७

दैनिक संक्षेपिका ७३८—४३

अंक ८—गुरुवार, २७ नवम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २६१, २६३, २६५ से २७८ . . ७४५—६८

अल्प सूचना प्रश्न संख्या २ . . . . ७६८—७०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २६२, २६४, २७९ से २९० . . ७७०—७५

अतारांकित प्रश्न संख्या ४४२ से ४७९ . . . ७७५—९०

स्थगन प्रस्ताव—

रात की गाड़ी में हत्या . . . . ७९०—९२

सभा पटल पर रखे गये पत्र . ७९२—९३

राज्य सभा से सन्देश ७९३

सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति—

दसवां प्रतिवेदन . . ७९३

दिल्ली किराया नियंत्रण विधेयक—

(१) संयुक्त समिति का प्रतिवेदन . ७९३

(२) संयुक्त समिति के समक्ष दिया गया साक्ष्य-सभा-पटल पर रखा गया . ७९३

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

राष्ट्रीय खनिज विकास निगम . . . ७९३—९४

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक— . . ७९४

पुरस्थापित

विशेषाधिकार प्रस्ताव —

केरल के मुख्य मंत्री का वक्तव्य . . . ७९५—८१४

संसद् (अनर्हता निवारण) विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . . ८१५—२७

दैनिक संक्षेपिका . . ८२८—३२

अंक ९—शुक्रवार, २८ नवम्बर, १९५८	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या २९१ से ३०१.	८३३—५४
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ३०२ से ३२७ . . .	८५४—६४
अतारांकित प्रश्न संख्या ४८० से ५२९, ५३१ और ५३२	८६४—८४
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	८८५
अनुपस्थिति की अनुमति . . .	८८५
एक प्रश्न के उत्तर की कथित अशुद्धता का उल्लेख .	८८६—८७
जीवन बीमा निगम की विनियोजन नीति के बारे में प्रस्ताव	८८७—९९
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बंधी समिति—	
तीसवां प्रतिवेदन	८९९
विधेयक :	
पुरस्थापित : . . .	९००—०३
(१) श्री नलदुर्गकर का व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा १०० का संशोधन)	९००
(२) श्री वाडीवा का हिन्दू दत्तकग्रहण तथा पोषण (संशोधन) विधेयक (धारा १८ का संशोधन)	९००
(३) श्री अ० मु० तारिक का दूकानदार (मूल्यों की पर्चियां लगाना) विधेयक	९००
(४) श्री राम कृष्ण का कारखाना (संशोधन) विधेयक (धारा ४५ और ४७ का संशोधन तथा नई धारा ४७क, ४७ख और ४७ग का रखा जाना)	९०१
(५) श्री राम कृष्ण का लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक (धारा ३०, ७८, ८५ आदि का संशोधन)	९०१
(६) श्री राम कृष्ण का भारतीय कार्मिक संघ (संशोधन) विधेयक (धारा ८ का संशोधन)	९०१
(७) श्री राम कृष्ण का संसद् सदस्यों के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) विधेयक (धारा ८ का संशोधन) . . .	९०२
(८) श्री राम कृष्ण का प्रबन्ध परिषद् विधेयक . . .	९०२
(९) श्री राम कृष्ण का समवाय (संशोधन) विधेयक (नई धारा ४३क और २५०क का रखा जाना तथा धारा २२४, २३७ आदि का संशोधन) .	९०२

	पृष्ठ
(१०) श्री महन्ती का लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक (धारा ७ का संशोधन)	९०३
मुस्लिम वक्फ (संशोधन) विधेयक—	
वापस लिया गया . . .	९०३
समवाय (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—अस्वीकृत हुआ . . .	९०३—२१
सिक्ख गुरुद्वारा विधेयक—	
परिचालित करने का प्रस्ताव	९२१—२२
दैनिक संक्षेपिका	९२३—२८
अंक १०—शनिवार, २९ नवम्बर, १९५८	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ३२८ से ३३९ . . .	९२९—५२
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ३ .	९५२—५६
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ३४० से ३९१	९५६—८०
अतारांकित प्रश्न संख्या ५३३ से ५४७, ५४९ से ५८१ और ५८३ से ५९४ .	९८०—१००६
लुनेज में तेल के कुएं के स्थान पर आग लगने के बारे में वक्तव्य .	१००६—०७
सभा पटल पर रखे गये पत्र .	१००७—०८
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
भारत और पाकिस्तान के प्रधान मंत्रियों के बीच सीमा समायोजना सम्बंधी समझौते की कार्यान्विति	१००८—१०
सभा का कार्य	१०१०—११
जीवन बीमा निगम की विनियोजन नीति के बारे में प्रस्ताव . .	१०११—२९
समवाय अधिनियम के कार्य-संचालन तथा प्रशासन सम्बंधी प्रतिवेदन के बारे में चर्चा . .	१०२९—४७
दैनिक संक्षेपिका	१०४८—५४

नोट:—मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

लोक-सभा

सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची

अ

अंजनप्पा, श्री ब० (नेल्लोर--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
आगड़ी, श्री स० अ० (कोप्पल)
अग्रवाल, श्री मानकभाई (मन्दसौर)
अचमम्बा, डा० को (विजयवाड़ा)
अचल सिंह, सेठ (आगरा)
अचित राम, श्री (पटियाला)
अजित सिंह, श्री (भटिण्डा--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
अनिरुद्ध सिंह, श्री (मधुबनी)
अब्दुर्रहमान, मौलवी (जम्मू तथा काश्मीर)
अब्दुल रशीद, बख्शी, (जम्मू तथा काश्मीर)
अब्दुल लतीफ, श्री (बिजनौर)
अब्दुल सलाम, श्री (त्रिरुचिरापल्ली)
अमजद अली, श्री (धुबरी)
अम्बलम्, श्री सुब्बया (रामनाथपुरम्)
अय्यंगार, श्री म० अनन्तशयनम् (चित्तूर)
अय्यर, श्री ईश्वर (त्रिवेन्द्रम)
अय्यांकण्णु, श्री (नागपट्टिनम--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
अरुमुगम्, श्री रा० सी० (श्री विल्लीपुत्तुर--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
अरुमुगम्, श्री स० र० (नामक्कल--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
अवस्थी, श्री जगदीश (बिल्हौर)
अशण्णा, श्री (आदिलाबाद)

आ

आचार, श्री क० र० (मंगलौर)
आल्वा, श्री जोकीम (कनारा)
आसर, श्री प्रेमजी र० (रत्नागिरि)

इ

इकबाल, सिंह, सरदार (फीरोजपुर)
इलयापेरुमाल, श्री ल० (चिदाम्बरम्--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
इलियास, श्री मोहम्मद (हावड़ा)

ई

ईयाचरण, श्री इयानी (पालघाट)

उ

उइके, श्री मं० गा० (मंडला—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
उपाध्याय, पंडित मुनीश्वर दत्त (प्रतापगढ़)
उपाध्याय, श्री शिव दत्त (रीवा)
उमराव सिंह, श्री (घोसी)

ए

एन्थनी, श्री फ्रैंक (नामनिर्देशित—आंग्ल भारतीय)

ओ

ओंकार लाल, श्री (कोटा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
ओझा, श्री घनश्याम लाल (झालावाड़)

क

कटकी, श्री लीलाधर (नौगांव)
कट्टी, श्री द० अ० (चिकोडी)
कनकसबै,, श्री (चिदाम्बरम्)
कमल सिंह, श्री (बक्सर)
कयाल, श्री परेश नाथ (बसिरहाट—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
करमरकर, श्री द० प० (धारवाड़—उत्तर)
कर्णी सिंहजी, श्री (बीकानेर)
कानूनगो, श्री नित्यानन्द (कटक)
कामले, डा० देवराव नामदेवराव (नांदेड़—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
कामले, श्री बा० चं० (कोपरगांव)
कार, श्री प्रभात (हुगली)
कालिका सिंह, श्री (आजमगढ़)
कासलीवाल, श्री नेमीचन्द्र (कोटा)
किस्तैया, श्री सुरती (बस्तर—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
कुन्हन, श्री (पालघाट—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
कुमारन, श्री (चिरयिन्कील)
कुम्भार, श्री बनमाली (सम्बलपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
कुरील, श्री बैजनाथ (रायबरेली—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
कृपालानी, आचार्य (सीतामढ़ी)
कृपालानी, श्रीमती सुचेता (नई दिल्ली)
कृष्ण, श्री मं० रं० (करीमनगर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
कृष्ण चन्द्र, श्री (जलेसर)

क—(क्रमशः)

कृष्णप्पा, श्री मो० वें० (तमकुर)
कृष्णमाचारी, श्री ति० त० (मद्रास दक्षिण)
कृष्णराव, श्री मं० वें० (मसुलीपट्टनम्)
कृष्णस्वामी, डा० (चिंगलपट)
कृष्णैया, श्री दू० बलराम (गुडिवाडा)
केदरिया, श्री छगनलाल म० (मांडवी--रक्षित--अनुसूचित आदिम जातियां)
केशव, श्री न० (बंगलौर नगर)
केसकर, डा० बा० वि० (मुसाफिरखाना)
केसर कुमारी देवी, श्रीमती (रायपुर--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
कोडियान, श्री (क्विलोन--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
कोरटकर, श्री विनायकराव (हैदराबाद)
को कोट्टुकप्पल्ली, श्री जार्ज थामस (मवात्तुपुजा)

ख

खां, श्री उस्मान अली (कुरनूल)
खां, श्री शाहनवाज (मेरठ)
खां, श्री सादत्त अली (वारंगल)
खाडिलकर, श्री र० के० (अहमदनगर)
खादीवाला, श्री कन्हैयालाल (इन्दौर)
खीमजी, श्री भवनजी अ० (कच्छ)
खुदाबख्श, श्री मुहम्मद (मुर्शिदाबाद)
खेडकर, श्री गोपाल राव (अकोला)
ख्वाजा, श्री जमाल (अलीगढ़)

ग

गंगा देवी, श्रीमती (उन्नाव--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
गणपति, श्री (तिरुचिन्दूर)
गणपति, राम, श्री (जौनपुर--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
गांधी, श्री फीरोज (रायबरेली)
गांधी, श्री मानिकलाल मगनलाल (पंच महल)
गायकवाड़, श्री भाऊराव कृष्णराव (नासिक)
गायकवाड़, श्री फतेहसिंह राव प्रतापसिंह राव (बड़ौदा)
गुप्त, श्री छेदा लाल (हरदोई)
गुप्त, श्री साधन (कलकत्ता–पूर्व)
गुह, श्री अरुण चन्द्र (बारसाट)
गोडसोरा, श्री शम्भूचरण (सिंहभूभ--रक्षित--अनुसूचित आदिम जातियां)
गोपालन, श्री अ० क० (कासरगोड)
गोरे, श्री नारायण गणेश (पूना)
गोविन्द दास, सेठ (जबलपुर)

ग---(क्रमशः)

गोहेन, श्री चौखामून (नामनिर्देशित---आसाम आदिम जाति क्षेत्र)
गोहोकर, डा० देवराव यशवन्तराव (यवतमाल)
गौंडर, श्री षनमुध (तिंडीवनम्)
गौडंर, श्री दुरायस्वामी (तिरुपत्तूर)
गौंडर, श्री क० पेरियास्वामी (करूर)
गौतम, श्री (बालाघाट)

घ

घारे, श्री अंकुशराव वेंकटराव (जालना)
घोडासार, श्री फतहसिंहजी (कैरा)
घोष, श्री अतुल्य (आसनसोल)
घोष, श्री विमल कुमार(बैरकपुर)
घोष, श्री नलिनी रंजन (कूच बिहार)
घोष, श्री महेन्द्र कुमार (जमशेदपुर)
घोष, श्री सुबिमन (बर्दवान)
घोषाल, श्री अरविन्द (उलुबेरिया)

च

चक्रवर्ती, श्रीमती रेणु (बसिरहाट)
चतुर्वेदी, श्री रोहनलाल (एटा)
चन्दा, श्री अनिल कु० (वीरभूम)
चन्द्रशंकर, श्री (भड़ौच)
चंद्रामणि कालो, श्री (सुन्दरगढ़---रक्षित---अनुसूचित आदिम जातियां)
चावन, श्री दा० रा० (कराड़)
चांडक, श्री बी० ल० (छिन्दवाड़ा)
चावदा, श्री अकबर भाई (बनस्कंठा)
चुनोलाल, श्री (अम्बाला--रक्षित---अनुसूचित जातियां)
चेट्टियार, श्री रामनाथन् (पुदुकोटै)
चौधरी, श्री चन्द्रामणि लाल (हाजीपुर---रक्षित---अनुसूचित जातियां)
चौधरी, श्री त्रिदिव कुमार (बरहामपुर)
चौधरी, श्री सु० चं० (दुमका)

ज

जगजीवन राम, श्री (सहसराम--रक्षित---अनुसूचित जातियां)
जयपाल सिंह, श्री (रांची-पश्चिम---रक्षित---अनुसूचित आदिम जातिया)
जांगड़े, श्री रेशम लाल (बिलासपुर)
जाधव, श्री यादव नारायण (मालेगांव)
जीनचन्द्रन्, श्री (टेल्लीचेरी)
जेधे, श्री केशवराव मारुतिराव (बारामती)

ज—(क्रमशः)

जेना, श्री कान्हुचरण (बालासोर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
जैन, श्री अजित प्रसाद (सहारनपुर)
जैन, श्री मूल चन्द (कैथल)
जोगेन्द्र सिंह, सरदार (बहराइच)
जोगेन्द्र सेन, श्री (मंडी)
जोशी, श्री आनन्द चन्द्र (शाहडोल)
जोशी, श्री लीलाधर (शाजापुर)
जोशी, श्रीमती सुभद्रा (अम्बाला)
ज्योतिषी, पंडित ज्वाला प्रसाद (सागर)

झ

झुनझुनवाला, श्री बनारसी प्रसाद (भागलपुर)
झूलन सिंह, श्री (सीवन)

ट

टांटिया, श्री रामेश्वर (सीकर)

ठ

ठाकुर, श्री मोतीसिंह बहादुरसिंह (पाटन)

ड

डांगे, श्रीपाद अमृत (बम्बई नगर-मध्य)
डामर, श्री अमर सिंह (झाबुआ—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
डिन्डोड, श्री जाल्जीभाई कोयाभाई (दोहद—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

त

तंगामणि, श्री (मदुरै)
तारिक, श्री अली मुहम्मद (जम्मू तथा काश्मीर)
ताहिर, श्री मुहम्मद (किशनगंज)
तिम्मय्या, श्री डोडा (कोलार—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
तिवारी, पंडित द्वारका नाथ (केसरिया)
तिवारी, पंडित बाबूलाल (निमाड़—खंडवा)
तिवारी, श्री द्वारिका नाथ (कचार)
तिवारी, श्री राम सहाय (खजुराहो)
तुलाराम, श्री (इटावा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
तेवर, श्री उ० मथुरमलिंग (श्री विल्लीपुत्तूर)
त्यागी, श्री महाबीर (देहरादून)
त्रिपाठी, श्री विश्वम्भर दयाल (उन्नाव)

थ

थामस, श्री अ० म० (एरणाकुलम्)

द

दलजीत सिंह,, श्री (कांगड़ा---रक्षित---अनुसूचित जातियां)
दातार, श्री ब० ना० (बेलगाम)
दामानी, श्री सू० र० (जालोर)
दास, श्री कमल कृष्ण (वीरभूम---रक्षित---अनुसूचित जातियां)
दास, श्री नयन तारा (मुंगेर---रक्षित---अनुसूचित जातियां)
दास, डा० मन मोहन (आसनसोल---रक्षित---अनुसूचित जातियां)
दासगुप्त, श्री विभूति भूषण (पुरुलिया)
दासप्पा, श्री (बंगलौर)
दिगे, श्री शंकरराव खांडेराव (कोल्हापुर---रक्षित---अनुसूचित जातियां)
दिनेश सिंह, श्री (बांदा)
दुबे, श्री मूलचन्द (फर्रुखाबाद)
दुबलिश, श्री विष्णु शरण (सरधना)
देब, श्री दशरथ (त्रिपुरा)
देव, श्री नरसिंह मल्ल (मिदनापुर)
देव, श्री प्रताप केशरी (कालाहांडी)
देव, श्री प्र० गं० (अंगुल)
देशमुख, डा० पंजाबराव शा० (अमरावती)
देशमुख, श्री कृ० गु० (रामटेक)
देसाई, श्री मोरारजी (सूरत)
दोरा, श्री दि० स० (पार्वतीपुरम्)
दौलता, श्री प्रताप सिंह (झज्जर)
द्रोहड़, श्री शिवदीन (हरदोई---रक्षित---अनुसूचित जातियां)
द्विवेदी, श्री म० ला० (हमीरपुर)
द्विवेदी, श्री सुरेन्द्रनाथ (केन्द्रपाड़ा)

ध

धनगर, श्री बन्शी दास (मैनपुरी)
धर्मलिंगम, श्री (थिरुवन्नामलाई)

न

नंजप्प, श्री (नीलगिरि)
नथवानी, श्री नरेन्द्र भाई (सोरठ)
नंदा, श्री गुलजारी लाल (सबरकांठा)
नरसिंहन्, श्री च० र० (कृष्णगिरि)

न—(क्रमशः)

नलदुर्गकर, श्री वैंकटराव श्रीनिवासराव (उस्मानाबाद)
नल्लाकोया, श्री कोयिलाट (नामनिर्देशित—लक्कादीव, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीप)
नाथ पाई, श्री (राजापुर)
नादर, श्री थानुलिंगम (नागरकोईल)
नायक, श्री मोहन (गंजम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
नायडू, श्री गोविन्दराजुलू (तिरुवल्लूर)
नायडू, श्री मुतुकुमारसामी (कडलूर)
नायर, डा० सुशीला (झांसी)
नायर, श्री कुट्टिकृष्णन्, (कोजीकोड)
नायर, श्री च० कृष्णन् (बाह्य दिल्ली)
नायर, श्री वें० प० (क्विलोन)
नायर, श्री वासुदेवन् (तिरुवल्ला)
नारायणदीन, श्री (शाहजहांपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
नारायणस्वामी, श्री (पेरियाकुलम्)
नास्कर, श्री पूर्णेन्दु शेखर (डायमण्ड हार्बर)
नेगी, श्री नेकराम (महासू—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
नेसवी, श्री ति० रु० (धारवाड़-दक्षिण)
नेहरू, श्री जवाहर लाल (फूलपुर)
नेहरू, श्रीमती उमा (सीतापुर)

प

पटनायक, श्री उमाचरण (गंजम)
पटेल, श्री नानूभाई निच्छाभाई (बलसार—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
पटेल, श्री पुरुषोत्तमदास र० (मेहसाना)
पटेल, श्री राजेश्वर (हाजीपुर)
पटेल, सुश्री मणिबेन वल्लभभाई (आनन्द)
पट्टाभिरामन्, श्री चे० रा० (कुम्बकोणम)
पद्मदेव, श्री (चम्बा)
पन्नालाल, श्री (फैजाबाद—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
परमार, श्री करसन दास उ० (अहमदाबाद—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
परमार, श्री दीनबन्धु (उदयपुर—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
परागीलाल, श्री सीतापुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
परूलकर, श्री शामराव विष्णु (थाना)
पलनियाण्डी, श्री (पेरम्बलूर)
पहाड़िया, श्री जगन्नाथ प्रसाद (सवाई माधोपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
पांगरकर, श्री नागराव क० (परभणी)
पांडे, श्री काशीनाथ (हाता)
पांडे, श्री च० द० (नैनीताल)
पांडे, श्री सरजू (रसरा)

प---(क्रमशः)

पाटिल, श्री उत्तमराव ल० (धूलिया)
पाटिल, श्री नाना (सतारा)
पाटिल, श्री बालासाहेब (मिराज)
पाटिल, श्री र० ढ़ो० (भीर)
पाटिल, श्री स० का० (बम्बई नगर-दक्षिण)
पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि (पुरी)
पादलू, श्री कनकपति वीरन्ना (गोलुगोंडा---रक्षित---अनुसूचित आदिम जातियां)
पार्वती कृष्णन्, श्रीमती (कोयम्बटूर)
पालचौधरी, श्रीमती इला (नवद्वीप)
पिल्ले, श्री एन्थनी (मद्रास-उत्तर)
पिल्ले, श्री पे० ति० थानू (तिरुनेलवेली)
पुन्नूस, श्री (अम्बल पुजा)
पेकर साहेब, श्री (मंजेरी)
प्रधान, श्री विजय चन्द्रसिंह (कालाहांडी---रक्षित---अनुसूचित आदिम जातियां)
प्रभाकर, श्री नवल (बाह्य दिल्ली---रक्षित---अनुसूचित जातियां)

ब

बजाज, श्री कमलनयन (वर्धा)
बदन सिंह, चौ० (बिसौली)
बनर्जी, डा० रामगोति (बांकुरा)
बनर्जी, श्री पुनिल बिहारी (लखनऊ)
बनर्जी, श्री प्रमथनाथ (कण्टाई)
बनर्जी, श्री स० म० (कानपुर)
बरुआ, श्री प्रफुल्ल चन्द्र (शिवसागर)
बरुआ, श्री हेम (गोहाटी)
बर्मन, श्री उपेन्द्र नाथ (कूच बिहार---रक्षित---अनुसूचित जातियां)
बलदेव सिंह, सरदार (होशियारपुर)
बसुमतारी, श्री धरनीधर (ग्वालपाड़ा---रक्षित---अनुसूचित आदिम जातियां)
बहादुर सिंह, श्री (लुधियाना---रक्षित---अनुसूचित जातियां)
बांगशी ठाकुर, श्री (त्रिपुरा---रक्षित---अनुसूचित आदिम जातियां)
बाकलीवाल, श्री मोहनलाल (दुर्ग)
बाबूनाथ सिंह, श्री (सरगुजा---रक्षित---अनुसूचित जातियां)
बारूपाल, श्री पन्नालाल (बीकानेर---रक्षित---अनुसूचित जातियां)
बालकृष्णन्, श्री स० चि० (डिंडीगल---रक्षित---अनुसूचित जातियां)
बाल्मीकी, श्री कन्हैयालाल (बुलन्दशहर---रक्षित---अनुसूचित जातियां)
बासप्पा, श्री चि० र० (तिपतुर)
बिदारी, श्री रामप्पा, बालप्पा (बीजापुर-दक्षिण)
बिष्ट, श्री जंग बहादुर सिंह (अल्मोड़ा)

ब--(क्रमशः)

बीरबल सिंह, श्री (जौनपुर)
बैक, श्री इगनेस (लोहरदगा--रक्षित--अनुसूचित आदिम जातियां)
बैरो, श्री (नामनिर्देशित--आंग्ल-भारतीय)
बोस, श्री प्रभात चन्द्र (धनबाद)
ब्रजराज सिंह, श्री (फिरोजाबाद)
'ब्रजेश' पंडित ब्रज नारायण (शिवपुरी)
ब्रजेश्वर प्रसाद, श्री (गया)
ब्रह्म प्रकाश, चौ० (दिल्ली सदर)

भ

भंजदेव, श्री लक्ष्मी नारायण (क्योंझर)
भक्त दर्शन, श्री (गढ़वाल)
भगत, श्री ब० रा० (शाहबाद)
भगवती, श्री बि० (दरांग)
भटकर, श्री लक्ष्मण रावजी श्रवनजी (अकोला--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
भट्टाचार्य, श्री चपल कांत (पश्चिम दीनाजपुर)
भदौरिया, श्री अर्जुन सिंह (इटावा)
भरूचा, श्री नौशीर (पूर्व खानदेश)
भार्गव, पंडित ठाकुर दास (हिसार)
भार्गव, पंडित मुकट बिहारी लाल (अजमेर)
भोगजी भाई, श्री (बांसवाड़ा--रक्षित--अनुसूचित आदिम जातियां)

म

मंजुला देवी, श्रीमती (ग्वालपाड़ा)
मंडल, डा० पशुपति (बांकुरा--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
मंडल, श्री जियालाल (खगरिया)
मजीठिया, सरदार सुरजीत सिंह (तरनतारन)
मणियंगाडन, श्री मैत्यु (कोट्टम्)
मतीन, काजी (गिरिडीह)
मतेरा, श्री लक्ष्मण महादु (थाना--रक्षित--अनुसूचित आदिम जातियां)
मनायन, श्री (दार्जिलिंग)
मफीदा अहमद, श्रीमती (जोरहाट)
मल्होत्रा, श्री ठाकुर दास (जम्मू तथा काश्मीर)
मलिक, श्री वैष्णव चरण (केन्द्रपाड़ा--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
मल्लय्या, श्री उ० श्रीनिवास (उदीपी)
मसानी, श्री मी० रु० (रांची-पूर्व)
मसुरिया दीन, श्री (फूलपुर--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
महन्ती, श्री सुरेन्द्र (ढेंकानाल)

म—(क्रमशः)

महागांवकर, श्री भाऊसाहेब रावसाहेब (कोल्हापुर)
महादेव प्रसाद, श्री (गोरखपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
महेन्द्र प्रताप, राजा (मथुरा)
माईति, श्री नि० वि० (वाटल)
माझी, श्री राम चन्द्र (मयूरभंज—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
माथुर, श्री मथुरा दास (नागौर)
माथुर, श्री हरिश्चन्द्र (पाली)
माने, श्री गो० का० (बम्बई नगर-मध्य—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मालवीय, पंडित गोविन्द (सुल्तानपुर)
मालवीय, श्री कन्हैयालाल भेरूलाल (शाजापुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मालवीय, श्री केशव देव (बस्ती)
मालवीय, श्री मोतीलाल (खजुराहो—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मिनिमाता अगमदास गुरु, श्रीमती (बलोदा बाजार—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मिश्र, श्री भगवान दीन (केसरगंज)
मिश्र, श्री मथुरा प्रसाद (बेगू सराय)
मिश्र, श्री रबुबर दयाल (बुलन्दशहर)
मिश्र, श्री राजा राम (फैजाबाद)
मिश्र, श्री ललित नारायण (सहरसा)
मिश्र, श्री विभूति (बगहा)
मिश्र, श्री श्याम नन्दन (जयनगर)
मुकर्जी, श्री हीरेन्द्र नाथ (कलकत्ता—मध्य)
मुत्तकृष्णन्, श्री मु० (बेल्लोर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मुनिस्वामी, श्री न० रा० (वेल्लोर)
मुरुमू, श्री पाइका (राजमहल—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
मुरारका, श्री राधेश्याम रामकुमार (झुंझनू)
मुसाफिर, ज्ञानी गुरमुख सिंह (अमृतसर)
मुहम्मद अकबर, शेख (जम्म तथा काश्मीर)
मुहीउद्दीन, श्री (सिकन्दराबाद)
मूर्ति, श्री ब० स० (काकिनादा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मूर्ति, श्री मि० सू० (गोलुगोंडा)
मेनन, डा० क० ब० (बडागरा)
मेनन, श्री वें० कृ० कृष्ण (बम्बई नगर–उत्तर)
मेनन, श्री नारायणन् कुट्टि (मुकन्दपुरम्)
मेलकोटे, डा० (रायचूर)
मेहता, श्री अशोक (मुजफ्फरपुर)
मेहता, श्रीमती कृष्णा (जम्मू तथा काश्मीर)
मेहता, श्री जसवन्त राज (जोधपुर)
मेहता, श्री बलवन्तराय गोपालजी (गोहिलवाड़)
मेहदी, श्री सै० अहमद (रामपुर)

म—(क्रमश:)

मोरे, श्री ज० घ० (शोलापुर)
मोहन स्वरूप, श्री (पीलीभीत)
मोहीदीन, श्री गुलाम (डिंडीगल)

य

याज्ञिक, श्री इन्दूलाल कन्हैयालाल (अहमदाबाद)
यादव, श्री राम सेवक (बाराबंकी)

र

रंगा, श्री (तेनालि)
रंगाराव, श्री (करीम नगर)
रघुनाथ सिंहजी, श्री (बाड़मेर)
रघुनाथ सिंह, श्री (वाराणसी)
रघुबीर सहाय, श्री (बदायूं)
रघुरामैया, श्री कोत्ता (गुण्टूर)
रणवीर सिंह, चौ० (रोहतक)
रहमान, श्री मु० हिफजुर (अमरोहा)
राउत, श्री भोला (चम्पारन—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
राउत, श्री राजाराम बालकृष्ण (कोलाबा)
राजबहादुर, श्री (भरतपुर)
राजय्या, श्री देवनपल्ली (नलगोंडा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
राजू, श्री द० स० (राजामुंद्री)
राजू, श्री विजयराम (विशाखापटनम)
राजेन्द्र सिंह, श्री (छपरा)
राज्य लक्ष्मी, श्रीमती ललिता (हजारीबाग)
राधामोहन सिंह, श्री (बलिया)
राधा रमण, श्री (चांदनी चौक)
राने, श्री शिवराम रंगो (बुलडाना)
राम कृष्ण, श्री (महेन्द्र गढ़)
रामकृष्णन्, श्री पी० रा० (पोल्लाची)
रामगरीब, श्री (बस्ती—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
रामधनी दास, श्री (नवादा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
रामपुरे, श्री महादेवप्पा (गुलबर्गा)
रामम्, श्री उद्दाराजू (नरसापुर)
राम सुभग सिंह, डा० (सहसराम)
रामस्वामी, श्री क० स० (गोबी चट्टिपलयम्)
रामस्वामी, श्री पु० (महबूबनगर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
रामस्वामी, श्री सें० ें० (सैलम)

र—(क्रमशः)

रामशंकर लाल, श्री (डुमरियागंज)
राम शरण, श्री (मुरादाबाद)
रामानन्द तीर्थ, स्वामी (औरंगाबाद)
राय, श्री खुशवक्त (खेरी)
राय, श्री बीरेन (कलकत्ता—दक्षिण-पश्चिम)
राय, श्रीमती रेणुका (मालदा)
राय, श्री विश्व नाथ (सलेमपुर)
राव, श्री इ० मधुसूदन (महबूबाबाद)
राव, श्री त० ब० विट्ठल (खम्मम्)
राव, श्री तिरुमल (काकिनाडा)
राव, श्री देवुलपल्ली वेंकटेश्वर (नलगौंडा)
राव, श्री रा० जगन्नाथ (कोरापट)
राव, श्री बी० राजगोपाल (श्रीकाकुलम)
राव, श्री रामेश्वर (महबूबनगर)
राव, श्री हनुमन्त (मेदक)
रंगसुंग सुइसा, श्री (बाह्यमनीपुर—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
रूप नारायण, श्री (मिर्जापुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
रेड्डी, श्री क० च० (कोलार)
रेड्डी, श्री रो० नरपा (ओंगोल)
रेड्डी, श्री नागी (अनन्तपुर)
रेड्डी, श्री बाली (मरकापुर)
रेड्डी, श्री राम कृष्ण (हिन्दूपुर)
रेड्डी, श्री रामी (कड़पा)
रेड्डी, श्री रे० लक्ष्मी नरसा (नेल्लोर)
रेड्डी, श्री विश्वनाथ (राजमपेट)

लक्ष्मण सिंह, श्री (नामनिर्देशित—अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह)
लक्ष्मीबाई, श्रीमती (विकाराबाद)
लच्छीराम, श्री (हमीरपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
लाश्कर, श्री निवारण चन्द्र (कचार—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
लाहिरी, श्री जितेन्द्रनाथ (श्रीरामपुर)

व

वर्मा, श्री बि० बि० (चम्पारन)
वर्मा, श्री माणिक्य लाल (उदयपुर)
वर्मा श्री राम सिंह भाई (निमाड़)

व –(क्रमशः)

वर्मा, श्री राम जी (देवरिया)
वाजपेयी, श्री अटल बिहारी (बलरामपुर)
वाडीवा, श्री ना० (छिन्दवाड़ा––रक्षित––अनुसूचित जातियां)
वारियर, श्री कृ० की० (त्रिचूर)
वाल्वी, श्री लक्ष्मण वेदू (पश्चिमी खानदेश––रक्षित––अनुसूचित आदिम जातियां)
वासनिक, श्री बालकृष्ण (भंडारा––रक्षित––अनुसूचित जातियां)
विजय राजे, कुंवररानी (छतरा)
विल्सन, श्री जान न० (मिर्जापुर)
विश्वनाथ प्रसाद, श्री (आजमगढ़––रक्षित––अनुसूचित जातियां)
वीरेन्द्र सिंह जी, श्री (रायपुर)
वेद कुमारी, कुमारी मोत्ते (एलुरु)
वेंकटा सुब्बैया, श्री पेन्देकान्ति (अडोनी)
वेरावन, श्री अ० (तंजोर)
वोडयार, श्री क० गु० (शिमोगा)
व्यास, श्री रमेश चन्द्र (भीलवाड़ा)
व्यास, श्री राधे लाल (उज्जैन)

श

शंकर देव, श्री (गुलबर्गा––रक्षित––अनुसूचित जातियां)
शंकरपांडियन, श्री (टंकासी)
शंकरय्या, श्री (मैसूर)
शकुन्तला देवी, श्रीमती (बंका)
शर्मा, पंडित कृष्ण चन्द्र (हापुड़)
शर्मा, श्री दीवान चन्द (गुरदासपुर)
शर्मा, श्री राधा चरण (ग्वालियर)
शर्मा, श्री हरिश चन्द्र (जयपुर)
शास्त्री, श्री प्रकाशवीर (गुड़गांव)
शास्त्री, श्री लाल बहादुर (इलाहाबाद)
शास्त्री, पंडित ही० (सवाई माधोपुर)
शास्त्री, स्वामी रामानन्द (बाराबंकी––रक्षित––अनुसूचित जातियां)
शाह, श्री मनुभाई (मध्य सौराष्ट्र)
शाह, श्री मानवेन्द्र (टेहरी गढ़वाल)
शाह, श्रीमती जयाबेन वजुभाई (गिरनार)
शिव, डा० गंगाधर (चित्तूर––रक्षित––अनुसूचित जातियां)
शिवनजप्पा, श्री (मंडया)
शिवराज, श्री (चिंगलपट––रक्षित––अनुसूचित जातियां)
शुक्ल, श्री विद्याचरण (बलौदा बाजार)
शोभा राम, श्री (अलवर)
श्री नारायण दास, श्री (दरभंगा)

स

संगण्णा, श्री तो० (कोरापट––रक्षित––अनुसूचित आदिम जातियां)
संबंदम्, श्री (नागपट्टिनम)
सक्सेना, श्री शिब्बन लाल (महाराजगंज)
सतीश चन्द्र, श्री (बरेली)
सत्य नारायण, श्री बिद्दिका (पार्वतीपुरम्––रक्षित––अनुसूचित आदिम जातियां)
सत्यभामा देवी, श्रीमती (नवादा)
सम्पत्, श्री (नामक्कल)
सरदार, श्री भोली (सहरसा––रक्षित––अनुसूचित जातियां)
सरहदी, श्री अजित सिंह (लुधियाना)
सहगल, सरदार अमर सिंह (जंजगीर)
सहोदरा बाई, श्रीमती (सागर––रक्षित––अनुसूचित जातियां)
साधूराम, श्री (जालन्धर––रक्षित––अनुसूचित जातियां)
सामन्त, श्री सतीश चन्द्र (तामलुक)
सामन्तसिंहार, डा० न० च० (भुवनेश्वर)
सालंके, श्री बाला साहेब (खेड़)
साहु, श्री भागवत (बालासोर)
साहू, श्री रामेश्वर (दरभंगा––रक्षित––अनुसूचित जातियां)
सिंह, श्री क० ना० (शहडोल––रक्षित––अनुसूचित आदिम जातियां)
सिंह, श्री चन्डिकेश्वर शरण (सरगूजा)
सिंह, श्री दिग्विजय नारायण (पपरी)
सिंह, श्री दिनेश प्रताप (गोंडा)
सिंह, श्री बनारसी प्रसाद (मुंगेर)
सिंह, श्री त्रि० ना० (चन्दौली)
सिंह, श्री महेन्द्र नाथ (महाराजगंज)
सिंह, श्री लैसराम अचौ (आन्तरिक मनीपुर)
सिंह, श्री सत्यनारायण (समस्तीपुर)
सिंह, श्री सत्येन्द्र नारायण (औरंगाबाद––बिहार)
सिंह, श्री हर प्रसाद (गाजीपुर)
सिंहासन सिंह, श्री (गोरखपुर)
सिदय्या, श्री (मैसूर––रक्षित––अनुसूचित जातियां)
सिद्धनंजप्पा, श्री (हसन)
सिन्धिया, श्रीमती विजय राजे (गुना)
सिन्हा, श्री कैलाशपति (नालन्दा)
सिन्हा, श्री गजेन्द्र प्रसाद (पालामऊ)
सिन्हा, श्रीमती तारकेश्वरी (बाढ़)
सिन्हा, श्री सारंगधर (पटना)
सुगन्धि, श्री सु० मु० (बीजापुर––उत्तर)
सुन्दर लाल, श्री (सहारनपुर––रक्षित––अनुसूचित जातियां)
सुब्बारायन्, डा० (तिरुचेंगोड)
सुब्राह्मण्यम्, श्री टेकुर (बेल्लारी)

स---(क्रमशः)

सुमत प्रसाद, श्री (मुज्जफरनगर)
सुल्तान, श्रीमती मैमना (भोपाल)
सूपकार, श्री श्रद्धाकर (सम्बलपुर)
सूर्य प्रसाद, श्री (ग्वालियर---रक्षित---अनुसूचित जातियां)
सेठ, श्री बिशन चन्द (शाहजहांपुर)
सेन, श्री अशोक कु० (कलकत्ता---उत्तर-पश्चिम)
सेन, श्री फनी गोपाल (पूर्निया)
सैलकू, श्री मारदी (पश्चिमी दीनाजपुर---रक्षित---अनुसूचित आदिम जातियां)
सैयद महमूद, डा० (गोपालगंज)
सोनावाने, श्री तयप्पा (शोलापुर---रक्षित---अनुसूचित जातियां)
सोनुले, श्री हरिहरराव (नांदेड़)
सोमानी, श्री ग० ध० (दौसा)
सोरेन, श्री देवी (दुमका---रक्षित---अनुसूचित आदिम जातियां)
स्नातक, श्री नरदेव (अलीगढ़---रक्षित---अनुसूचित जातियां)
स्वर्ण सिंह, सरदार (जालंधर)
स्वामी, श्री (चांदा)

ह

हंसदा, श्री सुबोध (मिदनापुर---रक्षित---अनुसूचित आदिम जातियां)
हजारनवीस, श्री रा० मा० (भंडारा)
हजारिका, श्री जोगेन्द्र नाथ (डिब्रूगढ़)
हरवानी, श्री अन्सार (फतेहपुर)
हाथी, श्री जयसुखलाल लालशंकर (हालर)
हाल्दर, श्री कन्सारी (डायमण्ड हार्बर---रक्षित---अनुसूचित जातियां)
हिनिटा, श्री हूवर (स्वायत्त जिले---रक्षित---अनसूचित आदिम जातियां)
हुक्म सिंह, सरदार (भटिण्डा)
हेडा, श्री ह० चं० (निजामाबाद)
हेमराज, श्री (कांगड़ा)

लोक-सभा

अध्यक्ष

श्री म० अनन्तशयनम् अय्यंगार

उपाध्यक्ष

सरदार हुक्म सिंह

सभापति तालिका

पंडित ठाकुर दास भार्गव
श्री उपेन्द्र नाथ बर्मन
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती
श्री मोहम्मद इमाम
श्री वे० रा० पट्टाभिरामन
श्री जयपाल सिंह

सचिव

श्री महेश्वर नाथ कौल, बैरिस्टर-एट-ला

कार्य मंत्रणा समिति

श्री म० अनन्तशयनम् अय्यंगार—**सभापति**
सरदार हुक्म सिंह
पंडित ठाकुर दास भार्गव
श्री सत्य नारायण सिंह
श्री शिवराम रंगो राने
श्री श्रीनारायण दास
श्री ब० स० मूर्ति
श्रीमती सुचेता कृपालानी
श्री म० ला० द्विवेदी
श्री रघुबीर सहाय
श्री त० ब० विट्ठलराव
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी
श्री सुरेन्द्र महन्ती
श्री जयपाल सिंह
श्री विजयराम राजू

विशेषाधिकार समिति

सरदार हुक्म सिंह—**सभापति**
श्री सत्य नारायण सिंह

विशेषाधिकार समिति—(क्रमशः)

श्री अशोक कुमार सेन
पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय
डा० सुब्बारायन
श्री नेमीचन्द्र कासलीवाल
श्रीमती जयाबेन बजूभाई शाह
श्री ना० वाडीवा
श्री सारंगधर सिन्हा
श्री शिवराम रंगो राने
श्री हीरेन्द्र नाथ मुकर्जी
श्री इन्दुलाल कन्हैया लाल याज्ञिक
श्री विमल कुमार घोष
श्री श्रद्धाकर सूपकार
श्री हूवर हिनिटा

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति

श्री मूलचन्द दुबे—**सभापति**
श्रीमती शकुन्तला देवी
श्री व० ना० स्वामी
श्री अय्याकण्णु
श्री राम कृष्ण
श्री अमल कृष्ण दास
श्री सूरती किस्तैया
श्री रूंग सुंग सुइसा
श्री बी० ल० चांडक
श्री क० र० आचार
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही
श्री करसनदास परमार
श्री यादव नारायण जाधव
श्री हरिश्चन्द्र शर्मा
श्री इगनेस बैक

प्राक्कलन समिति

श्री ब० गो० मेहता—**सभापति**
श्री श्रीपाद अमृत डांगे
सरदार जोगेन्द्रसिंह
डा० सुशीला नायर
श्री राधा चरण शर्मा
चौधरी रणवीर सिंह
श्री गोपालराव खेडकर

प्राक्कलन समिति—(क्रमशः)

श्रीमती सुचेता कृपालानी
श्री तिरुमल राव
श्री विश्वनाथ रेड्डी
श्री रामनाथन् चेट्टियार
श्री न० रं० घोष
पंडित गोविंद मालवीय
श्री रेशम लाल जांगड़े
श्री मथुरा दास माथुर
श्री डोडा तिमैया
श्री म० ला० द्विवेदी
श्री र० के० खाडिलकर
श्री भा० कृ० गायकवाड़
श्री श्रद्धाकर सूपकार
श्री रोहन लाल चतुर्वेदी
श्रीमती मफीदा अहमद
काजी मतनि
श्री नरेन्द्रभाई नथवानी
श्री राजेश्वर पटेल
श्री विजयराम राजू
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती
श्री शंकर पांडियन
श्री झूलन सिंह
श्री रामजी वर्मा

आश्वासनों सम्बन्धी समिति

पंडित ठाकुर दास भार्गव—**सभापति**
श्री अनिरुद्ध सिंह
श्री मल चन्द दुबे
श्री भक्त दर्शन
श्री चि० र० बासप्पा
श्री सुब्बया अम्बलम्
श्रीमती इला पालचौधरी
श्री नवल प्रभाकर
श्री जसवंत राज मेहता
श्री मोती लाल मालवीय
श्री कमल सिंह
श्री अटल बिहारी बाजपेयी
श्री रामजी वर्मा
श्री र० के० खाडिलकर
श्री वासुदेवन नायर

याचिका समिति

श्री उपेन्द्र नाथ बर्मन—**सभापति**
पंडित ज्वाला प्रसाद ज्योतिषी
श्रीमती उमा नेहरू
पंडित द्वारिका नाथ तिवारी
श्रीमती कृष्णा मेहता
श्री अब्दुल सलाम
श्री जियालाल मंडल
श्री क० गु० वोडयार
श्री नानूभाई निन्छाभाई पटेल
श्री पेन्देकान्ति वेंकटासुब्बैया
श्री प्रताप सिंह दौलता
श्री द० रा० चावन
श्री बै० च० मलिक
श्री रामचन्द्र माझी
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

सरदार हुक्म सिंह—**सभापति**
सरदार अमर सिंह सहगल
श्री नरेन्द्र भाई नथवानी
श्रीमती इला पालचौधरी
श्री कृष्ण चन्द्र
श्री भूलन सिंह
श्री संबंदम्
श्री स० अ० अगाड़ी
श्री जगन्नाथ प्रसाद पहाड़िया
श्री सुन्दर लाल
श्री ईश्वर अय्यर
श्री बाला साहेब पाटिल
श्री प्रमथ नाथ बनर्जी
श्री श्रद्धाकर सूपकार
श्री शम्भूचरण गोडसोरा

लोक-लेखा समिति

लोक-सभा

श्री रंगा—**सभापति**
डा० राम सुभग सिंह
पंडित ज्वाला प्रसाद ज्योतिषी
श्री रामेश्वर साहू
श्री तो० संगण्णा

लोक-लेखा समिति—(क्रमशः)

लोक-सभा—(क्रमशः)

श्री अ० चं० गुह
श्री न० रा० मुनिस्वामी
श्री उपेन्द्र नाथ बर्मन
श्री रघुबर दयाल मिश्र
श्री दासप्पा
श्री अरविन्द घोषाल
श्री प्रभात कार
श्री जयपाल सिंह
श्री शिवराज
श्री खुशवक्त राय

राज्य-सभा

राजकुमारी अमृत कौर
श्री अमोलक चन्द
श्री टी० आर० देवगिरिकर
श्री एस० वेंकटरामन
श्री एम० गोविन्द रेड्डी
श्री रोहित मनुशंकर दवे
श्री एम० बसवपुनैय्या

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति

सरदार हुक्म सिंह—**सभापति**
श्री फणि गोपाल सेन
श्री अजित सिंह सरहदी
श्री ठाकुर दास मलहोत्रा
श्री क० स० रामस्वामी
श्री सिंहासन सिंह
श्री जितेन्द्र नाथ लाहिरी
श्री बहादुर सिंह
श्री विश्वनाथ रेड्डी
श्री कन्हैया लाल भेरूलाल मालवीय
श्री अरविन्द घोषाल
श्री मोहम्मद इमाम
डा० कृष्णस्वामी
श्री ब्रजराज सिंह
श्री नारायणन् कुट्टि मेनन

सामान्य प्रयोजन समिति

श्री म० अनन्तशयनम् अय्यंगार—**सभापति**
सरदार हुक्म सिंह

सामान्य प्रयोजन समिति—(क्रमशः)

पंडित ठाकुर दास भार्गव
श्री उपेन्द्र नाथ बर्मन
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती
श्री ब० गो० मेहता
श्री रंगा
श्री उ० श्रीनिवास मल्लय्या
श्री मूलचन्द दुबे
श्री सत्य नारायण सिंह
श्री श्रीपाद अमृत डांगे
आचार्य कृपालानी
श्री इन्दुलाल याज्ञिक
श्री जयपाल सिंह
श्री विजयराम राजू
श्री प्र० के० देव
श्री भा० कृ० गायकवाड़
डा० कृष्णस्वामी
श्री मोहम्मद इमाम
श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्

आवास समिति

श्री उ० श्रीनिवास मल्लय्या—सभापति
श्री रेशम लाल जांगड़े
श्री दिग्विजय नारायण सिंह
श्री राजेश्वर पटेल
श्री मणिकलाल मगनलाल गांधी
श्री मि० सू० मूर्ति
श्रीमती मैमूना सुलतान
श्री कमल कृष्ण दास
श्री बैरो
श्रीमती पार्वती कृष्णन
श्री खुशवक्त राय
श्री भाऊसाहेब रावसाहेब महागांवकर

संसद्-सदस्यों के वेतन और भत्ते सम्बन्धी संयुक्त समिति

लोक-सभा

श्री सत्य नारायण सिंह—सभापति
श्री उ० श्रीनिवास मल्लय्या
श्री दीवन चन्द शर्मा

संसद्-सदस्यों के वेतन और भत्ते सम्बन्धी संयुक्त समिति—(क्रमशः)

लोक-सभा—(क्रमशः)

श्री चपलकान्त भट्टाचार्य
श्री कन्हैयालाल खादीवाला
श्री रघुबर दयाल मिश्र
श्री दुरायस्वामी गौण्डर
श्री नारायण गणेश गोरे
श्रीमती पार्वती कृष्णन्
श्री उ० मयुरमलिंग तेवर

राज्य-सभा

श्रीमती अम्मु स्वामिनाथन्
श्री अमर नाथ अग्रवाल
श्री जसपत राय कपूर
डा० आर० पी० दुबे
श्री एम० एन० गोविन्दन नायर

नियम समिति

श्री म० अनन्तशयनम् अय्यंगार—सभापति
सरदार हुक्म सिंह
श्री सत्य नारायण सिंह
पंडित ठाकुर दास भार्गव
श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्
श्री टेकुर सुब्रह्मण्यम
श्री राधे लाल व्यास
श्री तय्यपा हरि सानावने
श्री शिवराम रंगो राने
डा० सुशीला नायर
श्री तंगामणि
श्री पुरुषोत्तम दास पटेल
श्री अमजद अली
श्री मी० रु० मसानी
श्री भाऊराव कृष्णराव गायकवाड़

भारत सरकार

मंत्रि-मंडल के सदस्य

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति विभाग के भारसाधक मंत्री---श्री जवाहरलाल नेहरू

गृह-कार्य मंत्री---श्री गोविन्द वल्लभ पन्त

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री---श्री लाल बहादुर शास्त्री

रेलवे मंत्री---श्री जगजीवन राम

वित्त मंत्री---श्री मोरारजी देसाई

श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री---श्री गुलजारी लाल नन्दा

परिवहन तथा संचार मंत्री---श्री स० का० पाटिल

विधि मंत्री---श्री अ० कु० सैन

इस्पात, खान और ईंधन मंत्री---सरदार स्वर्ण सिंह

सिंचाई और विद्युत् मंत्री---हाफिज मुहम्मद इब्राहीम

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री---श्री क० च० रेड्डी

खाद्य तथा कृषि मंत्री---श्री अजित प्रसाद जैन

प्रतिरक्षा मंत्री ---श्री व० कृ० कृष्णमेनन

राज्य-मंत्री

संसद्-कार्य मंत्री ---श्री सत्य नारायण सिंह

सूचना और प्रसारण मंत्री---डा० बा० वि० केसकर

स्वास्थ्य मंत्री---श्री दी० प० करमरकर

सहकार मंत्री---डा० पंजाबराव शा० देशमुख

खान और तेल मंत्री---श्री केशव देव मालवीय

पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री---श्री मेहर चन्द खन्ना

वाणिज्य मंत्री---श्री नित्यानन्द कानूनगो

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री---श्री राज बहादुर

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री---श्री ब० ना० दातार

उद्योग मंत्री---श्री मनुभाई शाह

सामुदायिक विकास मंत्री---श्री सुरेन्द्र कुमार डे

शिक्षा मंत्री ---डा० का० ला० श्रीमाली

वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री---श्री हुमायन कबिर

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री---डा० बे० गोपाल रेड्डी

उपमंत्री

प्रतिरक्षा उपमंत्री---सरदार सुरजीत सिंह मजीठिया

श्रम उपमंत्री---श्री आबिद अली

उपमंत्री (क्रमशः)

निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री--श्री अनिल कु० चन्दा
कृषि उपमंत्री--श्री मो० वें० कृष्णप्पा
सिंचाई और विद्युत उपमंत्री--श्री जयसुख लाल लालशंकर हाथी
वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री--श्री सतीश चन्द्र
योजना उपमंत्री--श्री श्याम नन्दन मिश्र
वित्त उपमंत्री--श्री ब० रा० भगत
वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री--डा० मनमोहन दास
रेलवे उपमंत्री--श्री शाहनवाज़ खां
रेलवे उपमंत्री--श्री सें० वें० रामस्वामी
वैदेशिक कार्य उपमंत्री--श्रीमती लक्ष्मी मेनन
गृह-कार्य उपमंत्री--श्रीमती वायलेट आल्वा
प्रतिरक्षा उपमंत्री--श्री कोत्ता रघुरामैया
असैनिक उड्डयन उपमंत्री--श्री मुहउद्दीन
खाद्य तथा कृषि उपमंत्री--श्री अ० म० थामस
पुनर्वास उपमंत्री--श्री पू० शे० नास्कर
विधि उपमंत्री--हजारनवीस
वित्त उपमंत्री--श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा

सभा सचिव

वैदेशिक-कार्यमंत्री के सभा सचिव--श्री सादत अली खां
वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा सचिव--श्री जो० ना० हजारिका
सूचना और प्रसारण मंत्री के सभा सचिव--श्री जी० राजगोपालन
श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री के सभा सचिव--श्री ललित नारायण मिश्र
प्रतिरक्षा मंत्री के सभा सचिव--श्री फतेहसिंहराव प्रतापसिंहराव गायकवाड़
सूचना और प्रसारण मंत्री के सभा सचिव--श्री आ० चं० जोशी
सामुदायिक विकास मंत्री के सभा सचिव--श्री ब० स० मूर्ति
इस्पात, खान और ईंधन मंत्री के सभा सचिव--श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा

लोक-सभा

मंगलवार, १८ नवम्बर, १९५८

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

पेनिसिलीन का प्रयोग

+

†*३३. श्री ज० ब० सिं० बिष्ट :
श्रीमती पार्वती कृष्णन :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री पाणिग्रही :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान २२ सितम्बर, १९५८ के हिन्दुस्तान टाइम्स में छपे उस समाचार की ओर आकर्षित किया गया है जिस में बताया गया है कि पेनिसिलीन देने से कई रोगियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा;

(ख) क्या यह प्रतिक्रिया इस कारण हुई कि जाली दवाई दी गई थी या कि वे रोगी ही ऐसे थे जिन्हें पेनिसिलीन हानि पहुंचाती है; और

(ग) क्या सरकार कोई प्रतिबन्ध लगाने का विचार कर रही है जिस से कि पेनिसिलीन का प्रयोग सीमित कर दिया जाय ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी हां।

(ख) उत्तर प्रदेश राज्य के प्राधिकारियों से जो सूचना मिली है उस से यह पता चलता है कि ये प्रतिक्रियायें इसलिए हुईं कि उन रोगियों की शारीरिक अवस्था ऐसी थी कि पेनिसिलीन से उन्हें हानि ही होती थी।

(ग) जी हां। भेषज नियमों में यह संशोधन करने के लिए कार्यवाही की गई है कि पेनिसिलीन वही व्यक्ति खरीद सकेगा जिसे रजिस्टर्ड मैडिकल प्रैक्टीशनर ही सेवन करने के लिए कहे। पेनिसिलीन के असीमित प्रयोग को रोकने के लिए भी कार्यवाही की गई है।

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जंग ब० सिं० बिष्ट** : सरकार ने इस का क्या उपाय किया है कि जाली पेनिसिलीन की बिक्री न हो ?

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या नकली पेनसिलीन की बिक्री को रोकने के लिए कोई कार्यवाही की जा रही है ?

†**श्री कमरकर** : जैसे अन्य नक़ली दवाइयां होती हैं उसी तरह पेनिसिलीन भी होती होगी। परन्तु हमें पेनिसिलीन के बारे में कोई शिकायत नहीं मिली है।

†**श्री सुबोध हंसदा** : क्या हमारे देश में तैयार की जाने वाली पेनिसिलीन से रोगियों को हानि पहुंचती है ?

†**श्री करमरकर** : मालूम नहीं कि यह पेनिसिलीन हमारे देश में बनी हुई थी। मैं ने बताया कि इसकी प्रतिक्रिया रोगी की हालत पर भी निर्भर करती है। हमारे पास ऐसी कोई शिकायत नहीं पहुंची कि देशीय पेनिसिलीन हानिकारक सिद्ध हुई है।

†**श्री स० चं० सामन्त** : उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त अन्य राज्यों में कितने मामलों की सूचना मिली है ?

†**श्री करमरकर** : हाल ही में कानपुर में हुई इस प्रकार की घटनाओं की सूचना मिली थी। मैं एकाएक यह नहीं बता सकता कि सारे देश में ऐसी कितनी घटनायें हुई हैं।

†**श्रीमती पार्वती कृष्णन** : विश्व स्वास्थ्य संघ ने इस विषय में प्रांतवेदन दिया है और यह सुझाव भी दिया है कि पेनिसिलीन का प्रयोग सीमित कर दिया जाय और इसके प्रतिकूल प्रभाव का उपचार करन के लिए डाक्टरों के पास दवाइयां रहनी चाहियें। सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

†**श्री करमरकर** ; सब से बहतर यह है कि पेनिसिलीन का प्रयोग बहुत सोच समझ कर किया जाय। जहां आवश्यक न हो वहां इसका प्रयोग न किया जाय। यह देखा गया है कि डाक्टर वहां भी पेनिसिलीन का प्रयोग करते रहे हैं जहां यह आवश्यक नहीं था और वे इस बात का भी ख्याल नहीं रखते कि रोगी को इस से हानि पहुंचती। इसलिए हम तो यही उपाय कर सकते थे कि पेनिसिलीन उसी हालत में बेची जाय जब कि किसी रजिस्टर्ड मैडिकल प्रैक्टीशनर ने उसका सेवन करने की सलाह दी हो। परन्तु इसका भी दुरुपयोग हो सकता है।

†**श्री सुबोध हंसदा** : जिन रोगियों के लिए पेनिसिलीन हानिकारक है उनके लिए पेनिसिलीन के स्थान पर अन्य कौन से दवाई प्रयोग करने की व्यवस्था सरकार कर रही है ?

†**श्री करमरकर** : हम यह तो नहीं कहते कि पेनिसिलीन की बजाय कोई और दवाई प्रयुक्त की जाय। जहां जरूरी हो वहां इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। और जहां आवश्यक नहीं वहां इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या भारतीय औषधि निर्माण अधिनियम, १९४८ के उपबन्धों के अनुसार प्रत्येक राज्य में औषधि निर्माण परिषद् स्थापित किये गये हैं जिन से कि नक़ली और घटिया किस्म की दवाइयों के प्रयोग को रोका जा सके और यदि हां तो किन राज्यों में और इस का क्या परिणाम रहा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री करमरकर** : इस के लिए पूर्व सूचना चाहिए ।

†**श्री वें० प० नायर** : माननीय मंत्री ने पेनिसिलीन के दुष्प्रभाव का उल्लेख किया । क्या यह अध्ययन किया गया है कि क्या पेनिसिलीन को 'प्रोसेन' जैसी अन्य औषधियों के साथ मिला कर प्रयोग करने से ही हानि होती है ?

†**श्री करमरकर** : हानिकारक प्रतिक्रियाओं का अध्ययन किया जा रहा है । इसके लिए पूर्व सूचना दें ।

†**श्रीमती पार्वती कृष्णन** : क्या डाक्टरों से कहा जा रहा है कि वे पेनिसिलीन के लिए एक रजिस्टर रखे जैसा कि विषैली औषधियों के लिए किया जाता है ताकि पेनिसिलीन अनाड़ी डाक्टरों के हाथ में न जाये ?

†**श्री करमरकर** : : हम यह सुझाव भेज देंगे ।

†**श्री दासप्पा** : माननीय मंत्री ने कहा कि कुछ लोगों की शारीरिक अवस्था ही ऐसी होती है कि उन्हें पेनिसिलीन से हानि पहुंचती है । पेनिसिलीन देने से पूर्व इस बात का पता लगाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है कि रोगी के लिए पेनिसिलीन हानिकारक है या नहीं ?

†**श्री करमरकर** : यह तो एक व्यक्तिगत मामला है और इसका पहले से पता नहीं चल सकता । डाक्टर को उपचार करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि पेनिसिलीन उसी हालत में दी जाय जब वह अनिवार्य हो । उसे यह पता लगाना चाहिए कि पहले उस रोगी को पेनिसिलीन से हानि हुई थी यदि हुई हो तो उसे पेनिसिलीन न दी जाय ।

दिल्ली में बूचड़खाने

†*३४. { **श्री दी० चं० शर्मा** :
श्री मधुसूदन राव :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री २८ अगस्त, १९५८ में तारांकित प्रश्न संख्या ६७६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में बूचड़खाने के स्थान को पुनः बदलने के विषय में क्या प्रगति हुई है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : दिल्ली नगर निगम के कार्यालय ने बुचड़खाने का स्थान बदलने और इस से सम्बद्ध जलोत्सारण, जलसंभरण आदि की समस्याओं का पूर्णरूप से परीक्षण किया था । दिल्ली नगर निगम ने यह भी सूचना दी है कि उस क्षेत्र का प्रारम्भिक सर्वेक्षण किया जा रहा है और भूमि अर्जित करने पर होने वाली लागत का अनुमान लगाया जा रहा है । निगम के पदाधिकारी बूचड़खाने और आवास बस्ती के नक्शे आदि तैयार कर रहे हैं । निगम कार्यालय यह आशा करता है कि आगामी कुछ महीनों में प्रारम्भिक कार्य पूरा हो जायेगा ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या बचड़ खाने के लिये स्थान निश्चित कर लिया गया है ?

†**श्री करमरकर** : जी हां । नगर निर्माण योजना संघ ने जिस स्थान की सिफारिश की है वह छटे और सातवें मील के बीच रेलवे लाइन और रोहतक रोड के बीच ज्वालाहरी गांव में है ।

†मूल अंग्रेजी में

†श्री दी० चं० शर्मा : क्या इस स्थान पर बूचड़खाना बनाने से वहां रहने वाले लोगों को कष्ट तो नहीं होगा ?

†श्री करमरकर : जी नहीं। नगर निर्माण योजना संघ ने सब बातों को ध्यान में रखते हुए यह निष्कर्ष निकाला है कि यह स्थान उपयुक्त होगा।

श्री नवल प्रभाकर : क्या मैं जान सकता हूं कि ज्वालाहेड़ी गांव में स्लाटर-हाउस ले जाने की जो योजना है, क्या उस के अंतर्गत चमड़े के कारखाने भी वहां ले जाने की व्यवस्था है ?

श्री करमरकर : जी हां, वह भी कर रहे हैं।

भारी वर्षा के कारण फसलों को हानि

+

†*३५. श्री राम कृष्ण :
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री हेम राज :
श्री राजेन्द्र सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री पांगरकर :
श्री प्रकाश वीर शास्त्री :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सितम्बर, १९५८ में भारत के विभिन्न भागों में भारी और लगातार वर्षा होने के कारण खड़ी फसलों को बहुत हानि पहुंची है और रब्बी फसल की बीजाई में बड़ा विलम्ब हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की हानि हुई है और किन-किन क्षेत्रों (राज्यवार) को हानि पहुंची;

(ग) केन्द्रीय सरकार ने प्रत्येक राज्य को कितनी आर्थिक सहायता दी ; और

(घ) देश की खाद्य स्थिति पर वर्षा का कहां तक प्रभाव पड़ा ?

†खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) : (क) और (ख). अब तक जो जानकारी प्राप्त हुई है उस से पता चलता है कि मध्य प्रदेश, पंजाब, बम्बई और राजस्थान राज्यों में खड़ी फसलों को हानि पहुंची थी। कितनी हानि हुई और किन क्षेत्रों पर वर्षा से हानि पहुंची यह जानकारी उपलब्ध नहीं है। बिहार, पश्चिमी बंगाल, मैसूर, बम्बई, पंजाब और उत्तर प्रदेश में रब्बी फसल की बीजाई में विलम्ब हुआ है।

(ग) राज्य सरकारों को सहायतार्थ खर्च करने के लिये निर्धारित नीति के अनुसार केन्द्रीय सहायता प्राप्त हो सकती है। अभी किसी राज्य से ऐसी प्रार्थना प्राप्त नहीं हुई है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) सितम्बर में कुछ क्षेत्रों में हुई भारी वर्षा का देश की खाद्य स्थिति पर कितना प्रभाव पड़ा उसका अनुमान लगाना सम्भव नहीं है ।

हाल ही में प्राप्त हुई जानकारी से पता चलता है कि सारे भारत में चावल की फसल, जो खाद्य के कुल उत्पादन का ४० प्रतिशत है, बहुत अच्छी है । कुछ राज्यों में चावल की बहुत अच्छी फसल होने की आशा व्यक्त की गई है । पानी जमा हो जाने के कारण पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश के कुछ भागों और राजस्थान में ज्वार बाजरे की खड़ी फसल को कुछ हानि पहुंची है । रब्बी फसल के बारे में अभी से कुछ नहीं कहा जा सकता परन्तु बहुत अधिक क्षेत्र में फसलें बोई गई हैं ।

†श्री राम कृष्ण : क्या यह सच है कि बहुत सा बाढ़ग्रस्त क्षेत्र रब्बी फसल की बीजाई के योग्य नहीं रहा ?

†खाद्य तथा कृषि मन्त्री (श्री अ० प्र० जैन) : ऐसा क्षेत्र बहुत कम है । मैं ने काफी दौरा किया है और मैं ने देखा है कि बहुत अधिक क्षेत्र में बीज बोया गया है और कोंपलें बहुत अच्छी निकली हैं ।

†डा० राम सुभग सिंह : क्षतिग्रस्त क्षेत्र में किसानों को गेहूं के तथा अन्य कितने बीज दिये गये हैं ?

†श्री अ० प्र० जैन : यह काम राज्य सरकारें करती हैं । ये आंकड़े हमारे पास नहीं हैं । परन्तु पता चलता है कि इस वर्ष किसानों में बीज काफी मात्रा में बांटे गये हैं ।

†श्री विश्वनाथ रेड्डी : क्या ऐसी कोई सूचनायें, विशेषकर आन्ध्र राज्य से, मिली है कि छोटे सिंचाई साधन नष्ट हो गये हैं ? क्या आन्ध्र राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना कि है कि इन छोटे सिंचाई साधनों का पुनर्निर्माण करने के लिये आर्थिक सहायता दी जाये ? यदि हां, तो भारत सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†श्री अ० प्र० जैन : लगभग आध घंटा पूर्व आन्ध्र के मंत्री मुझे मिले थे और उन्हों ने मुझे पत्र दिये हैं । वह वित्त मंत्री को भी मिलने वाले हैं और हम इस पर विचार कर रहे हैं ।

†डा० राम सुभग सिंह : क्या रब्बी फसल आन्दोलन के अन्तर्गत किसानों को कोई आर्थिक सहायता दी गई है क्योंकि माननीय मंत्री ने अभी-अभी कहा है कि रब्बी फसल की बीजाई में विलम्ब हो गया है ?

†श्री अ० प्र० जैन : जहां कहीं रब्बी आन्दोलन आरम्भ किया गया वहां बढ़िया बीज उर्वरक और कीटाणु नाशक पदार्थ पहुंचाये गये थे । वहां बीजाई में कुछ एक दल बीजाई में किसानों की सहायता कर रहे हैं ।

श्री रघुनाथ सिंह : यू० पी० में इस बार बीज की इतनी आवश्यकता थी कि बहुत से खेतों में खेती ही नहीं हो सकी । मैं जानना चाहता हूं कि उसके बारे में क्या किया गया है ?

श्री अ० प्र० जैन : हमारी खबर तो यह है कि उत्तर प्रदेश ने करीब करीब किसानों की बीज की जरूरत जो थी उसको पूरा कर दिया है । केन्द्रीय सरकार से उन्होंने ऐसा कहा था कि पांच लाख मन बीज पंजाब से उनको दिला दिया जाये । वह पांच लाख मन उनको दिला दिया गया था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री पाणिग्रही : माननीय मंत्री ने कहा कि राज्यों ने चावल की बहुत अच्छी फसल होने की सूचना दी है। वे राज्य कौन से हैं। क्या उन्होंने चावल की फालतू मात्रा भी सूचित की है ?

†श्री मो० वे० कृष्णप्पा : उड़ीसा राज्य ने सूचना भेजी है कि यदि तूफान के कारण, जो प्रायः नवम्बर की समाप्ति और दिसम्बर के आरम्भ में आता है, फसल को कोई क्षति न हुई तो वहां चावल की फसल बहुत अधिक होगी।

†श्री वि० च० शुक्ल : क्या सरकार को मालूम है कि मध्य प्रदेश के अधिकतर भागों में रब्बी फसल अच्छी नहीं होगी क्यों कि वहां गेहूं या तो मिलता ही नहीं और यदि मिलता है तो उस का मूल्य बहुत अधिक है ?

†श्री अ० प्र० जैन : मैं ने मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री से पता किया था और उन्होंने बताया कि सारे राज्य में बीज भेजा जा चुका है। सम्भव है कि किसी स्थान पर बीज न भेजा जा सका हो।

†सरदार हुक्म सिंह : क्या यह सच है कि पंजाब में केवल उन्हीं क्षेत्रों में अधिक बोवाई हुई है जहां गत पांच वर्ष में बाढ़ नहीं आई है और उन क्षेत्रों में बोवाई नहीं हुई है जहां गत पांच वर्ष में लगातार बाढ़ें आ रही हैं ?

†श्री अ० प्र० जैन : मैं पहले ही कह चुका हूं कि कुछ क्षेत्रों में पानी जमा था। मुझे पता चला है कि इस वर्ष गत वर्ष की तुलना में अधिक क्षेत्र में बोवाई हुई है।

†श्री गोरे : रब्बी आन्दोलन के फलस्वरूप औसतन कितने क्षेत्र में अधिक बोवाई होगी और उत्पादन का कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

†श्री अ० प्र० जैन : हमें सब स्थानों से सूचना प्राप्त नहीं हुई है परन्तु मैं माननीय सदस्य को एक राज्य के बारे में जानकारी दे सकता हूं जिस से वह अनुमान लगा सकेंगे। मैसूर में जो १३ लाख एकड़ भूमि चुनी गई थी उसमें से १० लाख एकड़ से अधिक भूमि में कार्य किया गया।

†श्री रघुवीर सहाय : क्या माननीय मंत्री को ज्ञात है कि उत्तर प्रदेश में पश्चिमी बाढ़ग्रस्त भागों में पर्याप्त मात्रा में बीज नहीं पहुंचाये गये और पंजाब से जो बीज मंगवाये गये वे बहुत देर से पहुंचे ? क्या माननीय मंत्री यह सुनिश्चय करेंगे कि कोई भूमि ऐसी न रहे जहां रब्बी की बोवाई न की जाये ?

†श्री अ० प्र० जैन : मैं ने स्वयं पूछताछ की है और मैं स्वयं कुछ बोवाई कर रहा हूं। बीज काफी मात्रा में उपलब्ध किये गये थे। बीज न पहुंचने के बारे में मुझे कोई शिकायत नहीं मिली है बल्कि ये शिकायतें मिली हैं कि किसानों ने सस्ते दामों पर बीज खरीद कर उन्हें अधिक मूल्य पर खाने के लिये बेच दिया।

श्री रा० क० वर्मा : अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि बीज वितरित किया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह जानने की कोशिश की गयी है कि जो बीज वितरित किया गया वह काग़ज़ों पर ही वितरित किया गया है या कि किसानों के हाथों में भी वह पहुंचा है ?

श्री अ० प्र० जैन : जो असली बीज था वह तो रेल के जरिये ही वहां पहुंचाया गया है। उन्होंने ही उसको बांटा है। काग़ज़ों पर हो तो मैं नहीं जानता। मैं तो यही जानता हूं कि असल में उसको बांटा गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†पंडित द्वा० ना० तिवारी : क्या माननीय मंत्री को विदित है कि बिहार के बहुत से क्षेत्रों में रब्बी की बोवाई इस कारण नहीं हुई कि वहां पर्याप्त मात्रा में अच्छे बीज उपलब्ध नहीं किये गये ?

†श्री अ० प्र० जैन : बिहार ने हमें पंजाब से २५,००० मन बीज भिजवाने के लिए कहा था हम ने भिजवा दिये थे और बिहार से कोई शिकायत नहीं मिली है ।

†श्री विश्वनाथ रेड्डी : दैवी प्रकोपों के समय राज्य सरकारों को प्रायः खर्च का ५० प्रतिशत आर्थिक सहायता के रूप में केन्द्रीय सरकार को देना होता है जो कि अधिक से अधिक २ करोड़ रुपये तक दिया जा सकता है परन्तु कई राज्यों का, विशेषकर आन्ध्र राज्य का यह अनुभव है कि उन्हें ५० प्रतिशत भी नहीं दिया जाता । गत वर्ष आन्ध्र राज्य ने बहुत खर्च किया परन्तु उसे कोई आर्थिक सहायता नहीं दी गई ।

†श्री अ० प्र० जैन : केन्द्रीय सरकार खर्च का ५० प्रतिशत अंश चुका देती है । यह नियम बना हुआ है कि राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार से मंत्रणा प्राप्त किये बिना सहायता कार्य आरम्भ कर सकती है । राज्यों में विशेष निधि की स्थापना हो जाने से नियमों में कुछ परिवर्तन हो गये होंगे ।

निर्माण कार्य विशेषज्ञ

+

†*३७. श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री रा० च० माझी :
श्री पाणिग्रही :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्माण कार्य विशेषज्ञों की एक तालिका बनाने का विचार किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या वह सूची तैयार कर ली गई है; और

(ग) क्या इन में गैर-सरकारी समवायों के निर्माण कार्य विशेषज्ञ भी शामिल हैं ?

†सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां । परामर्शदाताओं की एक तालिका बनाने का विचार है ।

(ख) और (ग). इस बारे में अभी विचार किया जा रहा है ।

†श्री सुबोध हंसदा : विशेषज्ञों की तालिका किस प्रकार तैयार की जा रही है ?

†श्री हाथी : देश भर में सिंचाई और विद्युत् परियोजना निर्माण के जितने विशेषज्ञ हैं उन सब की एक सूची तैयार की जायेगी ।

†श्री सुबोध हंसदा : क्या सरकार देश के अनुभवी सेवानिवृत्त व्यक्तियों की सेवायें प्राप्त करने के बारे में विचार कर रही है ?

†श्री हाथी : अनुभव प्राप्त सेवानिवृत्त पदाधिकारी भी इस तालिक में शामिल होंगे ।

†मूल अंग्रेजी में

†श्री स० चं० सामन्त : क्या यह सच है कि केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग इंजीनियरों को निर्माण और डिज़ाइन का प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक संस्था चला रहा है और क्या इन लोगों को अनुभवी परामर्शदाताओं की सूची में रखा जायेगा ?

†श्री हाथी : शायद उन्हें शामिल न किया जाये क्योंकि वे प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं वहां तो अधिक अनुभव की आवश्यकता है।

†श्री पाणिग्रही : क्या यह तालिका राज्य सरकारों के परामर्श से बनाई जायेगी या कि भारत सरकार विद्युत् आयोग से परामर्श करके ही चुनाव कर लेगी ?

†श्री हाथी : राज्य सरकारों से परामर्श करके।

†श्री रा० च० माझी : क्या यह सूची राज्य सरकारों के पास भी रहेगी ?

†श्री हाथी : सूची केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग के पास रहेगी।

†श्री मोहम्मद इमाम : इन विशेषज्ञों की क्या अर्हतायें विहित की गई हैं ? कौन सी विशेष अर्हतायें हैं ?

†श्री हाथी : कोई विशेष अर्हतायें विहित नहीं की गई हैं। ये विशेषज्ञ सिंचाई और विद्युत् की विभिन्न शाखाओं के लिए होंगे। अर्हतायें निश्चित नहीं की जायेंगी।

पश्चिमी बंगाल में सिंचाई के कच्चे कुएं

†*३८. { †श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा : }

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री २३ सितम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २५६७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल सरकार ने सिंचाई के कच्चे कुओं की उपयोगिता के बारे में अनुसन्धान पूरा कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ?

कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) : (क) और (ख). कच्चे कुओं की उपयोगिता सम्बन्धी अनुसन्धान अभी पूरा नहीं हुआ है। एक कुआं जो तैयार होने वाला था। वहां कुछ अनुसन्धान किया गया था। पश्चिमी बंगाल सरकार को मंत्रणा दी गई है कि जो कुयें तैयार होने वाले हैं वहां आगे और अनुसन्धान किया जाये। कोसाई नदी में बाढ़ आने के कारण और उपकरण के परिवहन की कठिनाइयों आदि के कारण ये प्रयोग नहीं किये जा सके।

†श्री स० चं० सामन्त : क्या पश्चिमी बंगाल सरकार ने सिफारिश की है कि जहां कुएं खोदना सम्भव न हो वहां तालाब बनाये जायें ?

†श्री मो० वें० कृष्णप्पा : उन्होंने दो कुओं को लिया है। एक के बारे में उन्होंने सूचना दी और हम ने उन्हें दूसरे कुएं पर प्रयोग करने के लिए कहा परन्तु उन्होंने कहा कि उस क्षेत्र में बाढ़

†मूल अंग्रेजी में।

के कारण उपकरण आदि को ले जाना सम्भव नहीं था। इसके अतिरिक्त उन्होंने और कुछ नहीं लिखा कि वे अतिरिक्त कुएं खोदेंगे या छोटे कुएं खोदेंगे।

†**श्री स० चं० सामन्त** : देश के अन्य भागों में सिंचाई के कच्चे कुओं की अग्रिम योजना का क्या परिणाम रहा ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : एक दिल्ली में ४०,००० रुपये की लागत से बनाया जायेगा। स्थान अर्जित कर लिया गया है और नकशे बन रहे हैं। शीघ्र ही कार्य आरम्भ हो जायेगा।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : पश्चिमी बंगाल में जो प्रयोग किया जा रहा है उस पर कितना खर्च होगा ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : प्राय: इस पर ४०,००० रुपये खर्च होते हैं उन्होंने मालूम नहीं कितना खर्च किया है। चार पांच वर्ष पूर्व दुर्भिक्ष के समय उनकी खुदाई की गई थी। श्री अय्यंगर, जो बागडोगरा के कलैक्टर थे, ने मुफ्त सहायता देने की बजाय उन्हें कुएं खोदने के लिए कहा। इसलिए इन का कोई हिसाब नहीं रखा गया था।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** : इस बारे में टैक्नीकल विशेषज्ञों की क्या राय है ? दिल्ली के निकट खोदे गये कुओं से क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : हमारे सिंचाई विशेषज्ञों और योजना आयोग का यह विचार है कि यह मितव्ययितापूर्ण नहीं है। इस से अधिक पानी भी नहीं मिलता और यह मितव्ययितापूर्ण भी नहीं है। सदा शिकायतें मिलती रहती हैं। शायद उनके प्रति ऐसी धारणा बन गई है। इसीलिए हम अन्य लोगों से इसका परीक्षण करा रहे हैं।

†**श्री वेंकटासुब्बया** : कच्चे कुओं से कितने क्षेत्र की सिंचाई होने का अनुमान है ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : यह तो भूमिगत जल के सम्भरण पर निर्भर करता है। साधारणत: इस से पांच या छ: एकड़ भूमि की सिंचाई होगी।

†**श्री जयपाल सिंह** : यदि पश्चिमी बंगाल सरकार के प्रयोग असफल रहे तो क्या सरकार कसई क्षेत्र को बिहार सरकार के सुपुर्द करने के बारे में विचार करेगी जिस से कि बिहार सरकार बेहतर प्रयोग कर सके ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : वस्तुत: हम ने बिहार और अन्य सभी सरकारों को लिखा है। बिहार सरकार योजना आयोग और हमारे सिंचाई विशेषज्ञों की राय से सहमत है।

†**श्री गोरे** : जिस कुयें पर ४०,००० रुपये खर्च होते हैं उसका घेरा और गहराई आदि कितनी होती है ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : इस कुएं का व्यास १५० से २५० फुट और गहराई ५० से ६० फुट होती है। यह बहुत बड़ा कुआं होता है और कई बार यह एक एकड़ भूमि घेर लेता है।

†**श्री गोरे** : तब इसे तालाब ही कहना चाहिए।

---

†मूल अंग्रेजी में

डाक्टरी पढ़ने वाले विद्यार्थी

†*३९. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में औषधि तथा शल्यशास्त्र में स्नातक के रूप में कुल कितने विद्यार्थी शिक्षा पा रहे हैं;

(ख) इनमें से उन छात्रों की संख्या कितनी है जिन्हें छात्रवृत्ति अथवा सरकार की ओर से अन्य किसी प्रकार की वित्तीय सहायता मिल रही है; और

(ग) प्रति विद्यार्थी औसतन कितना व्यय होता है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :** (क) से (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है जो यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

†**श्री आसर :** क्या सरकार को विदित है कि बहुत से मेडिकल कालेजों में चोर बाजारी के रूप में स्वीकार किया गया रुपया प्रवेश के लिये गारंटी का काम देता है, यदि हां, तो सरकार इस कुप्रथा को रोकने के लिये क्या आशा रखती है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य का कथन है कि मेडिकल कालेजों में प्रवेश दिलाने के लिये लगभग ५,००० रुपये लिये जाते हैं। जान पड़ता है कि कुछ कालेजों में प्रवेश के रूप में ५,००० रुपये तक लिये गये हैं। क्या सरकार इस के लिये कोई कार्यवाही कर रही है कि यह रुपया न जमा किया जाय ? सरकार का रुख क्या है ?

†**श्री करमरकर :** सरकार उन संस्थाओं को प्रोत्साहन देने की कार्यवाही कर रही है क्योंकि वे आय बढ़ाने के लिये एक अच्छा काम कर रही हैं। हम अपने कालेजों में प्रशिक्षण के लिये जो धनराशि सहायता के रूप में दे रहे हैं, वे संस्थायें उस संस्था को आत्म-निर्भर बनाने के लिये कर रही हैं। इस दिशा में जिस संस्था का प्रथम स्थान है वह हमारे देश में सब से अधिक कुशल समझी जाने वाली संस्थाओं में से एक है।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** प्रशिक्षण में विस्तार करने की योजनाओं की विशेष कर दिल्ली और राजस्थान में क्या स्थिति है ?

†**श्री करमरकर :** सभी सम्भव योजनाओं पर विचार किया जा रहा है किन्तु फिलहाल हम ने जितनी भी राशि उपलब्ध की वह द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान में ऐसे कालेजों को सहायता देने के लिये आवंटित कर दी है।

†**श्री जयपाल सिंह :** जो सूचना एकत्र की जा रही है क्या उस के अन्तर्गत सामान्य विद्यार्थियों, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के लोगों को दी जाने वाली छात्रवृत्तियों के अलग अलग आंकड़े दिये जा सकते हैं ?

†**श्री करमरकर :** अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के बारे में बताने के लिये मैं पूर्वसूचना चाहूंगा।

†**श्री जयपाल सिंह :** माननीय मंत्री ने जो सूचना देने का वचन दिया है, मुझे आशा है कि वह उस में अलग-अलग आंकड़े देंगे।

†**श्री करमरकर :** हम यह सूचना भी मांग लेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अन्सार हरवानी :** क्या अलीगढ़ में मेडिकल कालेज खोलने का विचार है, यदि हां, तो वह किस प्रक्रम पर है ?

†**श्री करमरकर :** मुझे जानकारी नहीं है ।

†**श्री राधा रमण :** क्या सरकार को विदित है कि बहुत से विद्यार्थियों को इच्छा रखने पर भी औषधि विज्ञान विषय में प्रवेश नहीं मिल पाता और यदि हां, तो क्या विभिन्न संस्थाओं में उन्हें स्थान देने के लिये कोई प्रबन्ध किया जा रहा है ?

†**श्री करमरकर :** हम ने भी मेडिकल कालेजों में संख्या बढ़ाने की योजना को प्रोत्साहन दिया है। उदाहरण के लिये जो कालेज ५० विद्यार्थी लेते हैं और यदि वे कुछ स्थान बढ़ाना चाहते हैं तो हम ने उन्हें सहायता देने का प्रयत्न किया है ।

मेडिकल कालेजों में प्रवेश की सामान्य स्थिति के बारे में यह सच है कि अधिक लोग मेडिकल कालेज में भर्ती होना चाहते हैं किन्तु हमारे साधन सीमित हैं । यदि गैर-सरकारी पक्ष की ओर से प्रयत्न किये जाते हैं तो हमारा भी नैतिक सहयोग उन के साथ है ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या माननीय मंत्री के उत्तर से मैं यह समझूं कि द्वितीय योजना में दिल्ली और राजस्थान के मेडिकल कालेज शामिल नहीं हैं ?

†**श्री करमरकर :** मैं नहीं समझता कि दिल्ली के बारे में कोई विशेष वादा किया गया है । राजस्थान राज्य सरकार को उपयुक्त स्थान के बारे में निर्णय नहीं कर सकी है क्योंकि दो स्थानों के बारे में प्रतिद्वंदिता चल रही थी और यदि वे समय के भीतर निर्णय कर लेते तो इस में शामिल हो सकते थे ।

†**श्री तंगामणि :** अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिमजातियों और पिछड़े वर्गों को जो छात्रवृत्तियां मिलती हैं उन के अतिरिक्त मेडिकल के छात्रों को और कितनी छात्रवृत्ति दी जाती है ? क्या योग्यता के लिये भी छात्रवृत्ति दी जाती है ?

†**श्री करमरकर :** संक्षिप्त उत्तर के लिये मैं पूर्व सूचना चाहूंगा ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मेडिकल कालेज में प्रतिमास व्यय लगभग १५० रुपये होता है और उस के अतिरिक्त माननीय मंत्री कहते हैं कि ५,०००रुपये की जो राशि वसूल की जाती है उसे वह प्रोत्साहित करते हैं, ऐसी परिस्थिति में उन छात्रों के लिये जिन के माता-पिता की आय १०,०००रुपये नहीं होती, यह शिक्षा उपलब्ध कराने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**श्री करमरकर :** माननीय मंत्री ने इस प्रश्न में जो समस्या उत्पन्न की है वह हमारे वश के बाहर है क्योंकि हम ने नये कालेज खोलने के लिये ६·५ करोड़ रुपये नियत कर दिये हैं और अन्य कालेज में छात्रों की संख्या बढ़ा दी है। जैसा कि मैं कह चुका हूं हम ने यह राशि पहले ही आवंटित कर दी है। मनीपाल में एक कालेज खोला गया है जहां मैं समझता हूं कि फीस के साथ ही विद्यार्थियों से चन्दा भी मांगा जाता है। मुझे बताया गया है कि मांग इतनी अधिक है कि १९६३ तक के स्थानों की अग्रिम बुकिंग हो गई है। हमने इसका पता लगाया। हाल ही में चिकित्सा परिषद् तथा विश्व-विद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष वहां गये थे । उन्होंने संस्था को पूर्ण सन्तोषजनक पाया । ऐसी

†मूल अंग्रेजी

दशा में उस संस्था के बारे में शिकायत करने की गुंजायश नहीं रह जाती जो सहायता न ले कर केवल अपनी आय से शिक्षा देते हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** अगला प्रश्न :

रेलवे डाक सेवा डिब्बे में हत्या

†*४०. **श्री स० म० बनर्जी :** क्या **परिवहन तथा संचार मंत्री** चलती गाड़ी के रेलवे डाक सेवा के एक डिब्बे में तीन डाक कर्मचारियों की हत्या के सम्बन्ध में २० अगस्त, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या २९३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस दिशा में क्या और आगे प्रगति हुई है ; और

(ख) क्या हत्या किये गये कर्मचारियों के परिवार वालों को पूरा प्रतिकर दिया जा चुका है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल) :** (क) मुकदमा चला दिया गया है और अभियोग न्यायालय के सम्मुख विचाराधीन है ।

(ख) कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, १९२३ के अधीन श्री वी० सिंह मेल गार्ड को प्रतिकर देने का प्रश्न विचाराधीन होने के अतिरिक्त विधि अथवा नियमों के अनुसार जितना उपदान/प्रतिकर दिया जाना चाहिये उस का भुगतान किया जा चुका है ।

†**श्री स० म० बनर्जी :** माननीय मंत्री ने जिस व्यक्ति विशेष का नाम लिया है, क्या उसके परिवार वालों ने केवल इस कारण प्रतिकर लेना अस्वीकार कर दिया कि वह कर्मचारी था किन्तु उस समय ड्यूटी पर नहीं था ? यदि ऐसा है, तो इस मामले को भी प्रतिकर के मामले में शामिल करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**श्री स० का० पाटिल :** इस प्रतिकर के भुगतान के बारे में कुछ नियम हैं । यहां पता यह लगता है कि १ अप्रैल, १९४७ के पश्चात् सेवा में आने के कारण वह इस का हकदार नहीं था । वह कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम के अधीन प्रतिकर पाने का हकदार है, जो विचाराधीन है ।

†**श्री स० म० बनर्जी :** जिन कर्मचारियों की हत्या की गई उन के लिये कितना प्रतिकर दिया गया है ?

†**श्री स० का० पाटिल :** इस परिवार को मृत्यु व निवृत्ति उपदान के रूप में ६३६ पये दिये गये हैं । असाधारण परिवार पेंशन विचाराधीन है । कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम के अधीन प्रतिकर देने के बारे में लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की प्रतीक्षा है । डाक और तार सहानुभूति उपदान निधि में से अनुदान उसे नहीं मिल सकता क्योंकि वह सेवा निवृत्ति से मिलने वाले लाभ का हकदार था ।

†**श्री तंगामणि :** प्रश्न संख्या २९३ के उत्तर में, जिस का उत्तर २० अगस्त को दिया गया था, माननीय मंत्री ने कहा था कि ज्यों ही मुकदमे की सुनवाई आरम्भ होगी, हम इन छः अपराधियों की कार्य-प्रणाली का पता लगा सकेंगे । क्या इस जांच-पड़ताल से पता लगा है कि हत्यारे डिब्बे के अन्दर किस प्रकार घुसे और हत्या की ?

†**श्री स० का० पाटिल :** मुकदमा अभी न्यायालय के अधीन है । मुकदमा २७-१०-५८ को ही चला दिया गया था । इस मामले में कुछ कह सकना मेरे लिये अभी संभव नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० म० बनर्जी :** हत्या १९५७ में हुई थी और तब से हम लगातार पूछ रहे हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** मुकदमा चल रहा है । माननीय मंत्री क्या कर सकते हैं ?

†**श्री नाथ पाई :** क्या माननीय मंत्री यह समझते हैं कि ६५० रुपये की राशि इस बात को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त है कि उन की मृत्यु उस समय हुई जिस समय वे देश की सेवा में लगे हुए थे ?

†**श्री स० का० पाटिल :** यह मेरी राय की बात नहीं है । प्रतिकर देने के बारे में कुछ नियम हैं । मैं भी समझता हूं कि यह राशि पर्याप्त नहीं जान पड़ती । यह तो नियमों में परिवर्तन करने का प्रश्न है । मुझे नियमानुकूल कार्य करना पड़ता है ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** इन भुगतानों के अलावा सहानुभूतिपूर्ण अनुदानों का भुगतान करने के लिये भी नियम हैं । क्या उस पर भी विचार किया गया है ?

†**श्री स० का० पाटिल :** यदि माननीय सदस्य सजग होंगे तो उन्होंने वह भाग भी सुना होगा जो मैंने पढ़ा था ।

†**श्री स० म० बनर्जी :** क्या यह सच है कि रेलवे डाक सेवा कर्मचारी संघ द्वारा भी कुछ राशि एकत्र की गई थी ? वह राशि कितनी है ? क्या वह राशि उन्हें दी गई अथवा नहीं ?

†**श्री स० का० पाटिल :** संघ मुझे यह सारी जानकारी क्यों देने लगा ।

दिल्ली में जल संभरण

+

†*४१. **श्री तंगामणि :**
श्री स० म० बनर्जी :
श्री दामानी :
श्री अ० मु० तारिक :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री विभूति मिश्र :
श्री वाजपेयी :
श्री प्र० क० देव :
श्री बि० चं० प्रौधन :
श्री जाधव :
श्री नौशेर भरूचा :

क्या स्वास्थ्य मंत्री २५ अगस्त, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ४७८ के उत्तर के सम्बन्ध यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टैक्निकल विशेषज्ञ समिति ने जिसकी नियुक्ति दिल्ली में पीने के पानी की दीर्घ-कालिक आवश्यकता के प्रश्न का पता लगाने के लिये की गई थी, अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) दिल्ली में जल संभरण की स्थिति में सुधार करने के लिये क्या स्थायी प्रबन्ध किया गया है ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर): (क) अभी नहीं, श्रीमान्, किन्तु नियमित रूप से जल संभरण के बारे में समिति की सिफारिशें दिसम्बर, १९५८ के आरम्भ में प्राप्त होने की आशा है। जहां तक जल संभरण में वृद्धि करने का सम्बन्ध है, समिति को अपनी सिफारिशें अन्तिम रूप से देने में कुछ समय लगेगा क्योंकि इसके लिये विस्तृत योजनायें बनानी होंगी तथा उनकी अनुमानित लागत का हिसाब लगाना होगा।

(ख) और (ग)। प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

†श्री तंगामणि : पहले किसी प्रश्न के उत्तर में मन्त्री महोदय ने कहा था कि आगामी २० वर्षों में आशा की जाती है कि जल की मांग बढ़ कर १५ करोड़ गैलन प्रतिदिन होगी। इस समय जल की मांग कितनी है और संभरण कितना हो रहा है ?

†श्री करमरकर : मैं अपनी याददाश्त से बता रहा हूं कि इस समय हमारी मांग ६·५ करोड़ गैलन के लगभग है और दिल्ली के प्रत्येक क्षेत्र में जहां स्वच्छ पानी मिलता है, औसतन इतना ही संभरण किया जाता है। दूसरा सूत्र ओखला जल संभरण है। वह इस में शामिल नहीं है।

†श्री तंगामणि : इस मास के अन्त में समिति का प्रतिवेदन आ जाने के पश्चात् इस समिति की सिफारिशों पर कब निर्णय किया जायेगा ?

†श्री करमरकर : तत्काल ही यह कार्य भी आरम्भ हो जायेगा। यह तो साधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। किन्तु मैं आशा करता हूं कि साधन उपलब्ध हो जायेंगे।

श्री वाजपेयी : दिल्ली के अनेक क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें गरमी के दिनों में पानी नहीं पहुंचता। जब तक इस कमेटी की रिपोर्ट आयेगी और उस पर कोई निर्णय लिया जायेगा, क्या सरकार इस बीच में उन क्षेत्रों में अधिक पानी पहुंचाने के सम्बन्ध में कोई व्यवस्था कर रही है ?

श्री करमरकर : पानी अधिक पहुंचाने के लिए तो इन्तिजाम चल रहा है पर इस बीच में कुछ नहीं हो सकता।

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार कोई ऐसा इन्तिजाम कर रही है कि जब दिल्ली में जमुना नदी से पानी लेने का काम फैल हो जाये तो दिल्ली के बिखरे हुए एरियाज को किसी और जरिए से पानी पहुंचाया जा सके ?

श्री करमरकर : दिल्ली में जो पानी की मांग बढ़ती जा रही है उसी के इन्तिजाम के बारे में यह कमेटी सोच रही है और हमको आशा रखनी चाहिए कि कोई संतोषजनक इन्तिजाम हो जायेगा।

श्री नवल प्रभाकर : क्या मैं जान सकता हूं कि जो मई और जून में पानी की कमी हो जाती है उसकी पूर्ति करने के लिए किसी और नदी से जमुना नदी में पानी डालने के लिए उत्तर प्रदेश या पंजाब की सरकार से बातचीत चल रही है कि जिससे जमुना में पानी डाला जा सके ?

†श्री करमरकर : दो तीन आल्टरनेटिव स्कीमें हमारे सामने हैं। एक योजना दिल्ली से दूर ३० मील के क्षेत्र में नलकूप बनाना है। वजीराबाद तक पानी एक उपयुक्त चैनेल के द्वारा लाया जायेगा। दो वैकल्पिक योजनायें भी हैं। पंजाब के चीफ इंजीनियर (सिंचाई) द्वारा जो दूसरी योजना तैयार की

†मूल अंग्रेजी में

गई है उसका नाम गुड़गांव सुरंग योजना है जिससे आरम्भ में प्रतिदिन १०० क्यूजेक जल रोहतक रोड पर दिल्ली के लिये मिलना सम्भव हो सकेगा। यह योजना इस ढंग से कार्यान्वित की जा रही है जिससे अन्ततोगत्वा आवश्यकता पड़ने पर प्रतिदिन २०० क्यूजेक जल मिल सके। ये वैकल्पिक योजनायें हैं जिन पर समिति विचार कर रही है।

†**श्री नोशीर भरूचा:** जल संभरण में वृद्धि करने के लिये अथवा उसे स्थायी बनाये रखने के लिये माननीय मन्त्री भविष्य में चाहे जो करें उसके अलावा शुद्धता का अब क्या स्तर रखा गया है और क्या पीने के लिये पानी का उबालना अब भी आवश्यक है ?

†**श्री करमरकर :** उबालना आवश्यक नहीं है। यह गलत सूचना दी गई है। स्वच्छ जल जिसका संभरण किया जाता है वह इतना शुद्ध होता है कि उसे उबालने की आवश्यकता नहीं रह जाती। वह बहुत अच्छा होता है।

†**श्री स० म० बनर्जी :** क्या जमुना पर नियन्त्रण रखने के लिये भी कोई समिति बनाई गई है, यदि हां, तो उस पर किस प्रकार नियन्त्रण रखा जायेगा ?

†**श्री करमरकर :** नियन्त्रण ?

†**श्री स० म० बनर्जी :** मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा था कि उसके अनियंत्रित होने के कारण एक समिति नियुक्त की गई है।

†**श्री करमरकर :** जमुना कभी-कभी बाढ़ के कारण हमें तंग करती है। इसमें उस पर नियन्त्रण का प्रश्न नहीं है। निस्सन्देह वजीराबाद जल संभरण के बारे में अवश्य वहां एक बांध बनाने का विचार है जिससे कम वर्षा के दिनों में वहां काफी पानी रोका जा सके।

†**श्री जाधव :** दिल्ली के विभिन्न भागों में जल किस किस समय आता है ?

†**श्री करमरकर :** जहां तक स्वच्छ पानी का सम्बन्ध है, जल संभरण चौबीस घंटे तक होता रहता है।

†**श्री जाधव :** जी नहीं।

†**श्री करमरकर:** जी नहीं। मैं जानना चाहूंगा जहां तक मुझे सूचना है वजीराबाद की अन्दर वाली चैनेल से जल संभरण चौबीस घंटे होता रहता है। क्या माननीय सदस्य के यहां बराबर पानी नहीं आता है ? मैं यह जानना चाहूंगा। कभी-कभी इसमें कुछ अन्तर पड़ सकता है किन्तु मैं वह जानकारी भी प्राप्त करना चाहूंगा।

†**अध्यक्ष महोदय :** कुछ माननीय सदस्य औरों का ध्यान रखने वाले होते हैं, यह केवल उनके अपने निवास स्थानों की बात नहीं है, किन्तु अन्य मकानों के बारे में है।

†**श्री जाधव :** पूर्वी और पश्चिमी पटेल नगर में पानी २४ घंटे नहीं आता है।

†**श्री हेम बरुआ :** साउथ एवेन्यू प्रमाप नहीं है।

श्री रा० क० वर्मा : माननीय मंत्री जी ने कहा है कि दिल्ली में पानी का अभाव है और ज्यादा पानी का प्रबन्ध किया जा रहा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस बात का तात्कालिक प्रबन्ध किया जा रहा है कि फिलहाल लोगों को थोड़ा पानी ही उपलब्ध किया जा सके।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** यह सामान्य प्रश्न है ।

†**श्री करमरकर :** मैं प्रश्न को समझ नहीं सका हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** वह कहते हैं कि जल संभरण २४ घंटे तक नहीं होता है, कैसा प्रबन्ध है ? सम्भवतः माननीय मन्त्री इसे स्वीकार न करें ।

†**श्री करमरकर :** यह स्वीकार न करने के बजाय प्रश्न समझने की बात है । अभी तक यह सच है कि २२ लाख के लगभग जनसंख्या में से लगभग ४ लाख लोगों को पर्याप्त जल नहीं मिल पाता है । कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें स्वच्छ पानी के सम्भरण की कोई व्यवस्था नहीं है । अब इसमें वृद्धि करने का परिणाम यह होगा कि उन क्षेत्रों में जिनमें पानी नहीं मिलता है वहां पानी उपलब्ध कराया जायेगा तथा जिनमें पहले से ही पर्याप्त जल मिलता है उनमें उस पर्याप्तता को जारी रखना है । सारी स्थिति इस प्रकार है ।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड :** मुझे केवल इतना ही पता है कि संसद् सदस्यों को काफी जल मिलता है किन्तु क्या सरकार और माननीय मन्त्री को पता है कि बहुत सी मजदूरों के रहने वाली बस्तियां ऐसी हैं जिनमें न केवल गर्मियों में ही अपितु सभी मौसमों में पर्याप्त जल नहीं मिल पाता है ? यदि ऐसा है, तो ऐसी बस्तियों में जल की व्यवस्था करने के लिये सरकार की क्या योजना है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** यह वह बता चुके हैं ।

†**श्री करमरकर :** मेरे माननीय मित्र मेरे कथन को ही दोहरा रहेहैं । जहां तक जल संभरण का प्रश्न है दिल्ली को आत्म-निर्भर बनाने के लिये ही ये योजनायें कार्यान्वित की जा रही हैं जिनके पूरी हो जाने पर सारी दिल्ली में काफी जल मिलने लगेगा ।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड :** इसमें कितना समय लगेगा ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

†**श्री राधा रमण :** यह दिल्ली का प्रश्न है । मुझे अनुपूरक पूछने की अनुमति दी जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय मंत्री ने स्वयं उत्तर पूछने की परवा ही नहीं की । १२ सदस्यों ने यह प्रश्न पूछा है । मैं ने उन्हें अवसर दिया है । यदि माननीय सदस्य दिल्ली के ही निवासी हैं और इसमें चाव रखते होते तो मैं उनका नाम भी जोड़ देता ।

मछली उत्पादन

†*४२. **श्री कोडियान :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान में देश में मछली का उत्पादन बताने के लिये भारत सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(ख) क्या इस कार्यवाही के परिणामस्वरूप मछली उत्पादन में वृद्धि हुई है; और

(ग) यदि हां, तो कहां तक ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) :** (क) देश में मछली के उत्पादन में वृद्धि के तरीकों का पता लगाने तथा समुद्रों की मछली पकड़ने और उनका उपयोग करने के लिये

†मूल अंग्रेजी में

गवेषणात्मक कार्यक्रम अपनाये गये हैं। मछली पैदा करने वाले तथा मछली उद्योग में गवेषणा के परिणामों को कार्यान्वित करने के लिये एक विस्तार संगठन की स्थापना की गई है।

विकास सम्बन्धी योजनाओं तथा गवेषणा, सर्वेक्षण, प्रदर्शन तथा विद्युत् की सहायता से मछली पकड़ने से संबंधित योजनाओं के लिये राज्य सरकारों को वित्तीय और टेक्निकल सहायता दी जा रही है।

(ख) जी हां

(ग) १९५५ में ८·४० लाख दशमिक टन से लेकर १९५७ में १२·३३ लाख टन अर्थात् १९५५ के आंकड़ों की तुलना में लगभग ४७ प्रतिशत वृद्धि।

मैं यह भी बताना चाहूंगा कि मछली के उत्पादन में इस ४७ प्रतिशत वृद्धि के अलावा हमने विदेशों को ४ से ५ लाख रुपये के मूल्य की जमाई हुई और सूखी मछली का निर्यात किया है और विदेशी मुद्रा कमाई है।

†**श्री कोडियान** : मछली के उत्पादन में इस वृद्धि में से भूमि वाले भाग और समुद्र से मिलने वाली मछलियों में क्या अनुपात है ?

†**श्री मो० वें कृष्णप्पा** : भूमि वाले भाग में से देश में मिलने वाली कुछ मछलियों का उत्पादन लगभग ३० प्रतिशत है; शेष समुद्र से मिलने वाली मछलियां हैं। समुद्र से मिलने वाली मछलियों में भूमि वाले भाग की अपेक्षा अधिक वृद्धि इस कारण हुई है कि भूमि वाले भाग में जल सीमित मात्रा में होता है।

†**श्री वें प० नायर** : माननीय मंत्री का कहना है कि मछली के उत्पादन में वृद्धि हुई है। हाल ही में तेल वाली सारडीन और मेंकरील मछलियों के पाये जाने से जो पिछले वर्ष २००,००० टन थी, क्या प्रभाव पड़ा है ?

†**श्री मो वें० कृष्णप्पा** : इस वर्ष की वृद्धि में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। पिछले वर्ष भाग्यवश केरल में २ लाख टन तेल वाली मछली मिली थीं किन्तु इससे केरल की खाद्य स्थिति बिल्कुल भिन्न हो गई। इस प्रकार २ लाख टन की पैदावार के कारण इस वर्ष भी प्रभाव पड़ा है।

†**श्री वें० प० नायर** : कम जल वाली जैसे मैंकरील और सारडीन मछलियों के अत्याधिक महत्व के कारण क्या इन कम जल में होने वाली मछलियों को अन्य स्थानों पर ले जाने का कोई कार्यक्रम बनाया गया है जिससे उनका उत्पादन जो आज अनियमित है, नियमित किया जा सके ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : गहरे समुद्र में मछली की खोज करने की परियोजना जो कोचीन में आरम्भ की गई है उसके द्वारा अब इस प्रश्न पर विचार किया जा रहा है कि इन मैंकरील और सारडीन किस्म की मछलियों को धारा के उस पार ले जाकर पश्चिमी तट में उन्हें ले जाया जाये।

सरदार अ० सि० सहगल : फ़िश के बीज को पैदा करने के लिए कौन कौन से तरीके काम में लाए गए है, खासकर उन जगहों में, जहां पर कि सैकंड फ़ाइव यीअर प्लान में सब से ज्यादा फ़िश पैदा की गई है, जैसे छत्तीसगढ़ डिविजन में ?

श्री मो० वें० कृष्णप्पा: इनलैंड फिश में राहू, काटला और मृगाल तीन प्रकार की मछली हैं, जिन को कार्प्स फ़िश कहा जाता है। इन के बीजों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कलकत्ता में इनलैंड

†मूल अंग्रेजी में

फिशरी स्टेशन ज्यादा काम कर रहा है, जिस के फलस्वरूप इस मछली का बीज हंड्रेड परसेन्ट ज्यादा हुआ है ।

सरदार अ० सिं० सहगल : मेरा सवाल यह है कि छत्तीसगढ़ के इलाके में, जहां पर सब से ज्यादा मछली पैदा हुई है, इस बारे में कौन से स्टेप्स लिए गए हैं ।

श्री मो वें० कृष्णप्पा : छत्तीसगढ़ डिविज़न में और जबलपुर के पास तालाब हैं, जिन का नाम मैं भूल गया हूं । श्री शुक्ल, एम० पी०, ने हम को एक पत्र लिखा था, जिस में एक वोट और फ़िशिंग क्लब स्टार्ट करने और फिशरमैन की मदद करने के बारे में लिखा था । यह सबजेक्ट हमारे अधिकार में नहीं है । इसलिए हम ने कुछ इंतज़ाम करने के लिए और आवश्यक कदम उठाने के लिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को एक पत्र लिखा है ।

†**श्री वि० च० शुक्ल :** क्या केन्द्रीय सरकार की कोई योजना उन मछुओं की सहकारी समितियों को सहायता देने की है जो भूमि वाले भाग में मछली का उत्पादन करते हैं, यदि हां, तो ऐसी समितियों को कितनी राशि दी गई है ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा :** हमने पिछले वर्ष तथा इससे पहले वर्ष में सभी राज्यों को कुल मिलाकर २२ लाख रुपये का अनुदान दिया था तथा २३ लाख रुपये ऋण दिये थे ।

†**श्री वि० च० शुक्ल :** मैं केवल भूमि वाले भाग के बारे में पूछ रहा हूं ।

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा :** यह राशि भूमि वाले तथा समुद्र दोनों के लिये मिलाकर है । मेरे पास अलग-अलग आंकड़े नहीं हैं । उदाहरण के लिये मध्य प्रदेश में समुद्र मीन क्षेत्र है ही नहीं, यह राशि भूमि वाले भाग के लिये दी जायेगी । हमने काफी निधि दे दी है और मैं ने मध्य प्रदेश के मंत्री को एक पत्र लिखा है कि वह इसके लिये बनने वाली सहकारी समिति को अधिक अनुदान दें ।

†**श्री कोडियान :** एक प्रश्न है श्रीमान् ।

†**अध्यक्ष महोदय :** अच्छा, माननीय सदस्य को यह अन्तिम अवसर दिया जाता है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** क्या माननीय मंत्री का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित किया गया है कि पश्चिमी बंगाल में इस वर्ष मछलियों का उत्पादन बहुत कम हुआ है और पश्चिमी बंगाल सरकार की गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की योजना में हानि बढ़ती जा रही है ? क्या इस मामले में कोई कार्यवाही की जा रही है क्योंकि देश के उस भाग में मछलियों से बड़ा मुनाफा कमाया जा रहा है ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा :** वास्तव में मैंने स्वयं एक बार डा० राय से कलकत्ता में मछली के संभरण की स्थिति के सम्बध में चर्चा की थी । यथार्थ में कलकत्ता की यह स्थिति संतोषजनक नहीं है कलकत्ता में प्रतिवर्ष लगभग ९०,००० टन मछली की मांग है, जब कि इस समय संभरण केवल ४०,००० टन है। इस ४०,००० टन मछली में से भी २०,००० टन मछली पाकिस्तान से आती है और पाकिस्तान से होने वाला संभरण भी पाकिस्तान की परिस्थितियों पर निर्भर करता है । वहां पर स्थिति बिगड़ते ही मछली का संभरण बन्द हो जाता है और उससे फिर कलकत्ते में स्थिति बिगड़ जाती है । मैं ने इस सम्बन्ध में हर प्रकार से प्रयत्न किया है कि गहरे समुद्र से मछली पकड़ने के कार्य से सम्बन्धित संगठन, जो कि इस समय पश्चिमी बंगाल के अधीन चल रहा है, केन्द्रीय

†मूल अंग्रेजी में

सरकार के अधीन ले लिया जाये, और वे इससे सहमत भी हो गये हैं और हम वहां पर मछली का उत्पादन बढ़ाने का भरसक प्रयत्न भी कर रहे हैं। परन्तु माननीया सदस्या से मेरा यह निवेदन है कि वे कलकत्ता के लोगों से यह कहें कि वे नदियों की मछलियों की अपेक्षा समुद्री मछलियों को अधिक इस्तेमाल किया करें। कलकता के लोग इस समय समुद्री मछलियों का इस्तेमाल करना पसन्द नहीं करते। परन्तु वास्तव में समुद्री मछली और नदियों की मछलियों में कोई अन्तर नहीं है।

†**श्री नाथपाई :** मछली पकड़ने के उपायों में सुधार करने के लिये नार्वे सरकार द्वारा केरल में एक परियोजना चलायी जा रही है। क्या इस से केरल में मछलियों के उत्पादन में कोई वृद्धि हुई है और क्या सरकार इस प्रयोग के परिणामों से देश के अन्य भागों में भी लाभ उठाने का विचार रखती है ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा :** वास्तव में, उत्पादन को बढ़ाने के लिये मछलियों का यंत्रों द्वारा पकड़ना अत्यन्त आवश्यक है। माननीय सदस्य पश्चिमी तट के रहने वाले हैं, और उन्हें मैं सूचित कर देना चाहता हूं कि बम्बई के कोंकण तट पर मछुवे एक साधारण सी नाव से केवल २० टन मछली प्रतिवर्ष पकड़ सकते थे। परन्तु इस समय वहां पर १,००० यंत्र युक्त नौकायें हैं और प्रत्येक यंत्रयुक्त नौका द्वारा प्रतिवर्ष १०० टन मछली प्राप्त हो रही है। इस का अर्थ यह है कि इस समय मछली का उत्पादन पांच गुना बढ़ गया है। यंत्र के बिना एक-एक नौका के द्वारा केवल २० टन मछली प्रतिवर्ष पकड़ी जाती थी, परन्तु अब वे नौकायें पचास साठ मील तक चली जाती हैं और १०० टन तक मछली पकड़ी जा सकती है। इसीलिये तो बम्बई में जहां प्रतिवर्ष मछली का उत्पादन केवल १२,००० टन था अब वह ४०,००० टन तक बढ़ गया है। बम्बई निगम से प्राप्त आंकड़ों से यह ज्ञात होता है कि आजकल वहां पर ४०,००० टन मछली की बिक्री होती है, जब कि पांच वर्ष पूर्व केवल १२,००० टन मछली की बिक्री होती थी।

†**श्री कोडियान :** क्या मछली उत्पादन में वृद्धि होने के परणिाम स्वरूप मछुवों की प्रति व्यक्ति आय में कोई वृद्धि हुई है ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा :** यह तो स्वभाविक है। उत्पादन बढ़ने से आय में भी तो वृद्धि होती है। मछली के निर्यात, देश के आन्तरिक भागों में मछली के उचित वितरण और नार्वे परियोजना के अधीन प्रारम्भ किये गये फ्रीजिंग स्टेशनों के कारण और पिछले दो वर्षों में सरकार द्वारा लगाये गये कोल्ड स्टोरेज प्लान्टों के कारण अब मछुवें ऐसा महसूस करने लगे हैं कि उनकी आय बढ़ रही है।

डमडम हवाई अड्डे का विकास

+

†*४३. { **श्री ही० ना० मुकर्जी :**
श्री मोहम्मद इलियास :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डमडम हवाई अड्डे को जेट जहाज़ों के उड़ने और उतरने के लिये उपयुक्त बनाने के कार्य में कोई प्रगति हुई है ; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) : (क) सरकार ने डमडम हवाई अड्डे पर जेट जहाज़ों के आने जाने की सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से हवाई अड्डे के धावन मार्गों के विस्तार तथा अन्य प्रकार के विकास कार्यों की एक योजना को हाल ही में मंजूरी दी है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†श्री ही० न० मुकर्जी : कलकत्ता के हवाई अड्डे पर जेट जहाज़ों के लिए व्यवस्था होने में देर लगने से क्या इस बात का भय नहीं है कि अन्तर्राष्ट्रीय यातायात के लिए कलकत्ता जैसे महत्त्वपूर्ण हवाई अड्डे को ही छोड़ दिया जाये ? इस खतरे से बचने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†श्री मुहीउद्दीन : धावन मार्गों के निर्माण का कार्यक्रम इस प्रकार से तैयार किया गया है कि जेट हवाई जहाज़ों की उड़ान प्रारम्भ होने तक डमडम हवाई अड्डे पर ये धावन मार्ग तैयार हो जायेंगे।

†श्री मोहम्मद इलियास : डमडम हवाई अड्डा पूर्वी देशों में सब से बड़ा और सब से अधिक महत्वपूण हवाई अड्डा है, परन्तु यह बड़े खेद की बात है कि वहां पर यात्रियों और उनके मित्रों के ठहरने के लिए कोई अच्छा प्रबन्ध नहीं है और न ही वहां पर सूचना आदि के सम्बन्ध में घोषणा करने का कोई संतोषजनक प्रबन्ध है। सरकार वहां पर जेट जहाज़ों के आवागमन प्रारम्भ होने से पूर्व ही उक्त प्रबन्धों के सम्बन्ध में स्थिति को सुधारने के लिए क्या-क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

†श्री मुहीउद्दीन : जहां तक घोषणाएं करने के प्रबन्ध का सम्बन्ध है, मुझे उस बारे में ठीक-ठीक ज्ञान नहीं है। मेरा ख्याल है कि उसका प्रबन्ध अच्छा है । जहां तक टर्मिनल बिल्डिंग का सम्बन्ध है, हम उसके निर्माण के प्रश्न पर सक्रिय रूप से विचार कर रहे हैं ।

†श्री जयपाल सिंह : क्या सान्ता क्रूज़ में बनायी गयी नई इमारत से हमें जो कटु अनुभव हुआ है, क्या उसे डमडम हवाई अड्डे का विकास करते समय ध्यान में रखा जायेगा, क्योंकि जेट हवाई जहाज़ों के लिए हवाई अड्डे पर दुगने यात्रियों के लिए प्रबन्ध करना पड़ेगा ?

†परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल) : सान्ता क्रूज़ के सम्बन्ध में हमें कोई कटु अनुभव नहीं हुआ है, परन्तु फिर भी डमडम के विकास के समय इन सभी बातों को ध्यान में रखेंगे ।

†श्री त० ब० विट्ठलराव : डमडम हवाई अड्डे के विकास की जिस योजना को सरकार ने मंजूर कर लिया है, उसके लिए कुल कितनी राशि निर्धारित की गयी है ?

†श्री मुहीउद्दीन : मंजूर की गयी सभी योजनाओं के विवरण मेरे पास हैं। डमडम हवाई अड्डे के विकास के लिए लगभग $3^1/_2$ करोड़ रुपयों की आवश्यकता होगी ।

तुंगभद्रा उच्च स्तर नहर योजना

+
†*४४. { श्री नागी रेड्डी :
श्रीमती पार्वती कृष्णन् :
श्री दामानी :
श्री रामी रेड्डी :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने आन्ध्र प्रदेश सरकार से यह प्रार्थना की है कि तुंगभद्रा उच्च स्तर नहर योजना को विभिन्न उपयुक्त प्रावस्थाओं में पूरा किया जाये ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो योजना को प्रावस्थाओं में कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में दिये गये सुझावों के ब्योरे क्या-क्या हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) आन्ध्र प्रदेश और मैसूर राज्य की सरकारों को यह परामर्श दिया गया है कि वे तुंगभद्रा उच्च स्तर नहर परियोजना को दो प्रावस्थाओं में पूरा करें और उनसे यह भी कहा गया है कि वे योजना की प्रथम प्रावस्था के सम्बन्ध में एक संयुक्त प्रतिवेदन और विस्तृत प्राक्कलन भेजें। उनसे यह भी प्रार्थना की गयी है कि वे निर्माण कार्य का प्रावस्थावार कार्यक्रम भेजें और यह भी बतायें कि द्वितीय पंच वर्षीय योजना की शेष अवधि और तृतीय पंच वर्षीय योजना काल में कितनी राशि उपलब्ध हो सकती है ? और उक्त अवधि में स्वीकृत परियोजनाओं के लिए उन्हें कितनी राशि की आवश्यकता है।

(ख) सब से पहले योजना की प्रथम प्रावस्था प्रारम्भ की जायेगी जिसके अन्तर्गत लगभग १,८३,००० एकड़ भूमि की सिंचाई की जा सकेगी और इस पर लगभग १२ करोड़ रुपयों की लागत आयेगी। यह एक स्वयंपूर्ण परियोजना होगी और सिंचाई तथा विद्युत् परियोजना सम्बन्धी मंत्रणा समिति की सिफ़ारिश के अनुसार उसमें निम्नलिखित कार्य सम्मिलित होंगे :

१. हेड से ११६ मील तक उच्च स्तर नहर का निर्माण।

२. उरुवकोण्डा कट का निर्माण।

३. मिड-पेन्नार रेगुलेटर।

४. मिड-पेन्नार नार्थ कैनाल।

५. मिड-पेन्नार साउथ कैनाल।

†**श्री नागी रेड्डी** : राज्य सरकार द्वारा केन्द्र को अपनी मूल योजना कब भेजी गयी थी, और क्या केन्द्रीय सरकार ने योजना को पूर्ण रूपेण स्वीकार कर लिया है ?

†**श्री हाथी** : मूल योजना को योजना आयोग की मंत्रणा समिति ने प्रविधिक दृष्टि से स्वीकार नहीं किया है।

†**श्री नागी रेड्डी** : मूल योजना के स्वीकार न किये जाने के कौन-कौन से मुख्य प्रविधिक कारण थे ?

†**श्री हाथी** : मूल योजना में २१.९ करोड़ रुपयों का खर्च बताया गया था। मंत्रणा समिति ने यह महसूस किया कि यह खर्च सिंचाई योजनाओं के उत्पादन के लिए निर्धारित स्तर के अन्तर्गत नहीं आता। परन्तु, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यह योजना रायलसीमा के अकाल ग्रस्त क्षेत्रों के लिए लाभकारी सिद्ध हो सकती है, इस योजना को अब स्वीकार कर लिया गया है और यह सुझाव दिया गया है कि इसे दो प्रावस्थाओं में पूरा किया जाये; प्रथम प्रावस्था पर लगभग १२ करोड़ रुपयों और दूसरी पर लगभग ९ करोड़ रुपयों का खर्च आयेगा।

†**श्री रामी रेड्डी** : क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से यह प्रार्थना की है कि सम्पूर्ण योजना को मंजूर कर दिया जाये, भले ही उसे दो प्रावस्थाओं में पूरा किया जाये।

†**श्री हाथी** : राज्य सरकार ने तो अपनी पूरी योजना योजना आयोग के पास भेजी थी, परन्तु मंत्रणा समिति का यह सुझाव है कि इसे दो प्रावस्थाओं में लिया जाये।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दासप्पा** : प्रथम प्रावस्था कब तक पूरी हो जायेगी ?

†**श्री हाथी** : मैं नहीं बता सकता कि प्रथम प्रावस्था कब तक पूरी हो जायेगी, परन्तु इसके विस्तृत प्राक्कलन तैयार होते ही इसका कार्य प्रारम्भ किया जा सकता है, और इस चालू योजना में प्रथम प्रावस्था के लिए व्यवस्था कर दी गयी है ।

†**श्री दासप्पा** : क्या सरकार को इस बात का कोई अनुमान नहीं है कि इसकी प्रथम प्रावस्था कब तक पूरी हो जायेगी ?

†**श्री हाथी** : वास्तव में, कुल १२ करोड़ रुपयों की राशि में से ६.२ करोड़ रुपये प्रथम प्रावस्था के लिए निर्धारित किये गये हैं । इसलिए इसका यह अर्थ है कि इस भाग पर पूर्ण योजना पूरी होने से कुछ कम समय लगेगा ।

†**श्रीमती पार्वती कृष्णन्** : इस की दूसरी प्रावस्था क्या है ? विवरण में तो केवल प्रथम प्रावस्था के सम्बन्ध में ही जानकारी निहित है ?

†**श्री हाथी** : दूसरी प्रावस्था पर लगभग ९ करोड़ रुपयों की लागत आयेगी ।

†**श्रीमती पार्वती कृष्णन्** : उसके ब्योरे क्या हैं ?

†**श्री दासप्पा** : इसके अधीन कितने एकड़ भूमि पर खेती-बाड़ी हो सकेगी ?

†**श्री हाथी** : सम्पूर्ण योजना के अधीन तो कुल ३.८ लाख एकड़ भूमि पर सिंचाई की जा सकेगी, उन में से प्रथम प्रावस्था में १,८३,००० एकड़ भूमि की सिंचाई की जा सकेगी ।

†**श्री वेंकटा सुब्बैया** : क्या इस प्रथम प्रावस्था के अधीन आन्ध्र प्रदेश और मैसूर दोनों राज्यों की भूमि की सिंचाई हो सकेगी, याकि केवल किसी एक ही राज्य की भूमि की सिंचाई होगी ?

†**श्री हाथी** : मेरा अनुमान है कि दोनों राज्यों के कुछ भागों की सिंचाई की जा सकेगी ।

†**श्री विश्व नाथ रेड्डी** : श्री रामी रेड्डी द्वारा पूछे गये प्रश्न का अभी तक उत्तर नहीं मिला है। प्रश्न यह था कि क्या सारी की सारी योजना को स्वीकार कर लिया गया है या नहीं ?

†**श्री हाथी** : जैसा कि मैंने बताया है, फिलहाल तो केवल प्रथम प्रावस्था को ही मंजूर किया गया है ।

†**श्री नागी रेड्डी** : हम यही तो उत्तर चाहते थे । परन्तु बात वास्तव में यह है कि यदि सारी योजना मंजूर की जाती और उसे फिर प्रावस्थाओं में कार्यान्वित किया जाता तो उससे सम्पूर्ण योजना की कार्यान्विति संभव हो सकती । हम यह पूछना चाहते हैं कि केन्द्रीय सरकार सम्पूर्ण योजना को स्वीकार न करने पर इतनी जिद्द क्यों कर रही है ?

†**श्री हाथी** : इसमें केन्द्रीय सरकार की ओर से जिद्द करने का कोई प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता । इसमें तो प्रश्न इस बात का है कि इसके लिए पर्याप्त संसाधन कहां से प्राप्त किये जायें । संभवतः माननीय सदस्य को ज्ञात ही होगा कि आन्ध्र प्रदेश में द्वितीय योजना से तृतीय योजना तक की अवधि में सिंचाई पर ७० करोड़ रुपयों का खर्च होगा । अतः हमें यह भी देखना होता है कि हमारे पास कितना वित्त उपलब्ध है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रश्नों के लिखित उत्तर

विलिंगडन अस्पताल में डाक्टरों की कमी

†*३६. **श्री संगण्णा** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विलिंगडन अस्पताल दिल्ली में नर्सों और अस्पताल के सर्जिकल विभाग में डाक्टरों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) कमी को पूरा करने के लिए सरकार क्या-क्या कार्यवाही कर रही है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) और (ख). विलिंगडन अस्पताल के सर्जिकल विभाग में डाक्टरों की कोई कमी नहीं है। जहां तक नर्सों का सम्बन्ध है, उनके १७ स्थान अभी तक खाली पड़े हुए हैं।

(ग) नर्सों के रिक्त स्थानों को विज्ञापित कर दिया गया है।

भारतीय कृषि गवेषणा परिषद्

†*४५. **श्री वि० च० शुक्ल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री १२ अगस्त, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ७६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि उत्पाद उपकर अधिनियम, १९४० के अधीन लगाये जाने वाले उपकर को बढ़ाने के सम्बन्ध में भारतीय कृषि गवेषणा परिषद् द्वारा दी गई सिफारिशों के बारे में निर्णय करने में इतनी देरी क्यों लगा रही है ; और

(ख) इस बारे में कब तक निर्णय कर लिया जायेगा ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)**: (क) उपकर को यथामूल्य १/२ प्रतिशत से बढ़ा कर १ प्रतिशत कर देने की योजना में कई उलझनें सम्मिलित हैं, और उन पर विचार किया जा रहा है।

(ख) कोई अवधि निश्चित करना कठिन है।

बीज फार्म

†*४६. **श्री रा० च० माझी** : क्या **खाद्य तथा कृषी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष में बीज फार्म स्थापित करने के सम्बन्ध में क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ;

(ख) क्या उस लक्ष्य को निर्धारित अवधि में पूरा किया जा सकेगा ; और

(ग) क्या बीज फार्मों के लिये भूमि प्राप्त करने की समस्या हल कर दी गई है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) १५८७ फार्म।

(ख) आशा है कि १५१९ फार्म स्थापित किये जा सकेंगे।

(ग) भूमि प्राप्त करने की समस्या बहुत सीमा तक हल हो गई है, उस के लिये भूमि के लिये केन्द्रीय सहायता को ५०० रुपये प्रति एकड़ से बढ़ा कर १५०० रुपये कर दिया गया है और इस प्रयोजन के लिये भूमि प्राप्त करने की प्रक्रिया को भी सरल बना दिया गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

भारतीय कृषि गवेषणा संस्था

†*४७. **श्री दामानी :**
श्री नागी रेड्डी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कृषि गवेषणा संस्था के स्नातकोत्तर स्कूल में, जिस का कि हाल ही में उद्घाटन किया गया है, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) प्रशिक्षण के लिये विद्यार्थियों को प्रवेश करने का क्या तरीका है और इस समय राज्य-वार कितने विद्यार्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) और (ख). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १७]**

कलकत्ता में जल संभरण तथा जल निस्सारण व्यवस्था

†*४८. **श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :**
श्री हाल्दर :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कलकत्ता में जल संभरण की व्यवस्था को सुधारने की एक योजना तैयार करने के लिये विशेषज्ञों का एक दल भेजने के सुझाव को स्वीकार कर लिया है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : जी, हां । विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वृहद् कलकत्ता में जल संभरण की व्यवस्था को सुधारने की एक योजना तैयार करने के लिये १९६० में तीन मास की अवधि के लिये एक सर्वेक्षण दल भेजने के सुझाव को स्वीकार कर लिया है ।

द्विभाषी टेलीप्रिंटर

*४९. **श्री भक्त दर्शन :**
श्री नवल प्रभाकर :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री २० अगस्त, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या २९१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच अंग्रेजी और हिन्दी के जापानी द्विभाषी टेलीप्रिंटर की उपयोगिता की जांच कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ; और

(ग) उस निर्णय को कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल) : (क) जी हां ।

(ख) सरकार इस निर्णय पर पहुंची है कि अंग्रेजी और हिन्दी के द्विभाषी टेलीप्रिंटर के प्रयोग में लाये जाने से कोई व्यवहारिक लाभ प्राप्त नहीं किया जा सकता है ।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

टोकियो जाने वाला प्रतिनिधि मण्डल

*५०. श्री विभूति मिश्र :
श्री प्र० के० देव :
श्री वि० च० प्रधान :

क्या **खाद्य तथा कृषी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अभी हाल ही में संघ के सहकारी मंत्री के नेतृत्व में एशिया और सुदूरपूर्व के चतुर्थ खाद्य तथा कृषि प्रादेशिक सम्मेलन तथा अन्तर्राष्ट्रीय चावल आयोग के छठे सेशन में भाग लेने के लिये एक प्रतिनिधि मण्डल टोकियो (जापान) गया था ; और

(ख) क्या वहां पर किये गये निर्णयों की प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन): (क) जी हां ।

(ख) सम्मेलनों की सरकारी रिपोर्ट एफ० ए० ओ० (खाद्य तथा कृषि संगठन) से प्राप्त होते ही, सभा की टेबिल पर रख दी जायेगी ।

"भारत आइये वर्ष"[1]

†*५१. श्री जाधव :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री १० सितम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ११०८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६१ को 'भारत आइये वर्ष' के रूप में मनाने के प्रस्ताव के सम्बन्ध में अंतिम रूप से निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस के लिये क्या क्या विशेष प्रबन्ध किये जायेंगे ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : (क) अभी नहीं । सरकार अभी भी उस पर विचार कर रही है । भारत सरकार के विभिन्न विभागों तथा अन्य सम्बद्ध अभिकरणों से परामर्श किया जा रहा है ।

(ख) प्रश्न अभी उत्पन्न नहीं होता ।

भाखड़ा बांध परियोजना

†*५२. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भाखड़ा बांध परियोजना से कितना वार्षिक राजस्व प्राप्त होता है ; और

(ख) जिस समय उस परियोजना के सिंचाई जल और विद्युत का पूरा पूरा उपयोग होने लगेगा, उस समय उस से कितना वार्षिक राजस्व प्राप्त होगा ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)**: (क) और (ख) . पंजाब और राजस्थान की सरकारों से जानकारी एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[1]"Visit India Year."

सम्बलपुर टिटिलागढ़ रेलवे लाइन

†*५३. **श्री वि० च० शुक्ल :**
श्री संगण्णा :
श्री वाजपेयी :
श्री उ० ल० पाटिल :

क्या **रेलवे** मंत्री १६ अगस्त, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १६६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सम्बलपुर-टिटिलागढ़ रेलवे लाइन के क्षेत्र सर्वेक्षण के बारे में रिपोर्ट तैयार हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उस की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री से० वे० रामस्वामी)** : (क) और (ख). अन्तिम स्थान सर्वेक्षण पूरा हो गया है, और आशा है कि सत्यापित प्रतिवेदन शीघ्र ही प्राप्त हो जायेगा ।

डाक तथा तार विभाग की हड़ताल के दौरान स्वैच्छिक सेवा करने वाले व्यक्तियों के लिये नौकरी

†*५४. **श्री जं० ब० सिं० विष्ट:** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री डाक तथा तार विभाग में हड़ताल के समय स्वैच्छिक सेवा करने वाले व्यक्तियों के सम्बन्ध में २६ अप्रैल, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १८५५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उनमें से अभी तक कितने व्यक्तियों को रखा जा चुका है और कितने अभी रहते हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : डाक तथा तार विभाग के विभिन्न सर्कलों और अधीनस्थ दफ्तरों से जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

भाखड़ा बांध

†*५५. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री राम कृष्ण :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री २३ सितम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १५०९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भाखड़ा बांध के निर्माण में अभी तक और कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) सब से गहरे आधार के स्तर पर ऊपर की ओर कितनी ऊंची और कितनी लम्बी कंक्रीट की दीवार अभी तक तैयार हो चुकी है ;

(ग) बांध पर अभी तक कुल कितनी राशि खर्च की जा चुकी है ; और

(घ) क्या सम्पूर्ण कार्य पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार हो रहा है ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) अक्तूबर, १९५८ के अन्त तक भाखड़ा बांध और भाखड़ा के बायीं ओर के विद्युत कारखाने की इमारत के निर्माण में २९,५०,००,००० घन गज़ कंक्रीट इस्तेमाल की जा चुकी थी; अर्थात् कुल डाली जाने वाली कंक्रीट में से ५६.३ प्रतिशत कंक्रीट डाली जा चुकी है । द्वितीय प्रावस्था के लिये कंक्रीट डालना प्रारम्भ कर दिया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) बांध के साथ साथ एक सिरे से दूसरे सिरे तक कंक्रीट डाली जा रही है। इस समय सबसे गहरी नींव के ऊपर दीवार की औसत ऊंचाई ३९० फुट है, और सबसे ऊंचा ब्लाक ४१४ फुट ऊंचा है। ई० एल० १३५० पर, जिस के औसत स्तर पर अभी तक बांध बनाया गया है, बांध की लम्बाई लगभग ७५० फुट है। आधार पर लम्बाई ३२५ फुट है और जब बांध बन कर ७४० फुट ऊंचा तैयार हो जायेगा तो चोटी पर उसकी लम्बाई १७०० फुट हो जायेगी। अगस्त, १९५८ के उपरान्त केवल बायीं ओर के विद्युत् कारखाने की इमारत के लिये ही कंक्रीट डाला गया है।

(ग) जुलाई, १९५८ के अन्त तक ५०,४२,००,००० रुपये।

(घ) जी, हां।

डाक तथा तार कर्मचारियों के लिये औषधालय[1]

†*५६. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री २० अगस्त, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ६३३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक तथा तार कर्मचारियों के लिये प्रस्थापित ९ पूर्ण कालिक औषधालयों में से कोई औषधालय स्थापित किया जा चुका है ;

(ख) यदि हां, तो किस स्थान पर ;

(ग) क्या इन औषधालयों के स्थान पर चलते फिरते यूनिट चलाने के सम्बन्ध में कोई सुझाव प्राप्त हुए हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उसकी क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल)**: (क) और (ख). जी, नहीं। कानपुर में डाक्टर नियुक्त करने के बारे में आदेश जारी किये जा चुके हैं। पोस्ट मास्टर जनरल, पटना को इस बात का अधिकार दिया गया है कि वह पटना में डाक्टर नियुक्त कर सकता है। आशा है कि इन दो स्थानों पर औषधालय शीघ्र ही कार्य आरम्भ कर देंगे।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

जापान मे जहाजों की खरीद

†*५७. **श्री राम कृष्ण** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री २ सितम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ८२६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जहाज़ खरीदने के लिये किसी गैर-सरकारी जापानी सार्थ से डालर ऋण लेने के सम्बन्ध में बातचीत अब पूरी हो गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य मुख्य शर्तें क्या हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : (क) जी, नहीं। अभी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में
[1] Dispensaries.

ऑटोमेटिक टेलीफोन एक्सचेंज[1]

†*५८. **श्री तंगामणि** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार महत्वपूर्ण केन्द्रों में ऑटोमेटिक टेलीफोन एक्सचेंज आरम्भ करने का विचार रखती है ;

(ख) मद्रास सर्कल में अभी तक ऐसे कितने एक्सचेंज स्थापित किये गये हैं ; और

(ग) मद्रास सर्कल में ऑटोमेटिक टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना कब तक पूरी हो जायेगी ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : (क) जी हां ।

(ख) १०० लाइनों के अत्यन्त छोटे ऑटोमेटिक यूनिटों को छोड़ कर छः एक्सचेंज स्थापित किये गये हैं ।

(ग) ऑटोमेटिक एक्सचेंज की स्थापना एक अनवरत प्रक्रिया है किन्तु यह वित्तीय, टेक्नीकल और समुचित व्यक्ति सम्बन्धी संसाधनों के उपलब्ध होने पर निर्भर है । द्वितीय योजना अवधि में जो आठ ऑटोमेटिक एक्सचेंज लगाने का कार्यक्रम था उसके १९६१–६२ में पूरा होने की आशा है ।

डाक तथा तार कर्मचारियों के लिये वर्दियां

†*५९. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री १६ अगस्त, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १७७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि डाक तथा तार निदेशालय की 'वर्दी समिति' द्वारा की गई उस सिफारिश के बारे में सरकार ने क्या निर्णय किया है जिसके अनुसार डाक तथा तार कर्मचारियों के किन्हीं वर्गों की वर्दियों के लिये खादी का प्रयोग बन्द कर दिया गया है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : इस रिपोर्ट का अभी परीक्षण किया जा रहा है ।

रेलवे कर्मचारियों के बच्चों के लिये होस्टल

†*६०. **श्री स० चं० सामान्त :**
श्री बर्मन :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री पाणिग्रही :

क्या **रेलवे** मंत्री २५ अगस्त, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ४३९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण पूर्व रेलवे के खड़गपुर और कटक में रेलवे कर्मचारियों के बच्चों के लिये सरकारी सहायता प्राप्त दो होस्टल स्थापित करने के प्रस्ताव की कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) क्या इसके लिये स्थान का चुनाव कर लिया गया है ;

(ग) इन होस्टलों में कितने विद्यार्थी रह सकते हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Automatic Telephone Exchange.

(घ) इन होस्टलों की निर्माण लागत कितनी होगी ; और

(ङ) इन होस्टलों में रहने वाले विद्यार्थियों को किन-किन शिक्षण संस्थाओं का लाभ मिल सकेगा ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाह नवाज खां)** : (क) और (घ): योजना एवं प्राक्कलन तैयार किये जा रहे हैं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) खड़गपुर के होस्टल में १५० विद्यार्थी रह सकेंगे और कटक स्थित होस्टल में १०० विद्यार्थियों के लिये स्थान है ।

(ङ) एक विवरण नीचे दिया गया है ।

विवरण

संस्थाएं	खड़गपुर	कटक
रेलवे द्वारा प्रबन्धित		
हाई-स्कूल	३	—
मिडिल स्कूल	१	—
प्राइमरी स्कूल	१	—
रेलवे द्वारा प्रबन्धित के अतिरिक्त		
कालेज	१	८
टैक्नीकल संस्थाएं	१	—
हाई स्कूल	८	१६
मिडिल स्कूल	५	५
प्राइमरी स्कूल	१९	६५

स्वच्छता तथा जन स्वास्थ्य की अखिल भारतीय संस्था कलकत्ता[1]

†*६१. **श्री रामकृष्ण :**
श्री श्रीनारायण दास :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता स्थित स्वच्छता एवं जन स्वास्थ्य की अखिल भारतीय संस्था में निवारक और सामाजिक चिकित्सा विज्ञान के अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिये एक 'स्नातकोत्तर कोर्स' प्रारम्भ करने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो यह योजना किस अवस्था में है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]All India Institue of Hygiene and Public Health Calcutta.

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) भारत सरकार ने उपरोक्त 'कोर्स' के लिये संस्था को स्वीकृति प्रदान कर दी है ।

(ख) उक्त 'कोर्स' जून, १९५९ से प्रारम्भ होने वाले वर्ष से चालू होगा ।

अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना

†*६२. **श्री तंगामणि** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना दिल्ली में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्म-भारित कर्मचारियों पर भी लागू होती है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी नहीं ।

(ख) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के वे कार्यभारित कर्मचारी जिन्हें अभी नियमित कर्मचारी नहीं बनाया गया है चिकित्सा सहायता नियमों के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने के पात्र नहीं हैं ।

दिल्ली में सड़क दुर्घटनायें

†४०. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में सड़क दुर्घटनायें बढ़ रही हैं ;

(ख) १९५८ के सितम्बर, अक्तूबर और नवम्बर में अभी तक कुल कितनी दुर्घटनायें हुई हैं;

(ग) उन दुर्घटनाओं की कितनी संख्या है जिनमें व्यक्ति मरे हैं ;

(घ) इन दुर्घटनाओं और १९५७ में इसी अवधि में हुई दुर्घटनाओं की तुलनात्मक स्थिति क्या है ; और

(ङ) दिल्ली में सड़क दुर्घटनायें रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : (क) से (ङ). लोक-सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट १, अनुबंध संख्या १८]

विदेशी पर्यटकों से अर्जित विदेशी मुद्रा

†४१. **श्री दी० चं० शर्मा** :
श्री जाधव :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८ में अभी तक भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों से अर्जित विदेशी मुद्रा के रूप में भारत को कितनी आय हुई ; और

(ख) १९५७ की इसी अवधि में हुई आय और उपरोक्त आय की क्या तुलनात्मक स्थिति है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : (क) रिजर्व बैंक आफ इण्डिया प्रत्येक वर्ष में अर्जित विदेशी मुद्रा के आंकड़े वर्ष के अनुसार रखता है उसके अलग-अलग अंशों के नहीं। अतः पहली जनवरी, १९५८ से बाद के विदेशी मुद्रा आय के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

हिमाचल प्रदेश में नहरें

४२. **श्री पद्म देव :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री सभा-पटल पर एक ऐसा विवरण रखने की कृपा करेंगे कि जिसमें निम्न बातें दी गई हों :—

(क) हिमाचल प्रदेश में प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बनाई गई कितनी नहरें चालू हैं और कितनी बन्द हो गई हैं;

(ख) जो नहरें इस समय चालू नहीं हैं उन्हें चालू करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है;

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में कितनी नई नहरें बनाई गईं ;

(घ) कितनी योजनाओं का निर्माण-कार्य प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत शुरू किया गया और द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में पूर्ण हुआ; और

(ङ) दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इस दिशा में अब तक कितना व्यय हुआ है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) से (ङ). पूछी हुई जानकारी इकट्ठी की जा रही है और थोड़े ही समय में सभा की टेबिल पर रख दी जायगी।

हिमाचल प्रदेश परिवहन विभाग

४३. **श्री पद्म देव :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री एक ऐसा विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंग जिसमें यह बताया गया हो कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने आज तक परिवहन विभाग के अन्तर्गत गाड़ियों की खरीद, भवनों और गोदामों के निर्माण और वर्कशाप की मशीनरी आदि की खरीद पर कितना व्यय किया ?

परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल) : मांगी गई सूचना के बारे में एक विवरण नीचे दिया गया है :—

विवरण

गाड़ियों की खरीद		**रुपये**
(क) पूंजीगत लेखा		३९,६५,२०९
(ख) मूल्यह्रास पूजी .	.	१३,५२,५८९
	कुल	५३,१७,७९८
इमारतों और गोदामों के बनाने पर .		३,०४,६४६
मशीनरी की खरीद पर .		३,१४,७६५
	कुल खर्च	५९,३७,२०९

†मूल अंग्रेजी में

हिमाचल प्रदेश परिवहन विभाग

४४. **श्री पद्म देव** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री सभा-पटल पर एक ऐसा विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें निम्नलिखित बातें दी गई हों :—

(क) हिमाचल प्रदेश के परिवहन विभाग को १९५८-५९ में अब तक कुल कितनी आय हुई;

(ख) इस आय में से कितनी आय उन निजी मालिकों से जिन्हें राष्ट्रीय-कृत मार्गों पर गाड़ी चलाने की अनुमति दी गई, २५ प्रतिशत का अतिरिक्त प्रभार लगाने के परिणामस्वरूप हुई; और

(ग) सामान और यात्रियों के परिवहन से अलग अलग कुल कितनी आय हुई ?

परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल) : (क) से (ग). हिमाचल प्रदेश प्रशासन से सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथा समय सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

रेलवे का विद्युतीकरण

४५. **श्री पद्म देव** : क्या **रेलवे** मंत्री एक ऐसा विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह बताया गया हो कि भारतीय रेलों के निम्नलिखित सेक्शनों के विद्युतिकरण में अभी तक कितनी प्रगति हुई है तथा उन पर कितना व्यय हुआ है :—

हावड़ा-बर्दवान सेक्शन,

दुर्गापुर-गया सेक्शन ,

दुर्गापुर डाक-लाइन,

हावड़ा-खड़गपुर सेक्शन,

गया-मुगलसराय सेक्शन,

खड़गपुर-टाटानगर सेक्शन,

आसनसोल-सीनी-टाटानगर, रूरकेला और कन्धारा-गोमहरिया, राजखर-सवां-नोआमं ी सेक्शन ।

रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वे० रामस्वामी) : एक बयान साथ नत्थी है ।
(परिशिष्ट 'अ')

नई लाइनें

४६. **श्री पद्म देव** : क्या **रेलवे** मंत्री सभा-पटल पर एक ऐसा विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें निम्न बातें दी गयी हों :—

(क) चालू वर्ष में कितनी नयी लाइनों का निर्माण हुआ, कितनी वर्तमान लाइनों को बढ़ाया गया और कितनी पुरानी लाइनें बदली गयीं; और

(ख) उन पर अब तक कितना व्यय किया गया ?

रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी): (क) और (ख). एक बयान सभा-पटल पर रख दिया गया है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या २०]**

तपेदिक से पीड़ित डाक तथा तार कर्मचारी

†४७. **श्री स० म० बनर्जी** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ अक्तूबर, १९५८ को प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कितने कितने डाक तथा तार कर्मचारी तपेदिक से पीड़ित थे; और

(ख) उन्हें समुचित चिकित्सा सुविधाएं देने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल)**: (क) तपेदिक से पीड़ित बताये जाने वाले ऐसे डाक तथा तार कर्मचारियों की संख्या, जिन्होंने डाक तथा तार सर्कलों के प्रधान अधिकारियों के पास नाम पंजीकृत कराये हैं, इस प्रकार है :—

प्रथम और द्वितीय श्रेणी . . .	एक भी नहीं
तृतीय श्रेणी . . .	१५२
चतुर्थ श्रेणी	७३

(ख) डाक तथा तार विभाग के तपेदिक से पीड़ित कर्मचारियों को केन्द्रीय सेवा चिकित्सा सहायता नियमों के अधीन तपेदिक के निदान और परामर्श सम्बन्धी सुविधाएं उपलब्ध हैं । इसके अतिरिक्त विभाग ने देश के विभिन्न भागों में स्थित मान्यता प्राप्त टी० बी० सेनेटोरियमों में १५१ शय्याएं रिजर्व की हैं । इन में कर्मचारियों का निःशुल्क इलाज किया जाता है अतः तपेदिक के पीड़ित अधिकांश कर्मचारी रिजर्व "शय्याओं" में समुचित इलाज करा रहे हैं और अधिक "शय्याएं" रिजर्व कराने का प्रश्न विचाराधीन है ।

मध्य प्रदेश में वन्य पशुओं का संरक्षण

†४८. **श्री वि० च० शुक्ल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंच वर्षीय योजना में वन्य पशु संरक्षण के लिए आवंटित १३५.०४ लाख रुपये में से योजना की शेष अवधि में कितनी रकम और देने का प्रस्ताव है तथा पहले कितनी रकम दी गई है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : १३५.०४ लाख रुपये के कुल उपबंध में से मध्य प्रदेश सरकार का अंश ६.४४ लाख रुपये है । उस में से केन्द्रीय सरकार का अंश अनावर्ती खर्च का पचास प्रतिशत है । द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रथम दो वर्षों में कुल खर्च ११८,००० रुपये हुआ था उस में से केन्द्रीय अनुदान ३३,९०० रुपये था । १९५८-५९ में कुल खर्च का अनुदान ६८,००० रुपये है । इस में केन्द्रीय अनुदान १६,००० रुपये होगा । अतः प्रथम तीन वर्ष में कुल खर्च १८६,००० रुपये होगा जिस में केन्द्रीय सरकार का अंश ४६,९०० रुपये है । द्वितीय पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में खर्च की संभावना राज्यों के प्रस्तावों पर निर्भर है ।

द्वितीय बनिहाल सुरंग

†४९. **श्री राम कृष्ण** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय बनिहाल सुरंग के निर्माण के बारे में कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) अभी तक कितनी रकम खर्च की गई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : (क) जवाहर सुरंग की जो बनिहाल के समीप दूसरी सुरंग है, पश्चिमी और पूर्वी ट्यूबों की प्रगति नीचे दी गई है :

---

†मूल अंग्रेजी में

पश्चिमी ट्यूब

(१) पाइलट हेडिंग पूरा हो गया है ।

(२) पूरे सेक्शन को चौड़ा करने का काम पूरा हो गया है ।

(३) सम्पर्क कार्य का ९२ प्रतिशत भाग पूरा हो गया है ।

(४) रोडवे, फुटपाथ इत्यादि सम्बन्धी काम चल रहा है ।

पूर्वी ट्यूब

(१) पाइलट हेडिंग पूरा हो गया है ।

(२) पूरे सेक्शन को चौड़ा करने का काम लगभग ५४ प्रतिशत सम्पन्न हो गया है ।

(ख) ३० सितम्बर, १९५८ तक १४६.६७ लाख रुपये ।

रेलवे मंत्रालय में कर्मचारी

†५०. **श्री राम कृष्ण :** क्या रेलवे मंत्री रेलवे मंत्रालय में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के असिस्टेंटों और क्लर्कों की संख्या बताने की कृपा करेंगे ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :**

१५ नवम्बर, १९५८ तक

(१) अनुसूचित जातियों के

असिस्टेंट .	२८
क्लर्क	७६

(२) अनुसूचित आदिम जातियों के

असिस्टेंट .	एक भी नहीं ।
क्लर्क	३

तार उपकरण[1]

†५१. **श्री तंगामणि :** क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक तथा तार विभाग के तार इंजीनियरिंग सैक्शन के लिये भारत में निर्मित उपकरण का वार्षिक मूल्य कितना है ;

(ख) इस प्रकार के उपकरण विदेशों से हर वर्ष कितने मूल्य के मंगाये जाते हैं ;

(ग) उपरोक्त भाग (क) और (ख) में निर्दिष्ट मशीनों का ब्यौरा पृथक-पृथक क्या है ; और

(घ) प्रत्येक देश से मंगाई गई मशीनों के अलग-अलग आंकड़े और मूल्य कितना है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल) :** (क) से (घ). लोकसभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट १, अनुबंध संख्या २४].

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Telegraph epuipment.

बर्दवान स्टेशन से अप रेलगाड़ियों में यात्री

†५२. **श्री सुबिमन घोष:** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हावड़ा डिवीजन के बर्दवान स्टेशन से अप रेलगाड़ियों में ३०० मील और उस से अधिक यात्रा करने वाले यात्रियों की १९५८ के हर महीने में अभी तक कितनी संख्या है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : जानकारी नीचे दी जाती है :—

जनवरी, १९५८	११२३
फरवरी, १९५८	१००७
मार्च, १९५८	११९९
अप्रैल, १९५८	१०८२
मई, १९५८	१२०७
जून, १९५८	१०२५
जुलाई, १९५८	१०९२
अगस्त, १९५८	११२२
सितम्बर, १९५८	१०७५
अक्टूबर, १९५८	११२४

कोणार्क, चिलका और पुरी में पर्यटकों का आगमन

†५३. **श्री पाणिग्रही** : क्या परिवहन **तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५-५६, १९५६-५७ और १९५७-५८ म कोणार्क, चिलका और पुरी जाने वाले विदेशी पर्यटकों की कितनी संख्या है ;

(ख) क्या उड़ीसा के अन्य मनोरंजक स्थानों के प्रति विदेशी पर्यटकों को प्रोत्साहन प्रदान करने में अधिक सुविधाय देने का कार्यक्रम बनाया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या ब्यौरा है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : (क) भारत में पर्यटन दृष्टि से रुचिकर विविध स्थानों में जाने वाले पर्यटकों की संख्या के कोई आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। अतः १९५५–५८ में कोणार्क, चिलका और पुरी जाने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या बताना सम्भव नहीं है ।

(ख) और (ग). पर्यटन सम्बन्धी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भुवनेश्वर में एक विश्रामगृह का निर्माण करने और कोणार्क के वर्तमान सरकारी विश्रामगृह में चार कमरे और बढ़ाने के लिये २ लाख रुपये का उपबन्ध है । वर्तमान विश्रामगृह का विस्तार करने के स्थान पर कोणार्क में एक अलग विश्राम गृह बनाने का प्रस्ताव है। भुवनेश्वर और कोणार्क—दोनों स्थानों में विश्राम गृहों के लिये स्थान का चुनाव कर लिया गया है और केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग इन के लिये योजनायें तथा प्राक्कलन तैयार कर रहा है। इसकी सम्पूर्ण लागत केन्द्रीय सरकार देगी ।

राज्य सरकार ने पुरी और भुवनेश्वर में पर्यटन ब्यूरो आरम्भ किये हैं। भारत सरकार इन के लिये वित्तीय सहायता स्वीकार कर रही है जो लागत का आधा किन्तु प्रत्येक ब्यूरो के लिये अधिकतम ५,००० रुपये है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

उड़ीसा में रेलवे लाइनें

†५४. **श्री प्र० के० देव :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में उन रेलवे लाइनों के नाम जिन का सर्वेक्षण कर लिया गया है अथवा किये जाने का विचार है ;

(ख) किये गये अथवा किये जाने वाले सर्वेक्षण का पूरा ब्यौरा, अर्थात् लाइनों की मीलों में लम्बाई, मिलाये जाने वाले स्थान और अनुमानित खर्च;

(ग) जो नवीन रेलवे लाइन बनाई गई हैं अथवा जिन के बनाये जाने का प्रस्ताव है उन के नाम ; और

(घ) जिन रेलवे लाइनों का सर्वेक्षण पूरा हो गया था उन के नहीं बनाये जाने के कारण ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें०वें० रामस्वामी) :** (क) से (घ): लोकसभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या २२].**

उड़ीसा में किसानों को ऋण

†५५. **श्री प्र० के० देव :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने उड़ीसा राज्य को किसानों को ऋण देने के लिये प्रथम पंचवर्षीय योजना में कितनी रकम आवंटित की है और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये कितनी रकम निर्धारित की गई है ; और

(ख) किन किन योजनाओं के अधीन यह रकमें आवंटित की गई थीं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** (क) 'अधिक अन्न उपजाओ' योजनाओं के लिये भारत सरकार द्वारा उड़ीसा राज्य को प्रथम पंचवर्षीय योजना अवधि में हर वर्ष नीचे लिखे ऋण दिये गये थे :—

वर्ष	रकम (लाख रुपयों में)
१९५१–५२ .	१६.०५
१९५२–५३ .	२.२४
१९५३–५४ .	३०.४६
१९५४–५५ .	५८.२१
१९५५–५६ .	२७.०१
कुल . . .	१३३.९७

राज्य सरकार द्वारा कृषकों को प्रथम पंचवर्षीय योजना में दी गई ऋण की यथार्थ रकम १९.२६ लाख रुपये है ।

२. गैर-सरकारी दलों द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली योजनाओं के लिये द्वितीय योजना में ५१.४६ लाख रुपये निर्धारित किये गये हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उपरोक्त रकम के योजनावार अलग अलग आंकड़े इस प्रकार हैं :

प्रथम योजना

	(लाख रुपयों में)
१. बीज और खाद के ऋण का वितरण . . .	१.७५
२. पटसन भिगोने के तालाब का विकास करने के लिये ऋण .	२.२४
३. कृषि उपकरण और मशीनें खरीदने के लिये ऋण . .	१५.२७
कुल . . .	१९.२६

द्वितीय योजना

	(लाख रूपयों में)
४. कृषि मशीनें खरीदने के लिये ऋण . .	४.५१
५. बीज और खाद लाने व ले जाने के लिये ट्रकों का संधारण	५.००
६. सुधरी किस्म के बीजों का वितरण और उपज .	४१.९५
कुल .	५१.४६

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये रक्षित कोटा

†५६. **श्री कुम्भार** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण-पूर्व रेलवे में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये सेवाओं में रिजर्व कोटे की प्रत्येक ग्रेड में १९५७–५८ में अभी तक पूर्ति हो गई है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है और यह कब तक पूरा हो जायेगा ; और

(ग) अभी तक नियुक्त इन जातियों और आदिम जातियों के व्यक्तियों के ग्रेडवार कितनी संख्या है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) से (ग) : जानकारी एकत्र की जा रही है और लोक सभा के पटल पर रख दी जायेगी।

मुर्गी खाने

†५७. **श्री कुम्भार** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न संघ राज्य-क्षेत्रों और राज्यों में आजकल सहायता प्राप्त ऐसे कितने मुर्गी खाने हैं जिन्हे केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दी गई है ;

(ख) इनमें से प्रत्येक राज्य में उन मुर्गी खानों की कितनी संख्या है जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों से सम्बद्ध हैं ; और

(ग) प्रत्येक मुर्गीखाने को कितनी वित्तीय सहायता अथवा उपकरण दिये गये हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में सहायता प्राप्त ऐसे कोई मुर्गी खाने नहीं हैं जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दी जाती

†मूल अंग्रेजी में

है। फिर भी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अधीन राज्यों आदि में स्थापित किये जाने वाले ३०० मुर्गी पालन विस्तार विकास केन्द्र केन्द्रीय सहायता पाने के अधिकारी हैं।

(ख) प्रत्येक राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र में आवंटित मुर्गी पालन विस्तार केन्द्रों की संख्या बताने वाला विवरण लोक सभा के पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबंध संख्या २३]**

इन केन्द्रों का चुनाव स्वयं राज्य सरकारें करती हैं और उन्हें सामान्यतया (यद्यपि सर्वदा ऐसा नहीं होता है) अनुसूचित जातियों/आदिम जातियों की आबादी वाले क्षेत्र में स्थापित किया जाता है।

(ग) (१) इन केन्द्रों को दी जाने वाली वितीय सहायता का स्वरूप **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या २४]** और (२) टेक्नीकल सहकारी मिशन के अन्तर्गत अभी तक प्राप्त पौल्ट्री उपकरण जो इन राज्यों को प्रयोग करने के लिये दिये गये हैं **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या २५]**—बताने वाले दो विवरण लोक सभा के पटल पर रखे जाते हैं।

दिल्ली में आयुर्वेदिक औषधालय

†५८. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम पंचवर्षीय योजना के अधीन दिल्ली में कितने आयुर्वेदिक औषधालयों की मंजूरी दी गई है।

(ख) इनमें से अभी तक कितने औषधालय स्थापित किये गये हैं ; और

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजना अवधि में कितने औषधालय स्थापित करने का प्रस्ताव है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :** (क) से (ग). एक भी नहीं।

भाखड़ा बांध

†५९. **श्री राम कृष्ण :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भाखड़ा बांध के पीछे पानी इकट्ठा करने का काम शुरू हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो अब तक कुल कितनी मात्रा में जलसंग्रह हुआ है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) :** (क) जी, हां।

(ख) ४,७१,००० एकड़ फुट।

वंशधारा परियोजना

†६०. **श्री संगण्णा :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री ८ मई, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३४८५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि आन्ध्र प्रदेश की वंशधारा परियोजना की वर्त्तमान प्रगति क्या है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) :** वंशधारा नदी के गुदारी बांध निर्माण स्थल की अधिकांश क्षेत्रीय जांच पूरी हो चुकी है। परियोजना रिपोर्ट केन्द्रीय जल विद्युत् आयोग

†मूल अंग्रेजी में

द्वारा तैयार की जा रही है और ऐसी आशा की जाती है कि वह चालू वर्किंग सीज़न में तैयार हो जाएगी ।

चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स

६१. **श्री पद्म देव** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स के उत्पादन से देश की इंजनों की मांग कहां तक पूरी होती है ;

(ख) रेलवे विभाग द्वारा विदेशों से मंगाये गये इंजनों की लागत क्या है ; और

(ग) इस बारे में देश कब तक आत्म-निर्भर हो जायेगा ।

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) चितरंजन रेल-इंजन कारखाने में जितने रेल इंजन तैयार होते हैं, उनसे इस समय रेल-इंजनों के पुनर्संस्थापन की कुल मांग पूरी हो जाती है इसके अलावा देश के औद्योगिक और आर्थिक विकास के फलस्वरूप जो यातायात बढ़ गया है कुछ हद तक उसकी मांग भी चितरंजन कारखाने से पूरी हो जाती है ।

(ख) अक्टूबर, १९५६ से पहले भाप के जितने इंजन बाहर से मंगाने के आर्डर दिये गये थे, उनमें से १९५७–५८ में जितने इंजन आये, उनकी भारत पहुंचने तक की कुल लागत ५.९८ करोड़ रुपये है ।

(ग) जहां तक बड़ी लाइन के भाप के रेल-इंजनों का सवाल है, भारत आत्म-निर्भर समझा जा सकता है । लेकिन यातायात की जरूरतों को देखते हुए डीज़ल और बिजली के इंजन मंगाने की जरूरत है । इस तरह के इंजनों को देश में तैयार करने की क्षमता बढ़ाने के सवाल पर सक्रिय रूप से विचार हो रहा है । फिर भी यह कहना कठिन है कि देश इस दिशा में कब तक आत्म-निर्भर हो जायेगा, क्योंकि यह दो बातों पर निर्भर है : एक यह कि रेल-इंजन तैयार करने में कितनी प्रगति होगी और दूसरे, अगली योजनाओं में कितने रेल-इंजनों की जरूरत होगी ।

दावे

६२. **श्री पद्म देव** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में अब तक खोये सामान के कितने दावे दायर हुये ;

(ख) सरकार को उनकी क्षतिपूर्त्ति के रूप में कितनी राशि देनी पड़ी ; और

(ग) सरकार ने इस स्थिति में सुधार करने के लिये क्या पग उठाये हैं ?

रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी): (क) चालू साल में (अप्रैल से सितम्बर १९५८ के बीच) रास्ते में खोये गये माल के लिए कुल जितने दावे किये गये उनकी तादाद लगभग २ लाख है ।

(ख) ८८.७९ लाख रुपये ।

(ग) इसमें सुधार के लिए रेल-प्रशासनों ने जो उपाय किये हैं उसका ब्यान सभा पटल पर रख दिया गया है । [देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या २५]

---

†मूल अंग्रेजी में

तार और टेलीफोन का सामान

६३. श्री पद्म देव : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक तथा तार विभाग ने १९५८ में तार और टेलीफोन के सामान पर कुल कितना खर्च किया ; और

(ख) इसमें से कितना धन हिन्दुस्तान केबल्स (प्राइवेट) लमिटेड कम्पनी को दिया गया और कितना विदेशों से आयात पर खर्च हुआ ?

परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल) : (क) और (ख). वर्ष १९५८–५९ के आनुमानिक आंकड़ों को दर्शाने वाला एक विवरण-पत्र, जिसमें उसी अवधि के बारे में प्राप्त हुए वास्तविक आंकड़े भी सम्मिलित हैं, सभा-पटल पर रक्खा गया है।

भारतीय डाक-तार विभाग द्वारा १९५८–५९ में खरीदे गये सामान के विषय में श्री पद्म देव द्वारा १८ नवम्बर, १९५८ को पूछे जाने वाले लोक-सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या ६३ के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण-पत्र।

	रक़म लाखों में		
(क) खर्च को जाने वाली आनुमानिक रक़म	८२२		
(ख) भूगर्भ केबलों की स्थिति—	अप्रैल से सितम्बर १९५८ तक की प्राप्तियें	अक्टूबर १९५८ से मार्च १९५९ तक की आशंसित प्राप्तियें	योग
(१) मैसर्ज़ हिन्दुस्तान केबल्ज लिमिटेड द्वारा बनाये गये केबल .	४८	११४	१६२
(२) आयात किये गये केबल .	३१	६३	९४
	७९	१७७	२५६

नोट :—१९५८-५९ में कुल मदों पर अब तक खर्च की गयी रकम के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं, अतः १९५८-५९ में खरीदे गये सामान पर खर्च की जाने वाली आनुमानिक रकम उपर्युक्त (क) भाग में दी गयी है।

रेलवे दुर्घटनाओं की क्षतिपूर्ति

६४. **श्री पद्म देव** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रेलवे दुर्घटनाओं से सम्बन्धित दावों की क्षतिपूर्ति के लिए ३१ अक्तूबर, १९५८ तक कितना खर्च किया गया ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : पहली जनवरी, १९५८ और ३१ अक्तूबर, १९५८ के बीच क्षतिपूर्ति के रूप में १,७०,९५३.३१ रुपये दिये गये।

हिमाचल प्रदेश में वन सर्वेक्षण

६५. **श्री पद्म देव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में वन सर्वेक्षण के कार्य में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) यह कार्य किस के अधीन हो रहा है; और

(ग) चालू वर्ष में इस पर कितना धन व्यय किया गया ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :(क) से (ग). हिमाचल प्रदेश प्रशासन से जानकारी मंगाई गई है और वह मिलते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

हिमाचल प्रदेश में सड़कें

६६. **श्री पद्म देव** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हिमाचल प्रदेश में वन विभाग के अधीन द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत अब तक कितने मील सड़कें बनाई जा चुकी हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : कुल ५६६ मील सड़कों में से, जो द्वितीय योजना के समय में बनाई जानी हैं, सितम्बर, १९५८ तक २३९ मील सड़कें बनाई जा चुकी हैं ।

हिमाचल प्रदेश में पशु प्रदर्शनियां

६७. **श्री पद्म देव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में चालू वर्ष में अब तक कितनी ज़िला और राज्य पशु प्रदर्शनियां हुईं;

(ख) इन प्रदर्शनियों में किन किन पशुओं का प्रदर्शन किया गया; और

(ग) इन पर किस किस मद के अन्तर्गत कुल कितना खर्च किया गया ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) से (ग). हिमाचल प्रदेश प्रशासन से जानकारी मंगाई गई है और वह मिलते ही सभा की टेबिल पर रख ी जायेगी ।

संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि

†६८. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सितम्बर, १९५८ में संयुक्त राष्ट्र बाल आपात निधि के अन्तर्गत विभिन्न वर्गों के कार्यक्रमों के लिए कितनी रकम निर्धारित की गई है; और

(ख) विभिन्न राज्यों के लिए यह रकम किस प्रकार निर्धारित की गई है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) और (ख). संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि के कार्यकारी बोर्ड के सितम्बर १९५८ के सत्र में भारत के लिए निम्नलिखित रकमें निर्धारित की गयी हैं :—

	डालर
(१) आधारभूत प्रसूति तथा बाल कल्याण सेवायें[1] : त्रिवेन्द्रम में बालरोग चिकित्सा प्रशिक्षण[2] तथा सेवायें . . . यह आवंटन केरल राज्य के लिये है ।	२१,०००
(२) बम्बई में बाल रोग चिकित्सा प्रशिक्षण तथा सेवायें यह आवंटन बम्बई राज्य के लिये है ।	६६,०००

†मूल अंग्रेजी में

[1]Basic MCW Services. [2]Paediatrics.

(३) स्कूलों में भोजन व्यवस्था के लिए (मुफ्त ६७,४० शार्ट टन दूध का पाउडर) केवल भाड़ा खर्च . डालर ३३७,०००

यह आवंटन अखिल भारतीय कार्यक्रम के लिए है । हर एक राज्य को समय समय पर उनकी जरूरतों के सिद्ध हो जाने पर दूध का पाउडर दिया जाता है । प्रत्येक राज्य को अलग अलग दूध का पाउडर भेजने में जो भाड़ा खर्च लगा है उसका पता वर्ष के अन्त में लगेगा ।

(४) गलगंड नियंत्रण[1] . . २७,५००

यह आवंटन 'सब-हिमलियन' प्रदेश के लिए है जहां कि गलगंड की बीमारी होती है । इस क्षेत्र में उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, आसाम, त्रिपुरा, उत्तर पूर्वी सीमांत अभिकरण तथा मनीपुर के हिस्से शामिल हैं । यह भारत सरकार का कार्यक्रम है और अभी यह बताना संभव नहीं है कि हर एक राज्य को इस सहायता में से कितनी राशि मिलेगी ।

(५) रोहे की बीमारी का नियंत्रण[2] . . . ३३,०००

यह आवंटन तीन राज्यों नामतः उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पंजाब की सम्मिलित अग्रिम परियोजना के लिये है । हर एक राज्य के वास्तविक संभरण की कीमत वर्ष के अन्त में मालूम होगी ।

कुल आवंटन ४८४,५००

रेलवे में समयनिष्ठता सप्ताह[3]

†६९. **पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या **रेलवे** मंत्री एक ऐसा विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह बताया गया हो कि :

(क) क्या समस्त रेलवे में समयनिष्ठता आंदोलन अथवा समयनिष्ठता सप्ताह मनाया गया है अथवा उनके निकट भविष्य में मनाये जाने की संभावना है; और

(ख) विभिन्न रेलवे ज़ोनों में (ज़ोनवार) अगस्त से ३१ अक्टूबर तक रेलगाड़ियों के ठीक समय पर चलने की क्या स्थिति है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) रेलवे में सवारी गाड़ियों के ठीक समय पर चलने संबंधी सुधार करने के लिए समय समय पर समयनिष्ठता आंदोलन शुरू किया जाता है । १९५८ में सभी रेलवे ज़ोनों में ऐसे आंदोलन किये गये हैं ।

(ख) सवारी गाड़ियों, एक्सप्रेस तथा मेल गाड़ियों की कुल संख्या के अनुपात में ठीक समय पर चलने वाली गाड़ियों की औसत संख्या बताने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या २६]** ।

बैजवाड़ा-गुंटूर सैक्शन को दोहरा करना

†७०. **श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण रेलवे के बैजवाड़ा-गुंटूर सेक्शन में अब तक कुल कितनी लाइन दोहरी की गई है;

---

†मूल अंग्रजी में

[1]Goitra Control. [2]Trachoma Control. [3]Punctuality week.

(ख) १९५८ में १ अप्रैल से ३१ अक्टूबर तक कुल कितनी रेल लाइन दोहरी की गई है; और

(ग) बैजवाड़ा-गुंटूर सेक्शन में लाइन दोहरी करने का काम कब तक पूरा हो जायेगा ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) १७½ मीलों पर यातायात शुरू हो गया है ।

(ख) कुल मिलाकर लगभग ४६ मील लाइन दोहरी करनी है जिसमें से ५ मील यातायात खोलने के लिए तैयार है और इसके अलावा ८ मील का स्थायी रेल सम्पर्क कर दिया गया है ।

(ग) इस सेक्शन में थोड़ी थोड़ी करके कुल १०१ मील लम्बी लाइन दोहरी करनी है । अप्रैल ५९ तक लगभग ४० मील दोहरे होने की आशा है । चूंकि खुदाई और पुल बनाने का काम बहुत भारी है अतएव शेष लाइन का काम पूरा होने की कोई निश्चित तारीख नहीं दी जा सकती परन्तु ऐसी आशा है कि १०१ मील लम्बी पूरी लाइन को दोहरा करने का काम ३१-३-१९६१ तक पूरा हो जायेगा ।

अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थः

†७१. **श्री वें० प० नायर** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था के स्नातकोत्तर-अध्ययन के विषयों में कोई प्राथमिकता निर्धारित की गई है;

(ख) यदि हां, तो किन विषयों को अधिकतम प्राथमिकता दी गई है; और

(ग) आजकल स्नातकोत्तर विद्यार्थी किन विशिष्ट विषयों अथवा शीर्षकों का अध्ययन कर रहे हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** (क) और (ख). कोई प्राथमिकता निर्धारित नहीं की गई ।

(ग) विकलांग चिकित्सा[1], शरीर रचना, शरीरविज्ञान, औषधि विज्ञान, जीवाणु विज्ञान तथा चिकित्सा विज्ञान ।

पर्यटन विभाग

७२. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भारत में कितने पर्यटन विभाग हैं;

(ख) उन पर कितना वार्षिक व्यय किया जाता है; और

(ग) इस समय उनमें कितने लोग काम करते हैं ?

परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल): (क) इस समय भारत सरकार द्वारा स्थापित एवं संचालित १४ पर्यटन कार्यालय हैं ।

(ख) ४,५९,५५४ रुपये (१९५७-५८ में)

(ग) २१ गज़ेटेड अफ़सर

१३६ नानगज़ेटेड कर्मचारी

कुल : १५७

†मूल अंग्रेजी में

[1]Orthopaedics.

पंजाब में खाद्यान्नों की वसूली

†७३. श्री अजित सिंह सरहदी : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८-५९ में अब तक पंजाब से खाद्यान्नों की कुल कितनी वसूली हुई है ;

(ख) प्रत्येक मद की वसूली की क्या कीमत है ; और

(ग) वसूली के दिनों में पड़ौसी उत्तर प्रदेश में प्रत्येक मद की क्या कीमत थी ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) १९५८ में १ अप्रैल से ३१ अक्तूबर तक पंजाब से लगभग २३,००० टन चावल केन्द्रीय सरकार के लिये वसूल किया गया है।

(ख) चावल की विभिन्न किस्मों के लिये जो कीमत चुकाई गई है, वह निम्नलिखित है :—

किस्म	बोरों में बन्द प्रतिमन चावल की कीमत रुपये नये पैसे
बेगमी . .	१८.००
दारा और सेला जोशी	१६.५०
कच्चा बासमती	२५.००
उसवां बासमती (सेला)	२२.७५
हंसराज, मश्किन, परमल, रामजवैयां तथा चहोरा :	
(क) कच्चा	२२.७५
(ख) उसवां . .	२०.५०
सफेद तोता	१२.२५
मोंगरा	१६.२५
कनी . .	८.५०

अभ्युक्ति: — (१) उल्लिखित कीमतें, प्रत्येक किस्म के लिए निश्चित दरों तथा विशेष विवरण में उल्लिखित किस्म की कामियों के अधीन किस्म की उचित औसत के अनुसार हैं।

(२) ये कीमतें अच्छे नये बोरों में बंद किये गये खाद्यान्नों के लिये हैं। खुले हुये अनाज की कीमतें ऊपर उल्लिखित कीमतों से प्रतिमन ०.५० रुपये कम हैं।

(ग) ऊपर उल्लिखित अवधि में साधारण चावल की कीमतें उत्तर प्रदेश में १९.०० रुपये प्रतिमन से लेकर २९.०९ रुपये प्रतिमन तक थीं।

अमेरिका से पी० एल० ४८० के अधीन खाद्यान्नों का आयात

†७४. श्री हेम राज : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अमेरिका से पी० एल० ४८० के अधीन भारत को कितनी मात्रा में खाद्यान्न प्राप्त हुआ है ; और

(ख) उसकी अनुमानित कीमत कितनी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) और (ख) . ३१ अक्टूबर, १९५८ तक अमेरिका से पी० एल० ४८० के अधीन ४१ . ५ लाख टन खाद्यान्न आया है और उसकी कीमत (लागत तथा भाड़ा सहित) १७६ . ७ करोड़ रुपये है ।

उड़ीसा में कुष्ठ रोग

†**७५. श्री पाणिग्रही** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री १२ अगस्त, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १३४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में उड़ीसा को कुष्ठ रोग नियन्त्रण योजना के अधीन कोई वित्तीय सहायता दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)**: (क) जी, हां ।

(ख) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कुष्ठ रोग नियन्त्रण योजना के अधीन केन्द्रीय सरकार की सहायता के रूप में उड़ीसा सरकार को ४,९०,०३६ . ०० रुपयों की राशि दी गई है । उसका ब्यौरा निम्नलिखित है :—

१९५६–५७ . .	७१,७१४ . ००
१९५७–५८	३१,६९७ . ००
१९५८–५९ . . .	३८६,६२५ . ००

सामुदायिक विकास तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंडों में गैर-सरकारी व्यक्ति

†**७६. श्री पाणिग्रही**: क्या **सामुदायिक विकास** मंत्री १६ दिसम्बर, १९५७ के अतारांकित प्रश्न संख्या १६८२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने सामुदायिक विकास तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा परियोजनाओं की योजनाएं बनाने में गैर-सरकारी व्यक्तियों को सम्बद्ध करने के लिये जो अनुदेश भेजे थे, क्या उनके उत्तर उड़ीसा के विकास आयुक्त से प्राप्त हो गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उत्तर मिले हैं ?

†**सामुदायिक विकास मंत्री (श्री जु० कु० डे)** : (क) और (ख) . उड़ीसा सरकार ने सूचना दी है कि खंडों में जारी किया गया खंड–कार्यक्रम और विभिन्न योजनायें खण्ड मंत्रणा समिति (अब खंड विकास समिति) ने मंजूर कर ली हैं ।

भारतीय रेलों पर दुर्घटनायें

†**७७. श्री राजेन्द्र सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगस्त, १९५८ से आज तक भारतीय रेलों पर कुल कितनी दुर्घटनायें हुई हैं ; और

(ख) उनमें कितने व्यक्ति मारे गये हैं और कितनों को गहरी चोटें आई हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) भारतीय सरकारी रेलों पर १–८–१९५८ से आज (१३–११–५८) तक पांच गम्भीर दुर्घटनायें हुई हैं ?

(ख) इनमें चार व्यक्ति मरे हैं और ९ व्यक्ति बुरी तरह घायल हुए हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

ट्राफियों का दिया जाना

†७८. श्री राम कृष्ण :
श्रीमती मकीदा अहमद :
श्री विभूति मिश्र :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि उत्पादन को बढ़ाने की प्रेरणा देने के लिये लोगों को व्यक्तिगत रूप से, क्षेत्रों तथा गांवों को इनाम देने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई निर्णय किया गया है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) जी, हां ।

(ख) लोगों को व्यक्तिगत रूप से इनाम देने की योजना मंजूर कर ली गई है और राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे आगामी रबी के मौसम से उसको कार्यान्वित करें । इस योजना की एक प्रति लोकसभा के पटल पर रखी जाती है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या २७.]**

पूर्वनिश्चित स्तर के अनुसार बड़े क्षेत्रों के लिये सामुदायिक इनाम देने की योजना विचाराधीन है ।

दिल्ली में जल संभरण

†७९. श्री राम कृष्ण :
श्री नौशीर भरूचा :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अब दिल्ली में जल संभरण सामान्य रूप से हो रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या पानी से होने वाली बीमारियों का खतरा समाप्त हो गया है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या अब नल का पानी साफ है ; और अब उसे उबालने की जरूरत नहीं है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी, हां ।(ख) और (ग). पिछली दुर्घटना के समय जनता को पानी देने के पूर्व पीने के पानी को पम्पिंग स्टेशन पर सावधानी से साफ किया गया था और उसमें क्लोरीन मिलाया गया था। इस प्रकार पानी से होने वाली बीमारियां फैलने की सम्भावनायें कम हो गई थीं । परन्तु फिर भी अतिरिक्त सावधानी के रूप में जनता को सलाह दी गई थी कि वह पानी का उपयोग करने के पहिले उसे उबाल लें । अब पानी को उबालना जरूरी नहीं है ।

केरल की जल विद्युत् संभावनायें

†८०. श्री वारियर :
श्री वासुदेवन् नायर :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल सरकार से ऐसी कोई योजना प्राप्त हुई है जिसमें मद्रास सरकार के साथ संयुक्त रूप से जल विद्युत् सम्भावनाओं का उपयोग करने का प्रस्ताव रखा गया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसके मुख्य सुझाव क्या हैं ; और

(ग) क्या योजना आयोग ने इस योजना को मंजूर कर लिया है ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) भारत सरकार को केरल सरकार से ऐसी कोई योजना प्राप्त नहीं हुई जिसमें मद्रास सरकार के साथ संयुक्त रूप से जल विद्युत् सम्भावनाओं का उपयोग करने के लिये प्रस्ताव रखा गया है ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

भारत की रेड क्रास सोसाइटी

†८१. **श्री मोहन स्वरूप** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेड क्रास सोसाइटी, नई दिल्ली को सरकार द्वारा सालाना कितनी राशि दी जाती है ; और

(ख) रेड क्रास सोसाइटी की राज्य शाखाओं को कितनी राशि दी जाती है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)**: (क) सरकार भारतीय रेड क्रास सोसाइटी को निम्नलिखित वार्षिक अनुदान देती है :—

(१) १,००,००० रुपये सोसाइटी के सामान्य व्यय के लिये ।

(२) १,५०,००० रुपये इसमें भारत सरकार का रेड क्रास की अन्तर्राष्ट्रीय समिति तथा जेनेवा की लीग आफ रेड क्रास सोसाइटीज़ को ७५–७५ हज़ार रुपयों का अंशदान शामिल है ।

प्रतिरक्षा मन्त्रालय तथा गृह-कार्य मन्त्रालय द्वारा भारतीय रेड क्रास सोसाइटी को निम्नलिखित तदर्थ अनुदान दिये गये हैं :—

प्रतिरक्षा मंत्रालय

(१) १,००,००० रुपये सैनिक अस्पतालों में कल्याण सेवाओं के लिए दो किस्तों में दिये गये हैं। यह सालाना अनुदान है ।

(२) ५०,००० रुपये (१९५६)
(३) ३५,००० रुपये (१९५७)
(४) ६५,००० रुपये (१९५८)
} चिकित्सा के बाद की देखभाल निधि के लिये दिये गये हैं।

गृह-कार्य मंत्रालय

(१) ९५,००० रुपये

(२) ७६,८७६ रुपये

(३) २७,००० रुपये (१९५६)
(४) २०,७०१ रुपये (१९५७)
(५) १५,२५० रुपये (१९५८)
} तेहरी-गढ़वाल में प्रसूति तथा बाल कल्याण के लिये दिये गये हैं ।

†मूल अंग्रेजी में

(ख) समान्यतः सरकार रेड क्रास सोसाइटी की राज्य शाखाओं को कोई अनुदान नहीं देती। फिर भी भारत सरकार ने चालू वर्ष में बिहार राज्य की रेड क्रास सोसाइटी शाखा को रक्त बैंक स्थापित करने के लिये रक्त जीवाणु अलग करने का एकक तथा अन्य आवश्यक उपकरण खरीदने के लिये ३०,००० रुपयों का अनुदान मंजूर किया है।

उत्तरी चावल क्षेत्र में दिल्ली का शामिल किया जाना

†८२. **श्री राम कृष्ण** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली को उत्तरी चावल क्षेत्र में शामिल कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इससे दिल्ली में चावल की कीमतों पर क्या असर पड़ा है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली में चावल की विभिन्न किस्मों की कीमतें फी मन २·५० रुपये से लेकर ६·२५ रुपये तक गिर गई हैं।

अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था

†८३. **श्री रामकृष्ण** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था की न्यूनतम क्लिनिकल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये सफदरजंग में एक नया अस्पताल बनाने के बारे में कितनी प्रगति हुई है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था के लिये २५० शय्याओं वाले एक स्थायी अस्पताल की मंजूरी दे दी गई है। उसकी रूप-रेखा तथा अनुमान के बारे में अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है।

इस अस्पताल की स्थापना विचाराधीन रहने तक संस्था के अहाते में नर्सेज होम इमारत में १०० शय्याओं वाला एक अस्थायी अस्पताल बनाने की मंजूरी जून १९५८ में दे दी गई थी। इस अस्थायी अस्पताल की स्थापना में जो प्रगति हुई है, वह निम्नलिखित है :—

(१) **स्थान** :

नर्सेज होम इमारत में आवश्यक अतिरिक्त निर्माण व परिवर्तन कार्य पूरे हो गये हैं। इस इमारत के नीचे की दो मंजिलें अस्पताल के वार्डों के रूप में काम आएंगी और ऊपरी दो मंजिलों में नर्सें रहेंगी।

(२) **कर्मचारी वर्ग** :

डाक्टर, नर्स तथा अन्य सहायक कर्मचारियों के सभी वर्गों की भर्त्ती प्रायः पूरी हो चुकी है और उनमें से अधिकांश काम पर आ गए हैं। ऐसी आशा की जाती है कि दिसम्बर १९५८ के पहले हफ्ते में अस्पताल के लिये आवश्यक सभी कर्मचारी पूरे हो जायेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

(३) उपकरण

५,००,००० रुपयों के उपकरण की कुल जरूरत में से ४० प्रतिशत जरूरत के उपकरण प्राप्त हो चुके हैं और यह आशा है कि शेष उपकरण दिसम्बर १९५८ के पहिले सप्ताह में प्राप्त हो जायेंगे ।

ऐसी आशा है कि यह अस्पताल दिसम्बर १९५८ के मध्य तक काम करने लगेगा ।

साइकल-रिक्शाओं के स्थान पर स्कूटर-रिक्शाओं का चलाया जाना

†८४. { **श्री राम कृष्ण :**
श्रीमती इला पालचौधरी :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में साइकल-रिक्शाओं के स्थान पर स्कूटर-रिक्शाएं चलाने की योजना के सम्बन्ध में अन्तिम रूप से निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितनी साइकल-रिक्शाओं की जगह स्कूटर-रिक्शाओं को स्थान दिया जा चुका है ;

(ग) कुल कितनी साइकल-रिक्शाओं की जगह स्कूटर-रिक्शाओं को स्थान दिया जायेगा; और

(घ) उस योजना की अन्य मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : (क) दिल्ली प्रशासन द्वारा इस प्रकार की कोई भी योजना नहीं बनायी गयी है ।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

सोनपुर का पुल

†८५. **श्री झूलन सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सोनपुर के पुल के निर्माण पर ३१ मार्च, १९५८ तक कुल कितना खर्च हो चुका है ;

(ख) उसे पूरा करने के सम्बन्ध में क्या कार्यक्रम निर्धारित किया गया है ; और

(ग) नये पुल के बन जाने के बाद वर्तमान पुल का किस काम के लिये उपयोग किया जायेगा ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) ६४,२७,००० रुपये ।

(ख) उसे १९६० के प्रारम्भ में पूरा कर लेने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ।

(ग) वर्तमान पुल को बिहार सरकार को बेच देने की प्रस्थापना पर विचार किया जा रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

नयी व्यवस्था के अधीन ग्रेड १ के क्लर्कों को लाभ

†८६. **श्री अरविन्द घोषाल** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, १९५७ तक पूर्व तथा दक्षिण पूर्व रेलवे के लेखा विभागों के ग्रेड १ के कितने क्लर्कों को नयी व्यवस्था के अधीन लाभ हुआ है ;

(ख) ग्रेड १ के कितने क्लर्कों को नयी व्यवस्था के अधीन अभी तक कोई लाभ नहीं हुआ है ; और

(ग) वे किस-किस कारण से लाभ प्राप्त न कर सके ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) से (ग). सम्बन्धित रेलों से जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में कर्मचारी

†**श्री दलजीत सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री १८ सितम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २३५९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये कितने प्रतिशत स्थान रक्षित किये गये हैं ;

(ख) उन रक्षित स्थानों के अभी तक न भरे जाने के क्या क्या कारण हैं ; और

(ग) उन स्थानों को कब तक भर दिया जायेगा ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : (क) असिस्टैण्टों, अपर डिवीजन और लोअर डिवीजन क्लर्कों के ग्रेड में रक्षित स्थानों की प्रतिशतता :—

	अनुसूचित जातियां	अनुसूचित आदिम जातियां
१. खुले मुकाबले की भर्ती में . .	१२ ½ प्र. श.	५ प्र. श.
२. शेष प्रकार की भर्ती में . .	१६ ⅔ प्र. श.	५ प्र. श.

(ख) और (ग). असिस्टैण्टों और अपर डिवीजन क्लर्कों के स्थान गृह-कार्य मंत्रालय द्वारा भरे जाते हैं । इन स्थानों को भरते समय वह मंत्रालय सम्पूर्ण केन्द्रीय सचिवालय में दिये जाने वाले साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व को सदा ध्यान में रखता है । जहां तक लोअर डिवीजन क्लर्कों का सम्बन्ध है, उन की भर्ती स्थानीय काम दिलाऊ दफ्तर के द्वारा की जाती है और भर्ती करते समय उन के विशेष प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखा जाता है । जहां तक अनुसूचित जातियों का सम्बन्ध है, उन्हें उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त है । परन्तु जहां तक अनुसूचित आदिम जातियों का सम्बन्ध है, उन्हें पूरा प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है, क्योंकि काम दिलाऊ दफ्तर में इस जाति के इतने लोगों के नाम दर्ज नहीं हैं । इस समय 'खुले बाजार' से क्लर्क भर्ती करने पर प्रतिबन्ध है ।

†मूल अंग्रेजी में

मनीपुर में चिकित्सा कर्मचारी

†८८. **श्री ले० अचौ सिंह** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर राज्य में इस समय कितने डाक्टर, हेल्थ विजिटर तथा सेनिटरी इन्सपैक्टर हैं ;

(ख) गत तीन वर्षों में मनीपुर राज्य ने कितने विद्यार्थियों को उक्त पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण प्राप्त करने या अध्ययन करने के लिये भेजा है ; और

(ग) प्रत्येक प्रकार के पाठ्यक्रम के लिये कितनी कितनी वृत्तिका मंजूर की गई है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) से (ग). जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथाकाल सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

यात्रा अभिकरण[1]

†८९. **श्री दामानी** : क्या रेलवे मंत्री सभा-पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिस में यह बताया गया हो कि :

(क) भारत में यात्रा सम्बन्धी प्रबन्ध करने वाले कितने अभिकरण हैं और उन्हें रेलवे से कितना कमीशन मिलता है ; और

(ख) उन्हें १९५६-५७, १९५७-५८ और १९५८-५९ में अब तक कुल कितना कमीशन दिया जा चुका है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) भारत में रेलवे के टिकट जारी करने के लिये २६ यात्रा-अभिकरणों को अनुमति दी गई है ।

उन द्वारा बेचे जाने वाले टिकटों के मूल दरों के आधार पर उन्हें दिये जाने वाले कमीशन के दर निम्नलिखित हैं :—

(१) समुद्र पार के पर्यटकों को जारी किये जाने वाले कूपन टिकटों और विशेष टिकटों पर १० प्रतिशत ।

(२) भारत के निवासियों को दिये जाने वाले टिकटों पर :—

(१) कूपन टिकटों और रेलवे द्वारा जारी किये जाने वाले टिकटों के समान ही गत्ते और कागज के टिकटों पर . ३ ½ प्र. श.

(२) रिज़र्व्ड डिब्बों में छोटी छोटी भ्रमण पार्टियों और भ्रमण की स्पेशल ट्रेनों के लिये जारी किये गये स्पेशल टिकटों और सर्कुलर टूर टिकटों पर . . . ५ प्र. श.

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Travel Agencies.

(ख) रेलवे द्वारा कमीशन के रूप में दी गई कुल राशि निम्न प्रकार से है :—

वर्ष	राशि (लाख रुपये)
१९५६–५७ .	लगभग ५.९२
१९५७–५८	" ६.३७
१९५८–५९ . . . . (सितम्बर तक)	" २.६६

वातानुकूलित गाड़ियों में यात्रा करने वाले यात्री

†९०. **श्री सुबिमल घोष** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हावड़ा से अलीगढ़ जंक्शन, टूण्डला जंक्शन और गया जंक्शन से हो कर दिल्ली आने और वापिस जाने वाली वातानुकूलित (८१ अप और ८२ डाऊन) गाड़ियों में १९५८ में अभी तक प्रति मास में कितने यात्रियों ने यात्रा की थी ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : लोक सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या २८]**

रेलों में चोरियां और डाके

†९१. **श्री द्वा० ना० तिवारी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सितम्बर और अक्तूबर, १९५८ में रेलों के प्रतिज़ोन में गाड़ियों और स्टेशनों पर कितने डाके तथा चोरियां हुई थीं ।

(ख) उन में कितने लोग मारे गये या घायल हुए थे ; और

(ग) उक्त अवधि में चोरियां करने या डाके डालने के लिये अपराधियों ने कितनी लाइनों में तोड़ फोड़ की थी ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) से (ग). जानकारी निम्नलिखित है :—

रेलवे	डाकों की संख्या	चोरियों की संख्या	घायल तथा मारे गये व्यक्तियों की संख्या	तोड़ी फोड़ी गई लाइनों की संख्या@
दक्षिण	१	२६९	१	१
पूर्वोत्तर	–	२०१	–	–
पूर्वोत्तर सीमान्त .	–	२३	१	२

†मूल अंग्रेज़ी में

@यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि क्या उन लाइनों को चोरियों के लिये तोड़ा फोड़ा गया था या कि डाकों के लिये । उन की वास्तविक इच्छा के सम्बन्ध में अभी तक पता नहीं लग सका है ।

रेलवे	डाकों की संख्या	चोरियों की संख्या	घायल तथा मारे गये व्यक्तियों की संख्या	तोड़ी फोड़ी गई लाइनों की संख्या*
मध्य . .	१	८४*		४
पश्चिम .	—	१८३	३	..
दक्षिणपूर्व .	—	२४२*	..	..
उत्तर . .	२	३५३	२	१
पूर्व . .	—	१८१	..	..

भारिक (पोर्टर)

†९२. **श्री राजेन्द्र सिंह:** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेलों के भारिकों (पोर्टर्स) को लाइसेंस देने के क्या क्या नियम और शर्तें हैं ;

(ख) रेलवे परिवहन का काम चलाने में यदि उन की कोई जिम्मेवारी है, तो वह क्या है ; और

(ग) कुल कितने भारिक (पोर्टर) हैं और उन का रेलवे कर्मचारियों की तुलना में कितना अनुपात है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** (क) लाइसेन्सप्राप्त भारिकों (पोर्टर्स) को जिन मुख्य नियमों व शर्तों के अधीन यात्रियों और रेलवे के सामान को रखने उठाने की अनुमति है, वे निम्नलिखित हैं :—

(१) लाइसेन्सप्राप्त भारिक प्रतिदिन अपनी निर्धारित अवधि में नियमित रूप से अपने कार्य की ओर ध्यान देंगे ।

(२) लाइसेंसप्राप्त भारिक यात्रियों के सामान की उठाई धराई स्टेशन की सीमा के अंदर रेलवे प्रशासन द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार करेंगे ।

(३) लाइसेंसप्राप्त भारिक अपनी ड्यूटी के समय रेलवे द्वारा निश्चित की गई वर्दी पहनेंगे और बिल्ले लगायेंगे ।

(४) लाइसेंसप्राप्त भारिक यात्रियों से निश्चित दर से अधिक मजूरी नहीं मांगेंगे ।

(५) लाइसेंसप्राप्त भारिक यात्रियों से अच्छी प्रकार से और नम्रता से पेश आयेंगे और उन के सामान को बड़े ध्यान से धरें-उठायेंगे ।

(६) भारिकों को रेलवे द्वारा दी जाने वाली वर्दी और उन की देखरेख पर किये जाने वाले खर्च को पूरा करने के लिये रेलवे को कुछ लाइसेंस फीस देनी होगी ।

(७) लाइसेंसप्राप्त भारिकों को एक करारनामे पर हस्ताक्षर करने होंगे कि वे लाइसेंस-प्राप्त करने की सभी शर्तों को पूरा करेंगे ।

(८) लाइसेंसप्राप्त भारिकों को तब तक काम से अलग न किया जायेगा जब तक कि वे स्वयं काम न छोड़ दें अथवा उन के विरुद्ध कोई शिकायतें न हों ।

†मूल अंग्रेजी में

*मध्य रेलवे में अक्तूबर मास में हुई चोरियों के सम्बन्ध में आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं ।

(९) भारिकों के पास छोड़े गये सामान के लिये रेलवे जिम्मेदार नहीं होगी ।

(१०) लाइसेंस प्राप्त भारिक (उन के परिवार के सदस्यों को छोड़ कर) रेलवे अस्पतालों से बाहिर के रोगियों के समान मुफ्त डाक्टरी सहायता प्राप्त कर सकते हैं ।

(११) जिस समय वे यात्रियों के सामान उठाने में न लगे हुए हों, उस समय उन से उचित मजूरी पर रेलवे का काम कराया जा सकता है ।

(ख) रेलवे परिवहन में उन की कोई निजी जिम्मेवारी नहीं है ।

(ग) सभी भारतीय रेलों में इस समय कुल ३३,००० लाइसेन्सप्राप्त भारिक हैं और रेलवे कर्मचारियों की तुलना में उन का अनुपात १.३३ है ।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था का दूसरा वार्षिक प्रतिवेदन

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : मैं अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था अधिनियम, १९५६ की धारा १९ के अन्तर्गत अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था की वर्ष १९५७-५८ (१ अगस्त, १९५७ से ३१ मार्च, १९५८ तक) की दूसरे वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई देखिये संख्या एल० टी०–१००२/५८]

दिल्ली विकास प्राधिकार नियमों में संशोधन

†**श्री करमरकर** : मैं दिल्ली विकास अधिनियम, १९५७ की धारा ५८ के अन्तर्गत दिल्ली विकास प्राधिकार नियम, १९५८ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक २६ जुलाई, १९५८ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ६३२ की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई देखिये संख्या एल० टी० १००३/५८]

दिल्ली सड़क परिवहन प्राधिकार का प्रशासन प्रतिवेदन

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : मैं दिल्ली सड़क परिवहन प्राधिकार के वर्ष १९५५-५६ की प्रशासन प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई देखिये संख्या एल० टी० १००४/५८]

दिल्ली मोटर गाड़ी नियमों में संशोधन

†**श्री स० का० पाटिल** : मैं मोटर गाड़ी अधिनियम, १९३९ की धारा १३३ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिल्ली मोटर गाड़ी नियम, १९४० में कुछ संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :

(१) दिल्ली गजट में प्रकाशित दिनांक ३ सितम्बर, १९५८ की अधिसूचना संख्या १२/१३०/५६–एम० टी०/होम ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(२) दिल्ली गजट में प्रकाशित दिनांक ३ सितम्बर, १९५८ की अधिसूचना संख्या १२/१५४/५६–एम० टी०/होम ।

[पुस्तकालय में रखी गई देखिये संख्या एल० टी०/९२०/५८]

कसाई घरों और मांस का निरीक्षण करने के तरीकों सम्बन्धी तदर्थ समिति का प्रतिवेदन

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : मैं कसाईघरों और मांस का निरीक्षण करने के तरीकों के बारे में तदर्थ समिति की रिपोर्ट की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई देखिये संख्या एल० टी०/१००५/५८]

प्राक्कलन समिति

उन्तीसवां प्रतिवेदन

†**श्री ब० गो० मेहता** (गोहिलवाड) : मैं रेलवे मंत्रालय-कर्मचारियों सम्बन्धी विषयों के बारे में प्राक्कलन समिति (पहली लोक-सभा) के चौबीसवें प्रतिवेदन की सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में प्राक्कलन समिति का उन्तीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

ताराँकित प्रश्न संख्या १३६० के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर की शुद्धी

†**स्वास्थ्य मन्त्री (श्री करमरकर)** : १८ सितम्बर,१९५८ को तारांकित प्रश्न संख्या १३६० के बारे में श्री तंगामणि द्वारा पूछे गये अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में यह कहा गया था कि डाक्टरों की संख्या १८१ है जिन में ३० विशेषज्ञ हैं और ४४ अतिरिक्त डाक्टरों को नियुक्त करने का प्रस्ताव है। सही स्थिति यह है कि १८१ में नियुक्त किये जाने वाले ४४ अतिरिक्त डाक्टर भी शामिल हैं ।

†**श्री तंगामणि** : (मदुरै) : क्या उक्त ४४ डाक्टर नियुक्त कर लिये गये हैं ?

†**श्री करमरकर** : मैं इस का पता लगाऊंगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री, जो अपने वक्तव्यों की शुद्धि करते हैं, उस शुद्धि से उत्पन्न प्रश्नों का उत्तर देने के लिये भी तैयार रहना चाहिये ।

[redacted] कार्य मंत्रणा समिति

इकत्तीसवां प्रतिवेदन

†**संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के इकत्तीसवें प्रतिवेदन से, जो १७ नवम्बर, १९५८ को सभा में उपस्थापित किया गया था, सहमत है ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया और स्वीकृत हुआ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

चाय (सीमा शुल्क तथा उत्पादन शुल्क में परिवर्तन) विधेयक

†**अध्यक्ष महोदय :** अब सभा चाय (सीमा शुल्क तथा उत्पादन-शुल्क में परिवर्तन) विधेयक पर अग्रेतर चर्चा करेगी । माननीय मंत्री ।

†**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी) :** इस विषय पर ग्यारह सदस्यों के भाषण हो चुके हैं और अधिकांश सदस्यों की यह राय है कि उपयुक्त रियायत नहीं दी गई है। उन्होंने यह भी शिकायत की है कि प्रस्ताव रखते समय पर्याप्त सूचना नहीं दी गई थी ।

यह रियायत २८ सितम्बर, १९५८ से लागू हुई है। मेरे माननीय सहयोगी श्री ब० रा० भगत ने उस समय सभा को सभी संगत तथ्य बता दिये थे । तथापि सदस्यों ने यह शिकायत की है कि लागत ढांचे के सम्बन्ध में नहीं बताया गया, श्रमिकों का परामर्श नहीं लिया गया, तथा उपभोक्ता हितों का भी परामर्श नहीं लिया गया । ये बातें विचाराधीन विधेयक से संगत नहीं हैं । हम चाय पर कोई नया कर नहीं लगा रहे हैं । हम व्यापार उपभोक्ता तथा श्रमिक हितों के अभ्यावेदनों पर भलीभांति विचार कर रियायत दे रहे हैं ।

विधेयक के बहुत सरल होने के कारण इस का उद्देश्य और कारणों का विवरण केवल दो पंक्तियों में है । इस का उद्देश्य बहुत साफ है यथा आम चाय को अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतियोगिता करने में समर्थ बनाना । हमें पूरा विश्वास है कि दी गई रियायत से हमारे उद्देश्य की पूर्ति होगी ।

श्री नौशीर भरूचा ने यह शिकायत की है कि चाय के अंशों की कीमतें गिर रही हैं । मेरे पास जो नवीनतम आंकड़े हैं उन से यह ज्ञात होता है कि रियायत मिलने के फलस्वरूप चाय के अंशों की कीमतों में वृद्धि हो गई है । उदाहरणस्वरूप अक्तूबर के प्रारम्भ में कलकत्ता में ब्रुकबोंड के अंशों के भाव १७.७५ से बढ़ कर १७.८७, हाथपाढ़ा के भाव ११६ से बढ़ कर १२४ और हासीमाड़ा के भाव २३.३७ से बढ़ कर २३.४४ हो गये ।

अक्टूबर में चाय के अंशों के भाव बढ़े । चाय की मांग भी पहिले महीनों से अधिक रही इसलिये स्थिति पर चिन्ता करने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

सदस्यों ने यह कहा है कि हमारे निर्यात में कमी होगी और हम अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतियोगिता करने में सफल नहीं होंगे । अफ्रीकी चाय के उत्पादन में वृद्धि हो रही है और हमारा निर्यात कम होने की संभावना स्पष्ट है । हम चाय निर्यात बाजार की प्रवृत्ति का निरन्तर अध्ययन कर रहे हैं । रियायत व्यापार का पर अच्छा प्रभाव हुआ है । हमारे निर्यात में इतनी कमी नहीं हुई है कि हम निर्यात शुल्क हटा दें । उसे हटाने पर भी यह आवश्यक नहीं है कि हमारे निर्यात में वृद्धि होगी । हमारे निर्यात शुल्क हटाने से लंका भी निर्यात शुल्क हटा देगा, परिणामस्वरूप लंडन के निलामों में वही स्थिति रहेगी । हमारे छूट देने से यूरोपीय उपभोक्ताओं या भारतीय जहाज के स्वामियों को लाभ होगा ।

हमें इन बातों पर ध्यान रखना है और बिना आय में नुकसान उठाये हुए हमें अपना निर्यात बाजार भी बनाये रखना है । इसलिये चाय बोर्ड, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय स्थिति पर गौर कर रहे हैं । इसलिये चाय के व्यापार के सम्बन्ध में निराश होने का कोई कारण नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

१९५४ में हम ने विदेशों को ४४ करोड़ ८० लाख पौंड चाय का निर्यात किया। १९५५ में निर्यात घट कर ३६ करोड़ ७० लाख पौंड रह गया। १९५६ में निर्यात बढ़ कर ५२ करोड़ ३६ लाख पौंड हो गया। १९५७ का निर्यात १९५४ के बराबर रहा। जनवरी से अक्टूबर १९५८ के आंकड़ों से यह ज्ञात होता है कि इस वर्ष की स्थिति पिछले वर्ष की तुलना में ४ करोड़ पौंड अच्छी रही। १९५८ में चाय निर्यात की स्थिति १९५७ से अच्छी रही और निर्यात में ४ करोड़ ७० लाख पौंड की वृद्धि हुई।

अक्टूबर में हमारी चाय की मांग अधिक रही। अक्टूबर के महीने की बाजार समालोचना में बाजार की स्थिति का पूरा चित्र आ जाता है। उस का सारांश यह है :

> "निर्यात और उत्पादन शुल्क की दरों में परिवर्तन से चाय को कुछ रियायत मिली और निर्यात कर्त्ता दुआर और आसाम की बढ़िया चाय के अधिक दाम लगाने में समर्थ हुए। आम और घटिया चाय इस महीने बहुत लोकप्रिय रही उन के भावों में १० से १५ पैसे तक की वृद्धि हुई। आसाम की मध्यम प्रकार की चाय की कीमतें भी स्थिर रहीं। वर्तमान भावों का स्तर इस मौसम के ऊंचे भावों की तुलना में एक रुपये से भी अधिक कम है।"

अर्थात् इस रियायत से बाजार तथा भाव दोनों पर ही अच्छा प्रभाव हुआ है। हमें अपने देश में होने वाली आय को भी नहीं खोना चाहिये। विदेशी मुद्रा कमाने के लिये हमें विदेशी उपभोक्ताओं को लाभ नहीं देना चाहिये। इस बात की आशंका है कि अधिक रियायत देने से अपने देश के उपभोक्ताओं को लाभ न हो कर विदेशी उपभोक्ताओं को लाभ होगा।

पहिले आम चाय को रियायत नहीं दी जाती थी; आयन्दा आम चाय को भी रियायत दी जायेगी। इस के पूर्व आम चाय, बिचले दर्जे की चाय, और बढ़िया चाय सभी पर समान उत्पादन शुल्क और निर्यात शुल्क लगता था। भविष्य में आम चाय पर केवल दो नये पैसे उत्पादन शुल्क लगेगा जबकि निर्यात शुल्क सभी प्रकार की चाय में समान रहेगा। पिछले निलामों के भाव के अनुसार हम ने सारे देश को तीन खंडों में विभाजित कर दिया है। सदस्य खंड के विभागों से अवगत हैं। आम चाय अर्थात् किन्हीं विशेष क्षेत्रों पर उगने वाली चाय पर केवल दो नये पैसे उत्पादन शुल्क लगेगा। पिछले वर्षों के उत्पादन को देख कर हम ने इन क्षेत्रों को तीन वर्गों में बांट दिया है। जहां की चाय से कम मूल्य प्राप्त होता है उसे निम्न श्रेणी में रखा है, जहां की चाय का मूल्य १.७५ रु० प्रति पौंड मूल्य है उसे श्रेणी २ में रखा है। जहां की चाय का मूल्य दो रु० प्रति पौंड से अधिक है उसे हमने श्रेणी तीन में रखा है।

हम ने, आम चाय की परिभाषा किये बिना ही आम चाय को रियायत दी है। डिब्बों में बन्द करने के बाद आम चाय की परिभाषा करना कठिन हो जाता है। तथापि हम ने सारे चाय उत्पादन क्षेत्रों को तीन खंडों मे विभाजित कर दिया है। दार्जिलिंग जिले के सिलगुड़ी उपविभाग के विस्तृत क्षेत्र, जलपाईगुड़ी को छोड़ कर पश्चिम बंगाल के पश्चिमी दीनाजपुर तथा अन्य जिले, नीलगिरि का गुडालुर तालुक, पश्चिम किनारे के पीरमेड और मानानचिल के क्षेत्रों को भी यह लाभ प्राप्त होगा। हम इसी प्रकार आम चाय को रियायत दे सकते थे।

कलकत्ता के गोदामों या नीलाम बाजार में बहुत बड़ी मात्रा में चाय जमा नहीं है। चाय की मांग काफी है। हम स्थिति पर निरंतर गौर कर रहे हैं कि लंडन तथा भारत के नीलामों में चाय का क्या भाव रहता है। जहां तक मुझे ज्ञात है कोई माल बाकी नहीं है और मांग अधिक

है। अत: स्थिति को देखते हुए पर्याप्त रियायत दी गई है। हम इससे अधिक रियायतें नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम इसके निर्यात से होने वाली आय भी नहीं खोना चाहते हैं। इसलिये निर्यात शुल्क हटा देने की कोई आवश्यकता नहीं है।

आम चाय के लिये १० नये पैसे की रियायत इस समय के लिये पर्याप्त है, क्योंकि यह रियायत का २६.५ प्रतिशत है। निचले प्रकार की चाय को २१ प्रतिशत और बढ़िया प्रकार की चाय को रियायत का ५.३३ प्रतिशत मिला है। अफ्रीका की चाय की प्रतियोगिता से इस उद्योग पर कोई घातक प्रभाव नहीं होगा। हमारे यहां प्रति व्यक्ति चाय की खपत ·६ पौंड है जब कि ब्रिटेन में यह खपत १० पौंड है। तथापि हमारी जन संख्या बढ़ रही है और चाय बोर्ड चाय की खपत के लिये पूरा प्रचार कर रहा है। जीवन स्तर बढ़ने के साथ हमारे देश में प्रति व्यक्ति चाय की खपत भी बढ़ सकती है, और तब हमारे देश में पर्याप्त चाय की खपत हो सकती है। हमें चाय बागान में भी अपनी सर्वोच्च स्थिति बनाये रखनी है।

निसंदेह बंगाल और आसाम में कुछ शुल्क हैं तथापि राज सरकारों को ये शुल्क समाप्त करने के लिये राजी करना बहुत कठिन होगा क्योंकि वे केन्द्र से इसका प्रतिकर मांगेंगे। तथापि वे दोनों सरकारें चाय व्यापार के महत्व को समझती हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि कोई ऐसे कदम नहीं उठायेंगे जिनसे इस व्यापार पर कठिनाई आये। यह विषय राज्य सरकारों से सम्बन्धित है और हम अपनी ओर से कुछ नहीं कर सकते हैं।

यह कहना भी कि ब्रिटेन के बाजार में हमारे अंशों की कीमत गिर रही है, गलत है। ब्रिटेन के बाजार में १९५४ में हमारा प्रतिशत ४६.७ था, १९५५ में यह घटकर ४३.१ रह गया, १९५६ में यह बढ़ कर ५१.३ हो गया, १९५७ में यह पुन: ४६.६ हो गया, आशा है १९५९ में इस प्रतिशत में वृद्धि होगी।

ब्रिटेन के नीलामों में अब भी हमारी स्थिति सर्वोच्च है। अत: हमें निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। निसंदेह हम निरंतर स्थिति पर गौर करते रहेंगे। आवश्यकता होने पर हम अधिक रियायतें देंगे। इस समय इतनी रियायत से निर्यात को पर्याप्त प्रोत्साहन मिल जायेगा। इस रियायत से हमें १.५८ करोड़ का घाटा हुआ है अत: इस समय इतनी रियायत काफी है। हमने यह रियायत व्यापार के अभ्यावेदन पर ही दी है। इस रियायत के परिणाम स्वरूप अंशों की कीमत बढ़ गई हैं और मांग भी बढ़ रही हैं।

मैं इस सुझाव से सहमत नहीं हूं कि पहिले ६ महीनों में निर्यात शुल्क बिल्कुल न लिया जाय। इससे हमें हानि अधिक होगी और लाभ कुछ भी न होगा। मुझे इस बात से प्रसन्नता है कि सदस्यों ने सामान्यत: रियायत का समर्थन किया है। उन्होंने इससे ही आगे बढ़ कर शुल्क को पूरी तरह हटाने की मांग की है। लेकिन हम इस समय ऐसा नहीं कर सकते हैं। मैं माननीय सदस्यों को विचाराधीन विधेयक का समर्थन करने के लिये बधाई देता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है:

"कि चाय पर सीमा शुल्क तथा उत्पादन शुल्क में [illegible] करने के प्रयोजन से भारतीय प्रशुल्क अधिनियम १९३४, तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम १९५४ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड २ (द्वितीय अनुसूचि का संशोधन १९३४ का ३२ वां अधिनियम)

†**अध्यक्ष महोदय :** अब हम खंड २ लेते हैं। श्री न० रं० घोष ।

†**श्री न० रं० घोष** (कूच बिहार) : मैंने संशोधन की सूचना दी है। मैं सरकार का कृतज्ञ हूं कि उसने चाय को संरक्षण देने की आवश्यकता को समझा है तथापि जो रियायत दी गयी है वह अनुपयुक्त है और उससे कोई लाभ नहीं होगा ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

आंकड़ों से भी यह ज्ञात होता है कि आम चाय के दाम नहीं बढ़े हैं।

मैं यह भी बताना चाहता हूं कि निर्यात शुल्क को पूरी तरह हटा लेने से इस उद्योग को बहुत लाभ होगा। निसंदेह पाकिस्तान और लंका भी इस शुल्क को हटा लेंगे। लेकिन इतने पर भी इसका अच्छा प्रभाव होगा क्योंकि तब हमारी चाय पूर्वी अफ्रीका प्रभृति देशों की चाय का मुकाबला कर सकेगी और वहां चाय के उत्पादन को वह प्रोत्साहन नहीं मिलेगा जो अब मिल रहा है। मैं विधेयक के सिद्धांत से सहमत हूं तथापि मेरा सुझाव है कि प्रस्तावित रियायत पर्याप्त नहीं है ।

†**श्री आचार** (मंगलौर) : हमें ज्ञात हुआ है कि इस उद्योग में लगी हुई पूंजी देश से बाहर जा रही है और विदेशी बागानों के स्वामी यहां के बगानों को खत्म कर अपनी कार्यवाइयां ब्रिटिश पूर्वी अफ्रीका में केन्द्रित कर रहे हैं। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि यह बात कहां तक सत्य है और यदि सत्य है तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कर रही है ?

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी :** पूंजी के स्थानान्तरण से सम्बन्धित आंकड़े इस समय मेरे पास उपलब्ध नहीं है। कुछ भी हो हम रक्षित बैंक से इन आंकड़ों की मांग करेंगे कि पिछले दो तीन वर्षों में चाय बागानों की बिक्री के कारण कितनी पूंजी का स्थानान्तरण हुआ है।

संशोधन के प्रस्तावक महोदय ने सरकार से पर्याप्त ध्यान देने को कहा है। हम स्थिति का निरंतर अध्ययन कर रहे हैं। हम निर्यात शुल्क के कारण अपने व्यापार को हानि नहीं पहुंचाने देंगे। आवश्यकता होने पर हम अतिरिक्त रियायत देने पर भी विचार करेंगे। अक्टूबर में इस रियायत की प्रतिक्रिया बहुत अच्छी हुई है। कलकत्ता रिव्यू ने कहा है कि : मौसम के शुरू में आम चाय का भविष्य अंधकार मय ज्ञात होता था लेकिन इस समय की स्थिति संतोषजनक ज्ञात होती है। चाय की आमद रफ्त और बिक्री में तेजी रही तथा आज तक के निर्यात और बिक्री मूल्यों के आंकड़ों सें यह ज्ञात होता है कि इस वर्ष १९५७ से स्थिति अच्छी रही है।" इस महीने भावों में भी वृद्धि हुई है। विचले दर्जे की दुआर के मूल्यों में वृद्धि हुई है। निचले दर्जे की आसाम, विचले दर्जे की सी० टी० सी० के भावों में भी वृद्धि हुई है। सर्वोत्तम सी० टी० सी० जिसकी कीमत २.६० रु० से ३ रुपये तक हुआ करती थी उसकी कीमत बढ़ कर २.८० से ३.१० रु० हो गई है ।

"मिड सीजन रिव्यू" में भी यह कहा गया ह "वर्षा के आगमन पर चाय की कीमतों में जो कमी होती थी वह नहीं हुई है ।"

इसलिये मैं माननीय सदस्य से यह निवेदन करूंगा कि वह संशोधन पर आग्रह न करें । मैं आश्वासन देता हूं कि हम स्थिति पर निरंतर गौर करते रहेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री ना० रं० घोष** : मैं माननीय मंत्री द्वारा दिये गये आश्वासनों को ध्यान में रखते हुए अपने संशोधन को प्रस्तुत नहीं करता ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

" कि खंड २ विधेयक का अंग बने "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड २ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड ३ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड १, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

†**श्री बे० गोपाल रेड्डी** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाय "

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

" कि विधेयक को पारित किया जाय "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श) विनियमों में रूपभेद सम्बंधी प्रस्ताव

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब सभा संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श) विनियम , १९५८ में रूप भेद संबंधी प्रस्तावों पर, जो २७ सितम्बर, १९५८ को प्रस्तुत किये गये थे, विचार करेगी।

संविधान के अनुच्छेद ३२०(५) के अनुसार, इन विनियमों में उसी सत्र में संशोधन किया जा सकता है जिसमें कि इनको प्रस्तुत किया जाये । फिर भी माननीय गृह-कार्य मंत्री ने पिछले अवसर पर कहा था कि यदि सभा इन विनियमों के सम्बन्ध में बाद म कोई सिफारिशें करे तो वह उन पर विचार करेंगे ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : (पाली) : ये विनियम राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद ३२० के उपखण्ड (३) के परन्तुक के अन्तर्गत निर्मित किये गये थे और सभा-पटल पर रखे गये थे । इस अनुच्छेद में यह स्पष्ट व्यवस्था की गई है कि ऐसे विनियमों में कोई भी संशोधन केवल उसी सत्र के दौरान में किया जा सकता है , जिस में कि उनको सभा-पटल पर रखा गया हो । इसलिये अब इन विनियमों में कोई भी संशोधन करने में संवैधानिक कठिनाई है । मेरी समझ में नहीं आता कि हम संवैधानिक कठिनाई को कैसे दूर करेंगे ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

इन विनियमों को तैयार करने में सरकार ने आठ वर्ष से अधिक लगा दिये है । संघ लोक-सेवा आयोग के प्रतिवेदनों की चर्चा के समय संसद् के दोनों सदनों में कई बार इसकी मांग की जा चुकी है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

संविधान के अनुच्छेद ३२० में स्पष्ट व्यवस्था की गई है कि इस अनुच्छेद के उपखण्ड (३) में उल्लिखित सभी विषय संघ लोक-सेवा आयोग के क्षेत्राधिकार में ही रहेंगे। कुछ विशेष परिस्थितियों में ही, राष्ट्रपति, कुछ विशेष और समुचित कारणों से ही, उन विषयों में से कुछ को संघ लोक-सेवा आयोक के क्षेत्राधिकार से हटा सकता है ।

एक अन्य अनुच्छेद में कुछ अन्य विषयों को भी संघ लोक-सेवा आयोग के क्षेत्राधिकार में दे देने की व्यवस्था की गई है। हम सरकार से यही आशा करते हैं वह ऐसी संस्थाओं के हाथ मजबूत करने और इसके लिये अनुच्छेद ३२१ की व्यवस्था का उपयोग करने का भरसक प्रयास करेगी। लेकिन हमारी सरकार तो संघ लोक-सेवा आयोग के क्षेत्राधिकार को अधिकाधिक सीमित करती जा रही है । अधिकाधिक विषयों को आयोग के क्षेत्राधिकार से विमुक्त करती जा रही है। हमें इसका कोई कारण भी नहीं बताया जाता ।

पहले अनुसूची को लीजिये। मद संख्या ५ के अन्तर्गत विमुक्ति दी गई है कि मद संख्या १ से ४ तक में उल्लिखित पदों के धारण करने वालों को अपने निजी कर्मचारी स्वयं नियुक्त करने की शक्ति रहेगी ; उनका चुनाव संघ लोक सेवा आयोग नहीं करेगा। मैं किसी हद तक इस बात को तो मान सकता हूं कि मंत्रियों को अपने निजी सचिव अपनी इच्छा के अनुसार चुनने की शक्ति देनी चाहिये। लेकिन पहले तो स्थिति यह थी कि मंत्रिगण अपने निजी सचिव वर्तमान पदाधिकारियों में से ही चुन सकते थे। लेकिन अब तो स्थिति यह है कि वे अपने निजी सचिव ही नहीं, निजी उपसचिव, निजी सहायक सचिव, निजी सहायक और यहां तक कि स्टेनोग्राफर भी अपनी इच्छानुसार चुन सकते हैं। इतना ही नहीं वे इन पदों पर बिलकुल नयी नियुक्तियां भी कर सकते हैं। पता नहीं वे स्थायी पदालि में से अपने स्टेनोग्राफर भी क्यों नहीं चुनना चाहते। इस से तो मंत्रिगण अपने चारों ओर एक घरेलू वातावरण सा बना लेंगे।

और सिर्फ़ इतना ही नहीं, इसके जरिये केवल मंत्रियों ही नहीं, राष्ट्रपति, उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों, राजदूतों और उपमंत्रियों को भी यही छूट दी जा रही है। मुझे इसका कोई भी उचित कारण नज़र नहीं आता। इससे मुझे यह आशंका होती है कि मंत्रियों द्वारा अपने निजी सचिव इत्यादि की नियुक्ति दलगत राजनीतिक हितों को ध्यान में रख कर की जायेगी। जैसा कि अभी केरल में करने की कोशिश की जा रही है। वे अपने दल के राजनीतिक नेताओं को ही निजी सचिव इत्यादि के पदों पर रखना चाहते हैं।

मैं कहता हूं कि यह सिद्धांत गलत है। राजनीतिक नेताओं की इन पदों पर नियुक्तियां होने से मंत्रालयों और सचिवालयों पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसलिये, इस प्रकार की विमुक्ति बड़ी खतरनाक साबित होगी। इस में ज्यादा से ज्यादा इतनी ही विमुक्ति दी जा सकती है कि मंत्री अपनी इच्छा के मुताबिक केवल निजी सचिव को ही नियुक्त कर सकें।

हां, लोक-सभा सचिवालय और राज्य-सभा सचिवालय के पदों को संघ लोक सेवा आयोग के क्षेत्राधिकार से विमुक्त करना बिलकुल ठीक है। यह इसलिये कि विधान मंडलों को मंत्रालयों और कार्यपालिका के हस्तक्षेप या प्रभाव से पूर्णतया दूर ही रखना चाहिये। लेकिन साथ ही, मैं पूरे सम्मान के साथ आप से अनुरोध करता हूं कि आपको इन सचिवालयों की भर्ती के लिये भी एक ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये जिस से कि इस विमुक्ति का दुरुपयोग न किया जा सके।

अब मैं विमुक्ति संख्या ७ को लेता हूं, अर्थात् अणु शक्ति आयोग के अन्तर्गत सभी टेकनीकल और प्रशासकीय पदों की विमुक्ति की व्यवस्था को। यह एक नया विभाग है और उत्तरोत्तर बढ़ता ही

जा रहा है। इस विभाग को विमुक्ति देना ठीक है, क्योंकि इसके विकास में कोई बाधा नहीं पड़नी चाहिये। लेकिन इस विभाग के प्रशासकीय पदों को संघ लोक सेवा आयोग के क्षेत्राधिकार में ही रखना चाहिये। यदि उस में कोई व्यावहारिक कठिनाई हो, तो गृह-कार्य-मंत्री को हमें बताना चाहिये।

फिर मद संख्या १२ में यह व्यवस्था की गई है कि यदि किन्हीं पदों के बारे में संघ लोक सेवा आयोग सहमत हो जाये कि उस से परामर्श लेना जरूरी नहीं है तो उनको भी विमुक्ति दी जा सकती है। मुझे इस पर आपत्ति है। इस तरीके से संसद् को भी उन पर चर्चा करने का अधिकार नहीं रह जायेगा। यह संसद् का प्राधिकार सीमित करना है।

जो भी विमुक्तियां दी जायें, उनको सभा-पटल पर रखना चाहिये, जिस से कि संसद् उन पर चर्चा कर सके। यदि यह व्यवस्था मान ली जाये तो फिर संघ लोक सेवा आयोग और गृह-कार्य मंत्रालय दोनों ही मिलकर संसद् को बिलकुल ही अन देखा कर देंगे।

मैं समझता हूं कि सुरक्षा की दृष्टि से कछ विमुक्तियां देने की शक्ति तो सरकार को देनी ही चाहिये। मैं इसे ठीक समझता हूं। लेकिन साथ ही साथ इस शक्ति का दुरुपयोग न होने देने के लिये एक ऐसी व्यवस्था भी की जानी चाहिये जिस से कि जनता को यह विश्वास हो सके कि सरकार जनता के प्रतिनिधियों की बातों को सुनती है और उन पर विचार भी करती है। यह बहुत जरूरी है। जैसे कि नजरबन्दी के संबंध में ऐसी कोई व्यवस्था होना जरूरी है कि उसका मामला किसी समिति के सामने रखा जाये और साल भर या छैःमहीनों में वह उस पर कोई निर्णय कर ही दे। तभी संसद् और जनता को उस पर पूरा भरोसा रहेगा।

इसमें एक दूसरी खामी यह है कि यदि किसी अधिकारी को योग्यता-अवरोध (एफीसिएन्सी बार) पार करने से रोका जाये, अयोग होने के नाते उसकी वेतन वृद्धि रोकी जाये, तो वह मामला संघ लोक सेवा आयोग के सामने नहीं रखा जायेगा। जब कि अधिकारी के प्रतिनिन्दन का मामला संघ लोक सेवा आयोग के सामने जायेगा। पता नहीं योग्यता अवरोध के मामले को यह विमुक्ति क्यों दी गई है। यह भी तो एक बड़ा दण्ड है, और उसका प्रभाव अधिकारी की आगे की प्रगति पर काफी पड़ता है। सरकार ने पता नहीं किन कारणों से यह विमुक्ति दी है।

†**श्री कोडियान** (क्विलोन –रक्षित–अनसूचित जातियां): मुझे खुशी है कि सरकार ने, देर से ही सही, आखिर इन विनियमों को सभा के समक्ष रखा तो है।

इन विनियमों को देखने से स्पष्ट हो जाता है कि सरकार विभिन्न श्रेणियों की नियुक्तियों की एक भारी संख्या को संघ लोक सेवा आयोग के क्षेत्राधिकार से अलग रखना चाहती है। राजनयिक विभागों और विदेशों में भारतीय मिशनों के प्रधानों, इत्यादि की नियुक्तियों के संबंध में तो यह ठीक है, लेकिन अन्य के बारे में नहीं। अनसूची की मद संख्या ५ में दी गई विमुक्ति अनुचित है।

इस विमुक्ति में अनसूची की मद संख्या १ से चार तक में उल्लिखित पद धारियों के निजी सचिव और सहायक, इत्यादि को सम्मिलित किया गया है। इनको संघ लोक सेवा आयोग के क्षेत्राधिकार से बाहर रखना अनुचित है।

यही बात अणुशक्ति आयोग के प्रशासकीय पदों को दी गई विमुक्ति पर लागू होती है। इसी तरह केन्द्रीय सेवा (राष्ट्रीय सुरक्षा का परित्राण) नियम या रेलवे सेवा नियम, १९५४ के अन्तर्गत

---

†मूल अंग्रेजी में

एक वर्ष तक के लिये अस्थायी नियुक्तियां करने के मामलों में भी संघ लोक सेवा आयोग से राय लेने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से संघ लोक सेवा आयोग का क्षेत्राधिकार सीमित करते जाना ठीक नहीं है।

जनता का विश्वास दृढ़ करने और भर्ती के मामले में पूरी निष्पक्षता बनाये रखने के लिये जरूरी है कि संघ लोक सेवा आयोग का क्षेत्राधिकार और भी विस्तृत किया जाये। केरल में तो अध्यापकों तक की नियुक्तियां आयोग को सौंप दी गई हैं।

केरल में दलगत विचार से सचिवालय या किसी भी विभाग में कोई भी नियुक्ति नहीं की गई है। हां सिर्फ कुछ निजी सचिव और निजी सहायक इस प्रकार नियुक्त किये गये हैं।

संघ लोक सेवा आयोग का क्षेत्राधिकार सीमित करने का कारण यह बताया जा रहा है कि स्वायत्त संस्थाओं को उससे अलग रखना जरूरी है। लेकिन हम देश में सार्वजनिक क्षेत्र को अधिकाधिक विस्तृत कर रहे हैं और उसके साथ ही स्वायत्त संस्थाओं की संख्या भी दिन-दिन बढ़ती जायेगी। तब तो संघ लोक सेवा आयोग का क्षेत्राधिकार कुछ रह ही नहीं जायेगा।

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : क्या इस समय संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन पर सामान्य चर्चा हो रही है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य को विमुक्तियों के सम्बंध में ही बोलना चाहिये।

†**श्री कोडियान** : इसलिये यदि स्वायत्त संस्थाओं के लिये की जाने वाली नियुक्तियों को संघ लोक सेवा आयोग के क्षेत्राधिकार से अलग रखा जायेगा, तो सार्वजनिक क्षेत्र में भी भ्रष्टाचार बढ़ जायेगा। इन संस्थाओं के लिये भी संघ लोक सेवा आयोग, विशेषज्ञों की सहायता लेकर, टेकनीकल पदों पर उपयुक्त व्यक्तियों की भर्ती कर सकता है।

एक ओर तो सरकार आयोग को अधिक शक्तियां नहीं देना चाहती और दूसरी ओर स्वयं अस्थायी रूप से भर्ती करके लोगों को स्थायी बना लेती है।

अभिलेखागार के निदेशक, श्री कृष्ण दयाल भार्गव की नियुक्ति में सरकार ने यही किया है। उसे संघ लोक सेवा आयोग ने अयोग्य माना था। इस प्रकार आयोग के निर्णयों की परवाह न करके लोगों को अस्थायी रूप से पदों पर रखकर स्थायी बना दिया जाता है। माननीय मंत्री इसकी क्या सफाई देंगे ?

ऐसे भी कई उदाहरण हैं कि सरकार आयोग द्वारा चुने गये लोगों को उन पदों पर नियुक्त नहीं करती। पुलिस विभाग द्वारा उनके विगत जीवन की छानबीन कराई जाती है और यदि उनका संबंध किसी अन्य राजनीतिक दल से हुआ .....

†**अध्यक्ष महोदय** : हमें अभी सिर्फ़ विमुक्तियों के औचित्य के प्रश्न तक ही अपने को सीमित रखना चाहिये।

†**श्री कोडियान** : इसलिये सरकार को संघ लोक सेवा आयोग का क्षेत्राधिकार सीमित नहीं करना चाहिये। सरकार को इन विनियमों में कुछ रूपभेद करना चाहिये। माननीय मंत्री को भी श्री हरिश्चन्द्र माथुर का प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिये। मैं उसका समर्थन करता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री नौशीर भरूचा** (पूर्व खानदेश) : ये नियम ऐसे समय सभा के सामने रखे गये थे, कि इस विनियम को पारित करने का समय ही नहीं रह गया था ।

अनुच्छेद ३२० के अनुसार इस में अब कोई भी संशोधन करना नियम बाह्य होगा । संशोधन १४ दिन के अन्दर ही किये जा सकते थे ।

†**अध्यक्ष महोदय** : सभा एक संकल्प तो पारित कर सकती है कि सरकार को इन नियमों में रूप भेद करना चाहिये ।

†**श्री नौशीर भरूचा** : संकल्प में सिर्फ़ सिफारिश ही की जा सकती है । संशोधन नहीं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : भविष्य में जितने भी विनियम सभा के समक्ष रखे जायेंगे उनके प्रस्तुत करने में यह ध्यान रखा जायेगा कि सभा को उन पर विचार करने का पर्याप्त समय मिले । यह एक असाधारण मामला है । इसीलिये माननीय गृह-कार्य मंत्री इस पर सहमत हो गये हैं कि यदि संकल्प पारित किया जाये तो वह यह प्राविधिक आपत्ति नहीं उठायेंगे कि संशोधन १४ दिन के अन्दर ही किया जाना चाहिये ।

माननीय गृह-कार्य मंत्री के इस आश्वासन के बाद कोई कठिनाई ही नहीं रह जाती ।

†**श्री ब्रजराज सिंह** (फ़िरोज़ाबाद) : हुआ तो यह था कि हमने अपने संशोधन इन विनियमों के सभा–पटल पर रखे जाने के १५ दिन के भीतर ही पेश कर दिये थे । उन पर चर्चा नहीं हो सकी थी यह दूसरी बात है । इसलिये अब सरकार को इन विनियमों को फिर से सभा–पटल पर रखना चाहिये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : राष्ट्रपति को नियम और विनियम निर्मित करने और उन्हें सभा–पटल पर रखने का अधिकार है । सभा उन में उसी सत्र में संशोधन कर सकती है, लेकिन यदि वे संशोधन स्वीकृत न हों, तो नियम सभा द्वारा अनुमोदित मान लिये जाते हैं । उसके बाद तो सभा उन में रूप-भेद करने की सिफारिश का संकल्प ही पारित कर सकती है ।

यही मेरा विनिर्णय है । यदि ये संशोधन स्वीकृत हो जायेंगे, तो मैं इन्हें मूल संकल्प ही मान लूंगा । सरकार ने उन्हें क्रियान्वित करना स्वीकार कर लिया है ।

†**श्री नौशीर भरूचा** : संघ लोक सेवा आयोग की नियुक्ति का मूल उद्देश्य यही था कि कुछ नियुक्तियों को सरकारी संरक्षण से अलग रखा जाये , जिस से कि जनता सरकार पर पक्षपात का दोष न लगा सके । लेकिन, ये विनियम इस उद्देश्य के प्रतिकूल हैं ।

अनुच्छेद ३२० के उप खण्ड (५) से स्पष्ट है कि विमुक्तियां कभी-कभी ही और कुछ विशेष कारणों से ही दी जानी चाहिये । लेकिन सरकार बिना कोई कारण बताये इतनी भारी संख्या में नियुक्तियों को आयोग के क्षेत्राधिकार से अलग कर रही है । अणु शक्ति आयोग के अन्तर्गत प्रशासकीय पदों को यह विमुक्ति न देने का क्या विशेष कारण है ? इसी प्रकार, अनुसूची में भी ऐसी ही विमुक्तियां दी गई हैं । आखिर , इन विमुक्तियों का क्या कोई सिद्धान्त तो होना चाहिये ।

यहां तक कि संघ क्षेत्रों के न्यायिक आयुक्तों और जिला तथा अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले को भी आयोग से विमुक्ति दे दी गई है । न्यायपालिका में जनता का विश्वास

---

†मूल अंग्रेजी में

बनाये रखने के लिये जरूरी है कि उसकी सारी नियुक्तियां आयोग द्वारा ही की जायें। मैं जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री ने इन विमुक्तियों की व्यवस्था किस सिद्धान्त के आधार पर की है।

इसी प्रकार, संघ क्षेत्रों के अधीनस्थ न्यायाधीशों और मुन्सिफों की नियुक्ति भी आयोग से बिना परामर्श किये ही की जायेगी। क्या इस ढंग से काम करके सरकार संघ लोक सेवा आयोग के प्रति असम्मान नहीं दिखा रही है?

इसी प्रकार नेफा क्षेत्र की सेवाओं के लिये की जाने वाली नियुक्तियों को भी विमुक्ति दी गई है।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री को चाहिये कि उद्देश्य तथा कारणों के विवरण में यह कारण स्पष्ट कर दें कि किसी श्रेणी विशेष के पदों को क्यों विमुक्ति दी जा रही है। इस से माननीय सदस्यों को उसका आधार पता चल जायेगा, तब वे उस पर आसानी से चर्चा कर सकेंगे।

†**श्री दातार** : मैं इसका स्पष्टीकरण कर दूंगा।

†**श्री नौशीर भरूचा** : अब विनियम संख्या २ और ३ को देखिये। इनकी व्यवस्था के अनुसार तो अखिल भारतीय सेवा के किसी भी अधिकारी को, यदि उसे एक विभाग से दूसरे विभाग में भेजा जाता है, तो आयोग के क्षेत्राधिकार से विमुक्त किया जा सकता है। सरकार प्रथम श्रेणी के अधिकारियों को एक से दूसरे विभाग में भेजने के मामले में स्वतंत्र रहना चाहती है। तबादिलों को सरकार अपने ही संरक्षण में रखना चाहती है। सशस्त्र बल के अधिकारियों की नियुक्ति को भी आयोग के क्षेत्राधिकार से अलग रखा गया है। इस प्रकार, सरकार ने आयोग का कार्यक्षेत्र सीमित कर दिया है।

अनुशासन भंग के मामलों के संबंध में कार्यवाही करने के लिये भी सरकार को आयोग से परामर्श करना जरूरी नहीं रहेगा। सरकार को इन सभी का कारण स्पष्ट करना चाहिये।

सरकार की मंशा आयोग को इतना अप्रभावशाली बना देना है कि वह अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्तियों के मामलों में कुछ भी हस्तक्षेप न कर सके। सरकार इन सभी पदों को अपने ही संरक्षण में रखना चाहती है। यदि इन विनियमों को स्वीकार कर लिया जायेगा, तो सरकार पर पक्षपात का दोष मढ़ा जायेगा, क्यों कि नियुक्तियां करने के लिये तब कोई स्वतंत्र निकाय तो रह ही नहीं जायेगा। न्यायपालिका में की जाने वाली नियुक्तियों को आयोग के क्षेत्राधिकार से हटाने पर, उस पर से भी जनता का विश्वास उठ जायेगा। फिर, इतने अप्रभावशाली संघ लोक सेवा आयोग को बनाये रखने से भी क्या लाभ होगा? सरकार दिन-दिन आयोग का क्षेत्राधिकार सीमित करती जा रही है। इसलिये मुझे इन विनियमों पर आपत्ति है, और सरकार को इन में काफ़ी रूपभेद करना चाहिये।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (हिसार) : जनाब स्पीकर साहिब इन रेगुलेशन्स को देख कर फिलवाका मुझे हैरानी हुई है। जिस वक्त यह यू० पी० एस० सी० बनी थी उस वक्त उस के टर्म्स इतने व्यापक थे कि गवर्नमेंट किसी काम में भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी। संविधान के अनुच्छेद ३२० के साथ संविधान निर्माताओं ने एक परन्तुक जोड़ा है। सरकार उसी की सहायता से उस चक्र से थोड़ा बाहर निकल सकती है। आज सरकार की यह प्रवृत्ति ही चल पड़ी है। आम जनता यही समझ रही है कि नियुक्तियां पक्षपात से होती हैं, योग्यता का ध्यान नहीं रखा जाता।

हम आप लोगों को धन्यवाद देते हैं कि आपने कठिनाइयों के हल निकालने का प्रयास किया है किन्तु उन पर चर्चा तो होनी चाहिये। मैं श्रीमान् के निर्णय पर आपत्ति नहीं करता। आपने समस्या का हल किया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

किन्तु इसी के साथ एक दूसरा दृष्टिकोण भी तो है। जब एक चीज की व्यवस्था विधि द्वारा की गई हो तो उस चीज को उस ढंग से किया जाना चाहिये। यद्यपि सरकार यह विनियम बना सकती है किन्तु सभाओं को इन पर चर्चा करने का पूरा पूरा अधिकार है। यदि सभाएं निरसन द्वारा कोई संशोधन कर दें तो वह हो जायगा किन्तु अब तो वह स्थिति ही समाप्त हो चुकी है। अब इन विनियमों को पारित नहीं समझा जा सकता। न्यायालय भी यही निर्णय करेगा। न्यायालय में कहा जा सकता है कि इन पर समुचित चर्चा नहीं हुई।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य को तब आग्रह करना चाहिये था।

†**श्री ब्रज राज सिंह** : हम तो आप के हाथों में हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य संध्या तक बैठते ही नहीं अतः इस निर्णय को एक तरफा नहीं कहा जा सकता। मुझे आप जितनी देर चाहें बिठा सकते हैं। अभी तो कुछ नहीं बिगड़ा है। अब इस मामले को कार्यावलि में सम्मिलित किया जा सकता है। हम इस कठिनाई को इसी प्रकार से दूर कर सकते हैं।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : अब दूसरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार स्वतः इन विनियमों में संशोधन कर सकती है। बना तो वह सकती है किन्तु संशोधन या रूपभेद का प्रश्न दूसरा है।

†**अध्यक्ष महोदय** : जो विनियम बना सकता है वह उन में रूपभेद भी कर सकता है।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : खैर इस बात में जाने की अब आवश्यकता नहीं क्योंकि आपने कठिनाई को हल कराने का वचन दिया है और हम उस से संतुष्ट हैं।

इन विनियमों को सभा-पटल पर रखते समय सरकार को हमें यह बताना चाहिये था कि किन कारणों से वह इस परामर्श को उचित नहीं समझती।

अनुसूची की मद संख्या १ से ४ तक के मामलों में तो यदि सरकार आयोग से परामर्श न भी ले तब भी कुछ नहीं बिगड़ता किन्तु मद संख्या १२, ५, १० तथा ११ के अपवादों को न्यायोचित समझना बड़ा कठिन है। मद संख्या १२ तो आपत्तिजनक है। इस का अर्थ यह हुआ कि यह विधान-सभा तो क्षेत्र से बाहर हो जाती है। मुझे इस बात पर बड़ी आपत्ति है। इस का अभिप्राय तो यह हुआ कि भविष्य में विधान सभा की कोई भी पूछ न होगी।

मद संख्या ५ के बारे में भी मैं मानता हूं कि निजी सहायक का पद तो ऐसा है जिस के लिये पदाधिकारी ऐसा व्यक्ति रखेगा जिस पर उसे पूरा भरोसा हो किन्तु शेष पदों के लिये यह बात आवश्यक नहीं है।

लोक-सभा तथा राज्य-सभा सचिवालयों के कर्मचारियों को इस से परे रखना ठीक है क्योंकि मेरा यह अनुभव है इन दफतरों में गुणों तथा योग्यता के आधार पर ही लोग लिये गये हैं। मेरा तो अनुभव यही है दूसरों का मुझे पता नहीं है। सैद्धान्तिक आधार पर भी इन दो कार्यालयों को स्वतंत्र ही रखना चाहिये।

मद संख्या ७ के बारे में माननीय मित्र की आपत्तियां ठीक हैं। प्रशासनिक पदों को आयोग द्वारा ही पूरा किया जाना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

जहां तक अधिसूचना का संबंध है यह भी स्वतः संविधान में व्यवस्थित अपवाद से संगत नहीं है । यह अधिसूचना कि विशेष मद के लिये तो नहीं निकाली गई । अब एक विभाग के प्रथम श्रेणी के पदाधिकारी को दूसरे में बिना आयोग के परामर्श से स्थानान्तरित किया जा सकेगा । इस का यह मतलब तो न होगा कि वह पदाधिकारी सब ही विभागों के लिये अच्छा है । इस प्रकार का सामान्य नियम तो ठीक नहीं है ।

मुझे यह भी पता नहीं है कि क्या किसी प्रकार की अनुशासनिक कार्यवाही को भी आपवादिक ठहराया जा रहा है अथवा नहीं । इस पर भी चर्चा करने का अवसर नहीं दिया गया । वास्तव में यह सारा मामला ही इतना महत्व पूर्ण है कि इस पर जनता अत्याधिक अभिरुचि अत्यन्त स्वाभाविक रूप से रखती है । अतः मैं प्रार्थना करता हूं कि इन को जनता की राय जानने के लिये परिचालित किया जाये । इस समय माननीय मंत्री को इन नियमों को वापिस ले लेना चाहिये और उन्हें नये सिरे से देश के समक्ष लाना चाहिये ताकि सब इन पर विचार कर सकें ।

श्री ब्रज राज सिंह : अध्यक्ष महोदय, सब से पहली मुझे आपत्ति यह है कि श्रीमन् द्वारा की गयी रूलिंग के बावजूद यदि इन रेग्युलेशंस को पास भी कर दिया जाये तो भी इसका कोई कानूनी महत्व नहीं होगा । इसलिये इनको दुबारा सदन की मेज पर रखा जाना चाहिये और सदन की मेज पर रखे जाने के बाद सदन के सदस्यों को अवसर दिया जाना चाहिये कि अगर वे चाहें तो इन में संशोधन कर सकें तथा उन पर बहस कर सकें । इस तरह से जो रेगुलेशंस पास किये जायेंगे वे ही कानूनी हो सकेंगे वे इस बात को कहने से मेरा तात्पर्य यह है कि जहां तक आर्टिकल ३२० के सब-आर्टिकल ५ का सम्बन्ध है उसमें यह कहा गया है कि जिस पार्लियामेंट के अधिवेशन में इन रेगुलेशन्स को सभा की मेज पर रखा जाता है उसी में उन पर डिसकशन हो जानी चाहिये, बहस हो जानी चाहिये और अगर उस अधिवेशन में बहस नहीं होती है तो उसका मतलब यह नहीं लगाया जायेगा कि वे कानून का रूप धारण कर लेते हैं बल्कि यह लगाया जायेगा कि उन पर बहस नहीं हो सकी और वे एग्सिस्टेंस में नहीं हैं। इसलिए मैं यह कहूंगा कि इनको पुनः सभा की मेज पर रखा जाना चाहिये और सदन को अवसर दिया जाना चाहिये कि वह उन पर फिर से बहस करे, चाहे तो संशोधन पेश करे और तब जा कर इनको पास हुआ समझा जाये ।

इसके अतिरिक्त मुझ से पूर्व वक्ता पंडित ठाकुर दास भार्गव जी ने जो अपना विचार प्रस्तुत किया है, उसका मैं समर्थन करता हूं । यह इतना महत्वपूर्ण विषय है कि सारे देश के लोग चिन्तित हो उठते हैं । आज कल हमारे शासन में खास तौर से हमारी प्रशासकीय सेवाओं में पक्षपात, कुनबापरस्ती, भाई-भतीजावाद इत्यादि चलता है । विधान के अनुसार सूबों में और केन्द्र में पब्लिक सर्विस कमिशन्स मौजूद हैं लेकिन उन के एग्सिस्टेंस में होने के बावजूद भी यह सब कुछ हो रहा है । अब अगर हमने और एग्जेम्पशंस दे दी और राय लेना भी बंद कर दिया तो इन सेवाओं की उसके बाद क्या हालत होगी, इसका अन्दाज़ा आप ही लगा सकते हैं । मैं समझता हूं कि अगर इन रेगुलेशंस को पास कर दिया गया तो गवर्नमेंट को पूरा अधिकार मिल जायगा कि वह जो कछ भी चाहे कर सकती है । उससे भी दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि शैड्यूल की आइटम (अनुसूची की मद) ८ में कहा गया है :—

> "संघराज्य क्षेत्रों में न्यायिक आयुक्त तथा अतिरिक्त न्यायिक आयुक्त तथा जिला न्यायाधीश इत्यादि" ।

अगर मनीपुर और त्रिपुरा का ही नाम लिया जाता या ऐसी ही स्टेट्स का नाम लिया जाता जहां पर कि कोई गड़बड़ चल रही है, जहां पर कि अशान्ति है, तब भी बात समझ में आ सकती थी । उन के बारे में यह कहा जा सकता है कि वहां पर शान्ति बनाये रखने के लिये, शासन को शुद्ध रखने के लिए

[श्री ब्रजराज सिंह]

ज्यूडिशल कमिशनर्स आदि की नियुक्तियों को अपने हाथ में लेना पड़ रहा है और कमिशन के अधिकार से बाहर करना पड़ रहा है। लेकिन यूनियन टैरिटरी में दिल्ली भी आ जाती है और हिमाचल प्रदेश भी। इस तरह से आप हिमाचल और दिल्ली को भी कमिशन के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि इस तरह के अधिकार आपको देना ठीक नहीं है। इस अधिकार को लेने का मतलब यह होगा जो कि कुछ हम अब तक या १९४७ से पहले करते रहे हैं उस से भी पीछे हटते जा रहे हैं।

हमने अपने देश में जनतंत्र लागू किया है। हम ने अपने देश में इस तरह की व्यवस्था लागू की है जिसमें अधिक से अधिक अपनी बात कहने का सब को अधिकार है। हमने अपने विधान में यह व्यवस्था की है कि जो नियुक्तियां करनी होती हैं वे नियुक्तियां, जो भी उस वक्त की सरकार हो उसको यह अधिकार न हो कि जिन्हें चाहे नियुक्त कर ले। लेकिन अब हम इन रेगुलेशंस को पास करके इस तरह की व्यवस्था करना चाहते हैं कि सरकार जिस को चाहे—न केवल प्रशासकीय सेवाओं के लिए ही, एग्जेक्टिव पोस्टस के लिए ही बल्कि न्याय सेवाओं के लिए भी—नियुक्त कर ले। मैं निवेदन करूंगा कि यह तरीका ऐसा नहीं है कि जिस से हमारे देश के नागरिकों में कोई विश्वास की भावना पैदा हो। इससे तो उस भावना को और भी बल मिलेगा जो पहले से ही मौजूद है कि सरकारी नौकरियों में पक्षपात, भाई-भतीजावाद और कुनबापरस्ती चलती है। जो भी व्यक्ति किसी अधिकारपूर्ण पद पर पहुंच जाता है वह अपने आदमियों को ज्यादा से ज्यादा तादाद में नौकरी में लगाना चाहता है।

आइटम ५ में कहा गया है :—

"मद संख्या (१) से (४) में उल्लिखित पदाधिकारियों के आधीन निजी कर्मचारियों के पद।"

आगे चल कर कहा गया है :

"राजनयिक, तथा राजदूतालयों के पद बोर्डों तथा न्यायाधिकरणों तथा समितियों के सदस्यों तथा सभापतियों के पद"

ये जो सब पोस्टस हैं इनके बारे में आपका यह कहना है कि पब्लिक सर्विस कमिशन को कंसल्ट करने की जरूरत नहीं होगी। इसका मतलब तो यह हुआ कि आप पुराने जमाने में जिस तरह का राज हुआ करता था उस तरह का ही राज आज कायम करना चाहते हैं। आप किसी बादशाह के राज की तरह यहां भी राज स्थापित करना चाहते हैं, जिसे खुशी हुई रख लिया और जिस पर खुश हुये उसको रख लिया। इस तरह कोई बात इस देश में नहीं होनी चाहिये। यहां पर बड़े से बड़े पद पर भी अगर कोई पहुंच जाता है, चाहे वह मिनिस्टर ही क्यों न हो, उसको भी यह अधिकार नहीं होना चाहिये कि वह इस सब को अपनी व्यक्तिगत सम्पत्ति बना ले। इस तरह का रेजोल्यूशन पास करके आप अधिकार लेना चाहते हैं कि किसी चीज को व्यक्तिगत सम्पत्ति बना लिया जाए।

आज इस तरह की घटनायें होती हैं कि रेलवे सर्विस कमिशन में या दूसरी जगहों पर कि लोगों की दरख्वास्तें जाती हैं, दरख्वास्तों की कापियां उनके पास मौजूद होती हैं और सबूत होता है कि वे भेजी गई हैं लेकिन कमिशन के दफ्तर में दरख्वास्तें नहीं मिलती हैं, उनको जला कर उन पर चाय बना कर पी ली जाती है। जिन के सोर्स होते हैं उन्हीं को कमिशन के दफ्तर से लैटर आते हैं दूसरों को नहीं।

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** यह सारी बात गलत है। रेलवे सेवा आयोग को जो कोई आवेदन देता है उसे बुलाया जाता है। यही आदेश है।

†**श्री ब्रज राज सिंह** : मैं आपके सामने ऐसे मामलों के उदाहरण रख सकता हूं जिन्हें नहीं बुलाया गया।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : मैं भी ऐसे अनेक मामलों को जानता हूं जिनमें आदेश तक बदल दिये गये हैं। जिला दंडाधिकारियों तथा जिला न्यायाधीशों ने आदेश बदले हैं।

†**श्री दातार** : माननीय सदस्य यह अनुचित बातें कर रहे हैं उन्हें न्यायिक पदाधिकारियों के विरुद्ध आरोप लगाते समय सावधानी से काम लेना चाहिये।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : मैं आपको प्रमाण दे सकता हूं। यह अनुचित बात नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय**: माननीय सदस्य का यह अभिप्राय है कि सारे पदाधिकारी ऐसे नहीं, कुछ हैं।

†**श्री ब्रज राज सिंह** : अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री महोदय ने जुडिशिएरी के सम्बन्ध में बहुत अच्छी और पवित्र भावनाएं व्यक्त कीं। हम भी और सदन् का हर सदस्य हिन्दुस्तान की जुडिशिएरी के सम्बन्ध में बहुत पवित्र भावना रखता है और उसको व्यक्त करता है। कहीं जो अपवाद होते हैं उनके बारे में जरूर ध्यान दिलाया जाता है और वह इस गरज से कि हम अपनी जुडिशिएरी को ऊंचा बनाये रक्खें। लेकिन मुझे यह देखकर अफसोस होता है कि एक तरफ तो हमारे मंत्री महोदय हमें यह कहते हैं कि जुडिशिएरी के सम्बन्ध में कोई ऐसी वैसी बात न कही जाय और दूसरी तरफ यूनियन टैरीटरीज़ में जजेज़ को मुकर्रिर करने का अधिकार खुद अपने हाथ में लेना चाहते हैं। उदाहरणार्थ दिल्ली में जो कि यूनियन टैरीटरी है गवर्नमेंट बगैर यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन को कंसल्ट किये एडिशनल जुडिशिएल कमिश्नर्स मुकर्रर करने का अधिकार इन रेगुलेशंस् के जरिये ले रही है। एक तरफ तो आपकी यह ख्वाहिश कि डिस्ट्रिक्ट जजेज़ के बारे में और जुडिशिएरी के बारे में कोई ऐसी बात न कही जाय जिससे उनके चरित्र पर आक्षेप होता हो और दूसरी तरफ इस तरह का अधिकार अपने हाथ में लेना, कुछ उचित और न्यायसंगत नहीं जान पड़ता। आपको इस तरीके की व्यवस्था करनी होगी जिससे कि हर एक व्यक्ति के दिमाग में और दिल में इस बात का विश्वास पैदा हो जाय कि इस तरह की बात हो ही नहीं सकती और गवर्नमेंट की हरगिज़ यह मंशा नहीं है कि वह यह अधिकार स्वयं हड़पना चाहती है। इसलिये मेरा निवेदन है कि गवर्नमेंट इन रैगुलेशंस् के ज़रिये जो अधिकार लेना चाहती है उनको लेने की कोई आवश्यकता नहीं है।

जैसा कि अन्य माननीय सदस्यों ने भी कहा है कि भारतीय संविधान के आर्टिकल ३२० के सब-सैक्शन ३ के जो प्राविजंस् (उपबन्ध) हैं उनमें जिन तीन कंडिशंस् (शर्तों) की व्यवस्था की गई है उनके मुताल्लिक कहीं इसमें जिक्र नहीं है। कांस्टीट्यूशन में यह प्राविजन दिया हुआ है कि प्रैजीडेंट या गवर्नर ऐसे विनियम बना सकता है जिनमें उन मामलों का स्पष्टीकरण किया जाय जिनमें सेवा आयोग से परामर्श लेना आवश्यक समझा जाय।

इसमें आपने यह नहीं बतलाया है कि जनरली कर रहे हैं या पर्टिकुलर सरकमस्टान्सेज़ में कर रहे हैं। आमतौर से आप चाहते हैं कि इन रेगुलेशंस् को बना दें। मैं निवेदन करूंगा कि जब तक

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ब्रजराज सिंह]

आप इस तरह के सरकमस्टान्सेज़, पर्टिकुलर क्लास आफ केस एंड पर्टिकुलर सरकमस्टान्सेज़ का जिक्र नहीं करेंगे तब तक इस तरह के रैगुलेशंस बनाना बिलकुल गैर कानूनी बात होगी। मुझे तो आशंका है कि अगर ये रैगुलेशंस अपने वर्तमान रूप में ही पास कर दिये गये तो आगे चल कर सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट्स में इनकी वैधानिकता को चुनौती दी जा सकती है। मैं यह कहे बगैर नहीं रह सकता कि इन नियमों को बनाते वक्त जिस सावधानी से काम लेना चाहिये था, नहीं लिया गया और मुझे यह अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इन रैगुलेशंस के बनाने में और इनके पास करने में इंतिहाई दर्जे की लापरवाही बरती गई है। यह रैगुलेशंस १ सितम्बर १९५८ को बनाये गये और इनको पेश करने में दस दिन लग गये और ११ सितम्बर को यह पेश किये गये और २७ सितम्बर को मूव किये गये। यह रैगुलेशंस क्या २, ३ या ५ सितम्बर को पार्लियामेंट के सामने पेश नहीं किये जा सकते थे और उस हालत में इन पर खुल कर बहस की जा सकती थी और विचार किया जा सकता था। लेकिन ऐसा नहीं किया गया और दस दिन तक इंतजार करते रहे और उसको तब पेश किया जब कि उन पर बहस होना सम्भव नहीं था और कहा गया कि चूंकि १४ रोज का अर्सा गुजर रहा था इसलिये इनको पास किया जाना जरूरी था। उस समय यहां पर सदन में इस चीज़ को लेकर आपत्ति की गई थी कि इन पर बहस करने और विचार करने का समय सदन को नहीं मिल रहा है और सरकार की ओर से कहा गया था कि कोई हर्ज नहीं है हम इस पर बाद में बहस कर लेंगे क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इस संबंध में जो असावधानी और लापरवाही बर्ती जा रही है और पार्लियामेंट को जो उसका उचित महत्व नहीं दिया जा रहा है वह अफसोस की बात है। इस तरह की भावना सरकार की नहीं होनी चाहिये कि जो रैगुलेशंस सरकार ने बना दिये वे सदन् में उसी रूप में जरूर ही पास हो जायेंगे और सरकार को सदन् के इस अधिकार को हड़प नहीं करना चाहिये। सरकार के लिये इस तरह की भावना रखना उचित नहीं है। आपके ऐसा करने से आज जनता के हृदय में जुडिशिएरी के लिये जो निष्पक्ष होने की भावना है उसको ठेस लगेगी आप इसको यूनियन पबलिक सर्विस कमिशन (कंसल्टेशन) रेगुलेशंस, १९५८ का नाम दे रहे हैं। मैंने रैगुलेशन नम्बर १ के संबंध में ५ नम्बर का एक संशोधन पेश किया है जिसमें कि मैंने चाहा है कि "कंसल्टेशन" शब्द के पहले "एग्ज़म्पशन फ्रौम" कर दिया जाये। मैं समझता हूं कि इसको स्वीकार करने में मंत्री महोदय को कोई दिक्कत नहीं होगी।

†**श्री दातार** : मैं इस संशोधन को स्वीकार कर रहा हूं।

श्री ब्रज राज सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने ८ नम्बर के अमेंडमेंट को जिसमें कि मैंने आइटम नम्बर ८ को ओमिट करने के लिये कहा है प्रैस करता हूं और मैं चाहता हूं कि वह अवश्य निकाल दिया जाना चाहिये।

इसी तरह शेड्यूल के आइटम नम्बर १२ जिसके कि मातहत आप एक ऐसा एकाधिपत्य कायम करना चाहते हैं जिसमें सरकार सदन को हमेशा के लिये बाईपास कर दे, उसका भी मैं ओमिशन चाहता हूं। आइटम नम्बर १२ इस प्रकार है :—

"कोई भी ऐसा पद जिसके बारे में आयोग सहमत हो गया हो कि मंत्रणा लेना आवश्यक नहीं है"।

---

†मूल अंग्रेजी में

पंडित ठाकुर दास भार्गव : दिस इज़ अनकांस्टीट्यूशनल ।

श्री ब्रजराज सिंह : मैं भी उनसे इस में सहमत हूं कि यह अवैधानिक है। मैं यूनियन पबलिक सर्विस कमिशन की बात नहीं कह रहा हूं लेकिन कुछ राज्यों में तो यहां तक हुआ है कि किसी एक खास राजनैतिक पार्टी के व्यक्ति जो कि असेम्बली के मेम्बर होते थे उनको वहां से इस्तीफा दिलवाया गया और उनको यूनियन पबलिक सर्विस कमिशन का मेम्बर बना दिया गया। मेरी मंशा कोई इस बारे में आक्षेप करने की नहीं है। मैं यूनियन पबलिक सर्विस कमिशन को एक बहुत ही आदर की दृष्टि से देखना चाहता हूं जो कि ड्यू है लेकिन ऐसा हो सकता है कि एक खास पार्टी के किसी व्यक्ति को असेम्बली से इस्तीफा दिलवा कर राज्य के पबलिक सर्विस कमिशन का मेम्बर बना दिया जाय और यही चीज यूनियन पबलिक सर्विस कमिशन के लिये भी की जाय और इसलिये में इस एग्जम्पशन को, जो इसमें दिया गया है कुछ उचित नहीं समझता।

अन्त में मैं और अधिक न कह कर यही कहना चाहूंगा कि आप नम्बर ८ और १२ को अवश्य ही निकाल दीजिये। साथ ही मैं चाहता हूं कि आइटम नम्बर ९ और ११ इस तरह के हैं कि जिनके निकल जाने से आपके इन रैगुलेशंस की सुन्दरता और पवित्रता बहुत बढ़ जायेगी लेकिन यदि मंत्री महोदय और सरकार इस बात के लिये राजी न हों तो मैं कहूंगा कि ८ और १२ को तो अवश्य ही निकाल दिया जाये। इन शब्दों के साथ मैं अपने इन संशोधनों को पेश करता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं यह जानना चाहता हूं कि छूट देने वाला उपबन्ध क्या उस परन्तुक के अन्तर्गत आता है अथवा नहीं ?

†**श्री दातार** : जी हां आता है। मैं इसकी व्याख्या करूंगा। आज के वाद-विवाद में संघ लोक-सेवा आयोग से परामर्श लेने की ठीक स्थिति को समझे बिना ही कई बातें सदस्यों ने कहीं हैं। एक माननीय सदस्य ने यह कहा है कि यह नियम पूर्व नियमों की व्याप्ति से अधिक विस्तृत हैं--परन्तु यह बात गलत है। जहां तक संविधान से पहले की स्थिति का संबंध है हमारे हां ऐसे परामर्श न करने की व्यवस्था वाले उपबन्ध थे । किन्तु कुछ ऐसे नियम थे जो आज की स्थिति में नहीं होने चाहियें। संविधान के लागू होने के पश्चात् सारी स्थिति पर पुनर्विचार किया गया ।

आगे कुछ कहने से पूर्व मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं कि अनसूची तथा विनियमों के बारे में आयोग की पूरी सहमति है। हमने उनसे परामर्श किया--वह न केवल सिद्धांत ही के बारे में था बल्कि भाषा के बारे में भी था। इस कारण इतना विलम्ब हुआ। यदि हम इस आधार पर चलें कि सरकार ने इन नियमों को स्वतः नहीं बल्कि संघ लोक सेवा आयोग की स्वीकृति के पश्चात् ही यहां रखा है तब पर्याप्त आलोचना कम हो जाती है। और पहली बात तो यही है।

दूसरे अनुच्छेद ३२० के अनुसार आयोग से सामान्यता सलाह लेनी पड़ती है। कुछेक मामलों में जहां यह करना उचित न हो अथवा व्यवहार्य न हो वहां अलग बात है। अब आप देखें कि इस सिद्धांत को कैसे स्वीकार करना है ?

अनुच्छेद ३२० में तो कुछ सिद्धांत रखे गये हैं। यदि प्रत्येक मामले में ही परामर्श लिया जाये तो यह मामला ही अव्यवहार्य हो जाये और कुछ हद तक अनुपयुक्त भी प्रतीत हो। अतः माननीय सदस्य देखेंगे कि जो अपवाद हमने रखे हैं वह न्यूनतम हैं ज्यादा नहीं हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

आप अनुसूची को ही लें। अनुसूची में यह संख्या १ से ४ तक देखें। इनके बारे में भी एक सदस्य ने कहा था कि हमें संघ से परामर्श लेना चाहिये। आप देखेंगे कि यह संख्या १ के पद ऐसे हैं कि जिन्हें राष्ट्रपति ही नियुक्त कर सकता है। अतः प्राकृतिक रूप में ही राष्ट्रपति अपना अधिकार जता सकता है दूसरा कोई नहीं।

इसी प्रकार से मद संख्या २, ३, ४ के अन्तर्गत रखे गये पदों की जब कभी रिक्ति हो अर्थात् बोर्डों के अध्यक्षों आदि की तब भी सरकार ही सामने आती है और इन मामलों में आयोग से मंत्रणा लेना उचित नहीं है। इसी कारण यह संख्या ४ में हमने राजनयिक इत्यादि पद रख दिये गये हैं।

क्या माननीय सदस्य यह ठीक समझते हैं कि ऐसे पदों पर भी आयोग की सलाह से नियुक्तियां की जानी चाहियें। कुछ पदों के लिये तो मंत्रणा लेना अनुचित है। यह उत्तरदायित्व तो सरकार का होना चाहिये।

यह संख्या ५, जो कि निजी कर्मचारियों से संबंधित है, के बारे में भी आलोचना की गई है। माना कि कुछ पद ऐसे होते हैं जैसा कि पंडित ठाकुर दास भार्गव ने कहा कि उनमें भरोसे वाले व्यक्तियों को ही रखा जा सकता है। इन परिस्थितियों में कुछ स्थानों के लिये यह रियायत भी रख दी गई है।

सामान्यतः तो निजी सचिव की नियुक्ति मंत्री की सलाह से ही होती है। हमने यह व्यवस्था कर दी है कि ऐसे कर्मचारियों की नियुक्ति सामान्यतः सरकारी कर्मचारियों में से ही होनी चाहिये किन्तु इसमें भी यदि कोई मंत्री खास अपने ही भरोसे का व्यक्ति लेना चाहे तो उसे रखने की आज्ञा होगी ऐसा अपवाद भी व्यवस्थित है।

आज तक बहुत ही थोड़े मंत्रियों तथा उपमंत्रियों ने अपने निजी सचिव ऐसे लोगों में से नियुक्त किये हैं जो कि सरकारी कर्मचारी न थे। जैसे जैसे हम नीचे जाये उनकी संख्या कम होती जाती है। किन्तु कुछ मामलों में यह अनिवार्य हो सकता है। किन्तु बहुत ही कम मामलों में इस प्रकार के स्वविवेक का लाभ उठाया गया है।

अब जहां तक सरकारी पदालि से बाहर से लिये जाने वाले इन व्यक्तियों का प्रश्न है उनके पद भी इसी समय तक रहते हैं जब तक मंत्री रहे। अतः वह मंत्रियों के साथ ही आते हैं और फिर चले जाते हैं। अतः बहुत ही कम आपवादिक मामलों में ऐसी नियुक्तियां की जाती हैं। इसलिये यह कहना गलत है कि इस प्रकार मंत्री अपने भाई-भतीजों को ही लाभ पहुंचायेंगे। यह बात नहीं है। सामान्यतया हमें सरकारी कर्मचारियों पर ही आश्रित रहना पड़ता है और बहुत ही कम मामलों में हम बाहर वालों पर आश्रित रहते हैं।

आप राजदूत के पद का उदाहरण लें। यह पद ऐसा होता है जिसके लिये बड़ी राजनयिक योग्यता तथा क्षमता की आवश्यकता होती है। राजदूत को निजी सचिवों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। क्या इस अपवाद का लाभ उन्हें देना उचित नहीं होगा? इसी कारण आयोग की सहमति से मद संख्या ५ में यह चीज रखी गई है।

मद संख्या ७ अणुशक्ति आयोग से संबंधित है। उस निकाय में अत्यधिक गोपनीयता का संधारण अत्यावश्यक है। क्या यहां ऐसे व्यक्तियों का लगाया जाना उचित न होगा जो कि पदाधिकारियों के पूरे विश्वस्त व्यक्ति हों?

उन्हें ऐसे आयोग की ओर से काम करना होगा? हमें इस आयोग के कार्य के बारे में पूर्णतया सावधानी से काम करना होगा। इसी कारण यह वांछनीय समझा गया कि न केवल टेकनिकल कर्मचारी बल्कि प्रसाशसनिक कर्मचारी भी आयोग के पदाधिकारियों के पूर्ण विश्वासपात्र होने चाहियें।

कई बार कार्य टेकनिकल सीमा तक ही सीमित नहीं रहता। प्रशासनिक कर्मचारियों क हाथों में से भी चीजें गुजरती हैं। अतः टेकनिकल तथा प्रशासनिक वर्ग में आप मतभेद नहीं कर सकते। दोनों काम करते हैं। कई बार तो दोनों के हाथों से चीजें निकलती हैं। इन परिस्थितियों में, जब कि अणुशक्ति आयोग एक महान गोपनीय कार्य कर रहा है—एक ऐसा कार्य कर रहा है जो पूर्णतया नाजुक है क्या यह वांछनीय होगा कि वहाँ पदाधिकारियों के विश्वस्त अधीनस्थ न रखे जायें।

†**श्री नौशीर भरूचा** : कोई भी कार्य गोपनीय नहीं है।

†**श्री दातार** : हमें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिये। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य है और ऐसे काम में हम लोगों को अत्यधिक सावधान रहना चाहिये। इसी कारण हमने इन पदों को उन्मुक्त किया है। मद संख्या ८ तथा ९ में दर्ज पदों के बारे में भी घोर आशंका थी। यह न्यायिक पदों से सम्बन्धित है। इसके सम्बन्ध में संविधान का अनुच्छेद २२३ है जो कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्तियों से संबंधित है। अनुच्छेद में लिखा है :

> "किसी राज्य में जिला न्यायाधीश नियुक्त होने वाले व्यक्तियों की नियुक्ति तथा उनकी पद स्थापना और पदोन्नति ऐसे राज्य के सम्बन्ध में क्षेत्राधिकार प्रयोग करने वाले उच्च-न्यायालय से परामर्श करके राज्य का राज्यपाल करेगा।"

अतः न्यायाधीशों की नियुक्तियां आयोग नहीं कर सकता। जहां तक संघीय क्षेत्रों का सम्बन्ध है हम एक ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करते हैं जो हितों की रक्षा के लिये की गई है। दिल्ली में तो पंजाब उच्च-न्यायालय का क्षेत्राधिकार है इस कारण प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। दूसरे क्षेत्रों में न्यायिक आयुक्त हैं। न्यायिक आयुक्त इस क्षेत्र के उच्च-न्यायालय के अधीन होता है। जब न्यायिक आयुक्त को नियुक्त किया जाता है हम भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेते हैं और स्वेच्छाचारी भाव से ही नियुक्ति नहीं कर देते। अतिरिक्त न्यायिक आयुक्त की नियुक्ति के बारे में भी हम वैसी ही प्रक्रिया का अनुसरण करते हैं। जब किसी जिला न्यायाधिकारी की नियुक्ति की जाती है हम न्यायिक आयुक्त से परामर्श लेते हैं। अतः इस प्रकार की सभी नियुक्तियों में हम परामर्श से ही काम करते हैं।

मुझे विश्वास है कि इन बातों को समझकर बहुत सी गलत धारणायें दूर हो गई होंगी और अब सदस्य आलोचना नहीं करेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

अब हमें श्रेणी ३ तथा ४ के पदों को लेना चाहिये। नियम में लिखा है, "संबंधित नियमों में अन्यथा स्पष्टतया उपबन्धित बातों के अतिरिक्त।" आप सहमत होंगे कि तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के पदों की संख्या बहुत अधिक है। हजारों अथवा लाखों लोग इन श्रेणियों के कर्मचारी हैं। इन परिस्थितियों में परामर्श लेना बहुत कठिन हो जाता है। सभा स्मरण करेगी कि मैंने दो बातें कहीं थीं, एक तो यह कि परामर्श लेना अनुचित है और दूसरे अवास्तविक हैं। यह सारी कार्यवाही हम ने संघ लोक-सेवा आयोग की सम्मति से की है।

सभा को विदित है कि उत्तर पूर्वी सीमान्त अभिकरण क्षेत्र में प्रशासन किस प्रकार चल रहा है और यह आवश्यक समझा जाता है कि नियुक्तियां सरकार द्वारा की जायें। इस सम्बन्ध में अनेक बातों पर ध्यान देना आवश्यक था अतः संघ लोक सेवा आयोग इस बात से सहमत हो गया इस सम्बन्ध में परामर्श की कोई आवश्यकता नहीं है।

अब मैं मद संख्या १२ को लूंगा। श्रीमान् आप ने भी सुझाव दिया है कि इस सम्बन्ध में कुछ प्रकाश डाला जाना चाहिये। प्रायः जब नियुक्ति तुरन्त करनी होती है तो संघ लोक सेवा आयोग के लिये यह कठिन हो जाता है कि वह तुरन्त अपनी राय दे सके। अतः ऐसे सभी मामलों में, संघ लोक सेवा आयोग की अनुमति से, विशेष परामर्श नहीं लिया जायेगा। कुछ माननीय सदस्यों ने यह शंका प्रकट की कि सरकार तथा संघ लोक सेवा आयोग के साथ-साथ सहमत होने से आयोग की व्याप्ति में कमी आ जायेगी। इस सम्बन्ध में मैं यह बताना चाहता हूं कि संघ लोक सेवा आयोग एक महत्वपूर्ण अधिकार है। इसका निर्माण संविधान द्वारा किया गया है यह देखने के लिये कि नियुक्तियां ठीक प्रकार से की जायें और सेवा की शर्तें समुचित रखी जायें। ऐसी स्थिति में, यदि माननीय सदस्य सरकार के किसी कार्य या उसकी गलती की आलोचना कर सकते हैं। पर संघ लोक सेवा आयोग एक स्वतंत्र संस्था है और उसे अधिकार है कि वह हमें परामर्श दे और उनके मामलों में हमने उसकी राय मानी भी है। गत पांच या ६ वर्षों में संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदनों पर सभा में वाद-विवाद होता रहा है और आयोग के नवीनतम प्रतिवेदनों को भी हम शीघ्र से शीघ्र सभा-पटल पर रखेंगे। सामान्यतया हम आयोग की सिफारिशें स्वीकार कर लेते हैं और मुश्किल से पांच या छः मामले ऐसे होंगे जब हमने आयोग की राय के विरुद्ध काम किया है। ऐसे मामलों की संख्या धीरे धीरे और कम होती जा रही है। लगभग १०,००० या इससे भी अधिक मामलों को परामर्श के लिये संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा गया था। कुछ वर्ष तो ऐसे हैं जिन में हम ने आयोग के परामर्श को किसी मामले में अमान्य नहीं किया है। जब भी हम आयोग के परामर्श को नहीं मानते तो उसके कुछ कारण होते हैं और एक पृथक ज्ञापन के द्वारा, जो कि प्रतिवेदन के साथ सभा के सामने प्रस्तुत किया जाता है, उन कारणों की व्याख्या सभा के सामने रखी जाती है। ऐसी स्थिति में, संघ लोक सेवा आयोग को ऐसी संस्था नहीं समझा जाना चाहिये जिसकी आलोचना की जा सके।

जब कोई नया विभाग खोलना होता है या कोई नयी नियुक्ति करनी होती है तो हम आयोग का परामर्श लेते हैं, कभी-कभी आयोग के सामने भी कठिनाई होती है। कभी कभी आयोग हम से नियुक्ति करने के लिये कह देता है क्यों कि उसे कोई समुचित व्यक्ति नहीं मिलता। आयोग एक विशेष प्रक्रिया का पालन करता है। कई बार नये विभाग के सम्बन्ध में आयोग सरकार से नियुक्ति करने की बात कह देता है क्योंकि उसे कोई समुचित उम्मीदवार उस विभाग के लिये नहीं मिल पाता या अन्य कोई कारण होता है। केवल कुछ विशेष परिस्थितियों में ही यह अवशेष नियम प्रयुक्त किया जाता है। यह सरकार की मर्जी पर निर्भर नहीं

होता क्योंकि आयोग से परामर्श किया जाता है और जब आयोग कहता है कि अमुक विषय में परामर्श की कोई आवश्यकता नहीं है तो सरकार नियुक्ति कर लेती है। अतः मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे नियम संख्या १२ के सम्बन्ध में कोई शंका अपने मन में न लायें। हम आयोग की सिफारिश को चाहे वह कुछ भी हो, स्वीकार करते हैं। गत ५ या ६ वर्षों में केवल ५ या ६ मामलों में हमने आयोग के परामर्श को अस्वीकार किया है और उसके लिये भी हम ने ठोस कारण बताये हैं। दोनों सभायें इस बात से सहमत हैं कि कुछ असाधारण मामले थे। अतः आप देखेंगे कि यह अवशेष नियम सरकार तथा आयोग के सहमत होने पर ही लागू होगा और ऐसी सेवाओं तथा ऐसे पदों के सम्बन्ध में लागू होगा जिनके बारे में किसी परामर्श की आवश्यकता नहीं समझी जायेगी। अतः न संसद् और न आयोग दोनों ही, अपना कोई अधिकार नहीं खो रहे हैं। सरकार तथा संघ लोक सेवा आयोग के बीच समुचित को छोड़कर अन्य किसी प्रकार के समझौते का कोई प्रश्न नहीं पैदा होता।

अब मैं अनुसूची को लूंगा।

†**श्री ब्रज राज सिंह** : मद संख्या १२ की संवैधानिकता के सम्बन्ध में आप का क्या कहना है ?

†**श्री दातार** : वह तो है ही, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। उदाहरण के लिये तीसरी और चौथी श्रेणी की सभी सेवाओं को उन्मुक्त कर दिया गया है। उन्हें क्यों मुक्त किया जाये ? संविधान में तो यह कहा गया है कि हमें संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना चाहिये पर जैसा कि हम ने बताया कि आयोग का परामर्श लेना असंभव हो जाता है और हर बात पर परामर्श देना आयोग के लिये भी कठिन होता है। अतः मेरा कहना है कि अनुच्छेद ३२०(३) का परन्तुक बिल्कुल स्पष्ट है। उसमें कहा गया है :

> " परन्तु अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में तथा संघ कार्यों से संसक्त अन्य सेवाओं और पदों के बारे में भी राष्ट्रपति तथा राज्य के कार्यों से संसक्त अन्य सेवाओं और पदों के बारे में राज्यपाल, उन विषयों का उल्लेख करने वाले विनियम बना सकेगा जिन में ....."

†**अध्यक्ष महोदय** : मेरी कठिनाई यह है कि जब आयोग परामर्श देने में समर्थ नहीं होता और सरकार के हाथ में मामला सौंप देता है तो भी उसे संविधान के विरुद्ध कोई काम नहीं करना चाहिये। संविधान में कहा गया है कि राज्य के कार्यों से संसक्त सेवाओं और प ों के बारे में उन विषयों का उल्लेख करने वाले विनियम बना सकेगा"—यह बात विषयों के सम्बन्ध में है न कि सेवाओं या पदों के सम्बन्ध में। अतः पहले विषयों को मुक्त कर सकते हैं और बाद में पद या सेवा को।

यदि ऐसा नहीं किया जाता तो सभा को नियमों तथा विनियमों के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त करने का अवसर नहीं मिलेगा। एक ओर सरकार और दूसरी ओर संघ लोक सेवा आयोग—दोनों ही सब बातें ठीक कर लेगी और सभा को कुछ भी विचार प्रकट करने का अवसर नहीं मिलेगा। अतः एक तो संवैधानिक कठिनाई है और दूसरे इस प्रकार संसद् का अधिकार छिन जायेगा।

†**श्री दातार** : इस मामले के संवैधानिक पहलू पर मैं विचार करूंगा। पर विषय तथा वास्तविक मामलों में भेद करना बहुत कठिन होगा। इसमें बहुत स्पष्ट शब्द हैं : "जिन में या तो

†मूल अंग्रेजी में

सामान्यतया या विशेषवर्ग के मामलों में"। यहां 'सामान्यतया' का अर्थ सामान्य 'उन्मुक्ति' नहीं है। कुछ माननीय सदस्यों ने ऐसी शंका प्रकट की है कि सरकार तथा संघ लोक सेवा आयोग के बीच कोई गुटबन्दी न पैदा हो जाय।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य चाहते हैं कि सभा का अधिकार बना रहे। कुछ विशेष मामलों में आयोग का परामर्श लेने की जो बात है यह कहीं नियम के रूप में न बना ली जाय ऐसी शंका माननीय सदस्यों को है। सभा को अधिकार है कि वह सरकार की किसी व्यवस्था से सहमत हो या न हो।

†**श्री दातार :** संवैधानिक दृष्टिकोण से मैं इस मामले का पूर्णरूप से परीक्षण करूंगा। हम यह अधिकार इसलिये चाहते हैं कि यदि संघ लोक सेवा आयोग इस बात से सहमत हो जाय कि किसी मामले में उसके परामर्श की आवश्यकता नहीं है तो सरकार तुरन्त ही काम शुरु कर सके। हर मामले को आयोग के पास भेजना आवश्यक भी नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय :** ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है जिसके अधीन तीसरी और चौथी श्रेणी को बिल्कुल मुक्त कर दिया जाये। दोनों श्रेणियां संघ लोक सेवा आयोग के अधीन हैं। यह व्यावहारिक कठिनाई है।

†**श्री दातार :** अधिसूचना के सम्बन्ध में श्री माथुर ने खंड ३ के उपखंड (ग) का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि यह केंद्रीय सेवा श्रेणी २ पर लागू नहीं होना चाहिये। जहां तक इसका सम्बन्ध है यह एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी के लिये चुने जाने या पदोन्नति का प्रश्न है। जहां तक संघ लोक सेवा आयोग के कृत्यों का सम्बन्ध है हमें स्पष्टतया समझ लेना चाहिये कि अनुच्छेद ३२० में कहा गया है :—

> "(क) असैनिक सेवाओं में और असैनिक पदों के लिये भर्ती की रीतियों से सम्बद्ध समस्त विषयों पर ;
>
> (ख) असैनिक सेवाओं और पदों पर नियुक्ति करने के, तथा एक सेवा से दूसरी सेवा में पदोन्नति और बदली के, तथा अभ्यार्थियों की ऐसी नियुक्ति, पदोन्नति अथवा बदली की उपयुक्तता के बारे में अनुसरण किये जाने वाले सिद्धांतों पर, ..."

जहां तक नियुक्ति का सम्बन्ध है सरकार का कर्त्तव्य है कि वह संघ लोक सेवा आयोग की राय मांगें। बदली तथा पदोन्नति के सम्बन्ध में यह कार्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। सरकार को अधिकार है कि वह समुचित बदली करे। इस सम्बन्ध में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करने की आवश्यकता नहीं है। बदली में भी बाद में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। पर इस सम्बन्ध में जिन सिद्धांतों का अनुसरण किया जाना है उन पर ध्यान देना आवश्यक है। इसी कारण अनुच्छेद ३२० में भर्ती के सम्बन्ध में कुछ भिन्न शब्दों का प्रयोग किया गया है। बदली के सम्बन्ध में भी हम "विभागीय बदली समिति" के सुझाव के आधार पर बदली करने की नीति का अनुसरण करते हैं। ऐसे मामलों में भी जैसा कि आप जानते हैं संघ लोक सेवा आयोग के एक सदस्य को बुलाया जाता है जो समिति का सभापतित्व करता है और हम उसकी राय को मानते हैं। जहां तक बदली व पदोन्नति का सम्बन्ध है, यह मामला सीधे संविधान के अधीन

†मूल अंग्रेजी में

नहीं है पर नियुक्ति सीधे संविधान के अधीन है और जब एक बार श्रेणी २ पदाधिकारियों की नियुक्ति हो जाती है फिर उस श्रेणी में अन्य कोई नियुक्ति संघ लोक सेवा आयोग की अनुमति के बिना तथा उसके द्वारा निर्धारित प्रणाली के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार नहीं की जा सकती। अतः जब एक बार आयोग का परामर्श ले कर उसके आधार पर नियक्ति कर दी गयी तो सरकार से यह आशा नहीं करनी चाहिये कि चुनाव के लिये भी सरकार आयोग की राय मांगेगी। चुनाव का मामला बिल्कुल स्वतंत्र मामला होता है जिसमें सरकार को अधिक से अधिक स्वविवेक अधिकार होना चाहिये क्योंकि सरकार को अनेक मामलों का ज्ञान होता है। अतः इस बात में कोई संदेह नहीं किया जाना चाहिये कि सभी नियुक्तियां तथा बदली तभी की जायेगी जब कि व्यक्ति पद के योग्य होगा। उदाहरण के लिये ऐसे पद पर किसी इंजीनियर को नहीं नियुक्त किया जायेगा, जो कि प्रशासकीय अधिक तथा प्रविधिक कम हो। अतः मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे इस मामले में सरकार पर विश्वास रखें, समुचित मामलों में बदली करने का अधिकार सरकार के हाथों में अवश्य होना चाहिये और यह मामला संघ लोक सेवा आयोग के कार्य क्षेत्र में नहीं है फिर भी, ऐसी बदली के सिलसिलें में भी हम उन के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करते हैं।

उपखंड (ग) में कहा गया है :

"जो कि पहले से ही केन्द्रीय सेवा श्रेणी २ का सदस्य हो" अतः जब वह पहले से ही संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श के आधार पर केन्द्रीय सेवा श्रेणी २ का सदस्य है तो उसके चुनाव के लिये आयोग की राय पुनः लेना आवश्यक नहीं है। जब एक बार हम आयोग का परामर्श ले चुके हैं तो बार बार उससे राय लेना असुविधा जनक, अव्यवहारिक तथा असंभव होगा और इससे आयोग के पास काम की मात्रा बहुत बढ़ जायेगी।

मैं समझता हूं कि मैं ने सभी बातों का उत्तर दे दिया है। मुझे और कुछ नहीं कहना है।

†पंडित ठाकुर दास भार्गव : श्रीमान्, मैं माननीय मंत्री का ध्यान अनुसूची के खण्ड ९ की ओर आकृष्ट करवाना चाहता हूं जिसमें अधीनस्थ न्यायाधीशों, मुन्सिफों आदि का उल्लेख है। मनीपुर, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश जैसे संघ राज्य क्षेत्रों में न तो कोई लोक सेवा आयोग है और न कोई राज्यपाल ही है। अतः मैं समझता हूं कि इनमें सभी नियुक्तियां संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से की जायें।

†श्री दातार : यह कहा गया है कि डिस्ट्रिक्ट जजों की नियुक्तियां सीधे की जाती हैं और संघ लोक सेवा आयोग से मुक्त हैं। यह उदाहरण मैं ने अनुच्छेद २३३ के सम्बन्ध में दिया था जोकि राज्यों के सम्बन्ध में है और गवर्नर द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से डिस्ट्रिक्ट जजों की नियक्ति के सम्बन्ध में है। यह उदाहरण संघ राज्य क्षेत्रों के सम्बन्ध में लागू नहीं होता।

†पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं यह बात इसलिये कह रहा हूं कि उन राज्यों की अधीनस्थ सेवाओं के सम्बन्ध में एक उपबन्ध है, जिसमें ऐसी कोई संस्था नहीं है जिससे परामर्श किया जा सके। इन संघ राज्य क्षेत्रों में ऐसी कोई संस्था नहीं है। अतः यह उचित है कि ऐसी नियुक्तियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श अवश्य किया जाना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

अनुच्छेद ३२० (३) (ख) की ओर भी मैं माननीय मंत्री का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, जिसमें कहा गया है :—

> "असैनिक सेवाओं और पदों पर नियुक्त करने के, तथा एक सेवा से दूसरी सेवा में पदोन्नति और बदली करने के, तथा अभ्यर्थियों की ऐसी नियुक्ति, पदोन्नति अथवा बदली की उपयुक्तता के बारे में अनुसरण किये जाने वाले सिद्धांतों पर . . . ."

आपने बताया कि किसी व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदली करने के लिये संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लेने की आवश्यकता नहीं है पर ऐसी नियुक्ति में, जिसमें कोई व्यक्ति पहले से ही सेवा में हो और उसकी एक विभाग से दूसरे विभाग में बदली की जाये तो आयोग की राय अवश्य ली जानी चाहिये ।

†श्री दातार : मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि सिद्धांतों का उल्लेख तो पहले हुआ है और "ऐसी नियुक्तियों के लिये अभ्यर्थी की उपयुक्तता पर, आदि" शब्द तो बाद में आये हैं। "सिद्धांत" शब्द उपयुक्तता के सम्बन्ध में है न कि अभ्यर्थी की उपयुक्तता के सम्बन्ध में। "अनुसरण किये जाने वाले सिद्धान्तों पर" पहले, नियुक्ति आदि के सम्बन्ध में है और बाद में ऐसी नियुक्तियों, पदोन्नतियों या बदली के लिये अभ्यर्थी की उपयुक्तता पर।

†अध्यक्ष महोदय : एक सिद्धांतों के सम्बन्ध में है और दूसरा व्यक्तिगत नियुक्तियों के लिये।

†श्री दातार : जी नहीं ।

†अध्यक्ष महोदय : सिद्धांतों तथा अभ्यर्थी की उपयुक्तता दोनों दो भिन्न बातें हैं।

†श्री दातार : परिपाटी यह रही है कि हम बदली के लिये आयोग का परामर्श नहीं लेते।

†अध्यक्ष महोदय : पंडित ठाकुर दास भार्गव का तर्क ठीक मालूम होता है कि एक सेवा से दूसरी सेवा में बदली करने के लिये आयोग का परामर्श अवश्य लिया जाना चाहिये। वैसे हो सकता है कि ऐसा अभी तक न किया जाता रहा हो पर ऐसा किया जाना चाहिये।

†श्री दातार : ऐसा करना अव्यवहार्य तथा असंभव होगा।

†अध्यक्ष महोदय : ठीक है, यदि माननीय मंत्री इस बात से सहमत नहीं हैं, तो वह परामर्श कर लें। अब मैं प्रस्तावों को मतदान के लिये रखूंगा। मैं कौन से प्रस्ताव रखूं ?

†श्री ब्रज राज सिंह : मेरा प्रस्ताव संख्या ५ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†अध्यक्ष महोदय : मैं प्रस्ताव के उस भाग को मतदान के लिये नहीं रखूंगा जिसमें राज्य-सभा की सहमति के लिये कहा गया है। वह अब अनावश्यक है। प्रश्न यह है :

"कि यह सभा संकल्प करती है कि संविधान के अनुच्छेद ३२० के खण्ड (५) के अनुसरण में संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श) विनियम, १९५८ के, जो ११ सितम्बर, १९५८ को सभा पटल पर रखे गये थे, विनियम संख्या १ में निम्नलिखित संशोधन किया जाये, अर्थात् :—

"Consultation (परामर्श)" शब्द के पहले "Exemption from (से मुक्ति)" शब्द रखे जायें।

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ)

अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव संख्या २ और ८ मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुये।

अन्य प्रस्ताव सभा की अनुमति से वापिस लिये गये

†अध्यक्ष महोदय : एक प्रस्ताव स्वीकृत हो गया है। अतः मूल प्रस्तावों को मतदान के लिये रखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये प्रस्ताव संकल्प के रूप में हैं। अब सभा अन्य कार्य लेगी।

एक सदस्य को सजा

†अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को सूचित करना है कि मुझे बेलगांव के जूडिशियल मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास, से दिनांक १५ नवम्बर, १९५८ का निम्नलिखित संचार प्राप्त हुआ है :—

"मुझे आपको सूचना देनी है कि श्री बाला साहेब पाटिल, सदस्य लोक-सभा को ३ नवम्बर, १९५८ को १७—०० बजे बेलगांव में बम्बई पुलिस अधिनियम, १९५१ की धारा ३७(३) के अन्तर्गत बेलगांव के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दिये गये आदेशों का उल्लंघन करने के लिये उक्त अधिनियम की धारा १३५(३) और १४९ के अन्तर्गत अपराध करने के लिये पुलिस सब-इंस्पैक्टर, बेलगांव सिटी, ने गिरफ्तार किया था और मैं ने उन्हें उक्त आरोप के लिये एक महीने के कड़े कारावास और १०० रुपये जुर्माने की सजा दी थी और जुर्माना न देने पर बम्बई पुलिस अधिनियम की धारा १४९ के अन्तर्गत १५ दिन की कड़ी कैद की सजा दी। वह बम्बई पुलिस अधिनियम की धारा १३५(३) के अन्तर्गत भी दोषी ठहराये गये और उन्हें ५० रुपये जुर्माने और जुर्माना न देने पर १५ दिन की सादी कैद की सजा दी गयी। यह सजा ८ नवम्बर, १९५८ को दी गयी और कैदी को सजा भुगतने के लिये केन्द्रीय जेल, बेलगांव के सुपुर्द कर दिया गया। उन्हें पहले दर्जे में रखा गया है।

---

† मूल अंग्रेजी में

रेलवे यात्रा में जीवन की असुरक्षा के बारे में चर्चा

†अध्यक्ष महोदय : २७ सितम्बर, १९५८ को पंडित द्वारिकानाथ तिवारी ने रेलवे यात्रा में जीवन और सम्पत्ति की असुरक्षा तथा पुलिस और रेलवे नियमों को भंग करने व ले अन्य पद धिकारियों से रेलवे कर्मचारियों के संरक्षण के सम्बन्ध में चर्चा आरम्भ की थी। अब सभा इस विषय पर आगे चर्चा करेगी। पंडित द्वा० ना० तिवारी अपना भाषण जारी रख। इसके लिये दो घन्टे का समय है।

पंडित द्वा० ना० तिवारी (केसरिया) : अध्यक्ष महोदय, कुछ दिनों से रेलवे में चोरियों, डकैतियों और मर्डर्ज की संख्या बढ़ती जा रही है और इस कारण देश में एक भय सा उत्पन्न हो गया है। लोगों के दिलों में यह सन्देह हो गया है कि रेलों में यात्रा करना भयावह हो गया है और सेफ नहीं है। इस सम्बन्ध में मैं पिछले दो महीनों के वाकयात का हवाला देना चाहता हूं। इस प्रकार की घटनायें पहले भी होती थीं, लेकिन इधर दो महीनों में उन की संख्या बहुत अधिक बढ़ गई है।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

मेरे एक प्रश्न के उत्तर में मुझे यह सूचना दी गई कि रेलवे गोदाम, राक्साल में चोरी हुई और उस में रेलवे का स्टाफ साथ में पाया गया। जब वे लोग कपड़े वगैरह ले जा रहे थे, तो उन को अरेस्ट किया गया और उन पर केस चला।

दूसरा इंस्टेंस अवध-तिरहुत मेल का है, जो इस प्रकार है—

"गत शुक्रवार को अवध-तिरहुत मेल में जब वह कटिहार तथा थाना बीहपुर रेलवे स्टेशनों के बीच चल रही थी कुछ डकैतों ने छुरे दिखा कर एक यात्री को धन तथा सामान देने को मजबूर कर दिया। इतना ही नहीं वे लोग डकैती कर के सामान ले गये और फिर उन्होंने थाना बीहपुर स्टेशन पर चाय भी पी। जब जी० आर० पी० को इस बारे में इंफर्मेशन दी गई, तो उन्होंने जवाब दिया कि स्टेशन में जी० आर० पी० को खबर दो। जब तक उन को खबर पहुंची, तब तक वे लोग गायब हो चुके थे। यह समाचार १६ सितम्बर के इंडियन नेशन में निकला था।

अब मैं आप के सामने इस प्रकार की वारदातों का और हवाला देना चाहता हूं।

समस्तीपुर का १६ सितम्बर का समाचार है कि सरकारी रेलवे पुलिस ने २ डाउन मेल ट्रेन की दुर्घटना के कारणों की जांच कर के निर्णय किया कि गाड़ी लटने के लिये रेल पटरी को तोड़ा गया था।

इसके बाद डकती की एक और घटना देखिये। १६ सितम्बर की कटिहार की खबर के अनुसार पूर्वोत्तर रेलवे के कटिहार–बरौनी भाग में कटिहार-बीहपुर स्टेशनों के बीच चलती मेलगाड़ी में शुक्रवार की रात्रि में सशस्त्र आदमी घुस आये और यात्रियों को लूटा।

इस सम्बन्ध में इंडियन नेशन के एक कमेंट में कहा गया था कि उत्तरी बिहार में रेलगाड़ियों में डकैतियां बढ़ती जा रही हैं। समस्या इतनी गम्भीर हो गई है कि हाल में ही कटिहार पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी का सूटकेस जिसमें १०००) रुपये थे गाड़ी से चोरी चला गया।

---

† मूल अंग्रेजी में

एक और घटना इस प्रकार है कि पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य कार्यालय में प्राप्त सूचना के अनुसार पूर्वोत्तर रेलवे के सावन-गोरखपुर भाग में भंटापार रानी स्टेशन पर १० अक्तूबर को लगभग एक हजार विद्यार्थियों ने १ अप लखनऊ जाने वाली गाड़ी पर पत्थर फेंके जिसमें एक रेलवे पदाधिकारी तथा एक बैरे को चोट आई ।"

कटिहार में प्राप्त सूचना के अनुसार बुधवार की रात्रि में थाना बीहपुर स्टेशन पर कटिहार जाने वाली मालगाड़ी के दो वैगन पटरी से उतर गये और ब्रेकवैन उलट गया ।

अब रेलवे में होने वाली चोरियों के बारे में एक समाचार देखिये । समस्तीपुर की २ नवम्बर की खबर है कि पूर्वोत्तर रेलवे पर चोरी तथा डकैतियों की घटनायें बढ़ रही हैं और रेलवे संरक्षण दल इनकी रोकथाम करने में असमर्थ है । समस्तीपुर उपखण्ड में ही २ लाख रुपये से अधिक की हानि हो चुकी है ।

एक समाचार में बताया गया है कि रेलवे पुलिस के लोग भी चोरी में शामिल होते हैं । समाचार में कहा गया है कि रेलवे पुलिस ने रेलवे संरक्षण दल के चार सदस्य, जिनमें से एक सब-इंस्पैक्टर है, को चलती गाड़ी में से चोरी करते हुए पकड़ा ।

फैजाबाद से प्राप्त एक और घटना का समाचार इस प्रकार है —मुगलसराय-लखनऊ यात्री गाड़ी को बिल्हारघाट स्टेशन से कुछ मील दूर रोक कर यात्रियों ने टिकट जांचने वाले विशेष कर्मचारियों को पत्थरों से मारा । पांच टिकट कलैक्टर तथा एक पुलिस का सिपाही फैजाबाद के अस्पताल में भर्ती है ।"

इन सब घटनाओं से आप को पता लगेगा कि रेलवे में यात्रा करने वाले लोगों का जीवन कितना असुरक्षित होता जा रहा है ।

दिक्कत यह है कि जब इस सम्बन्ध में हाउस में सवाल पूछा जाता है, तो जवाब में कहा जाता है कि यह मामला ला एंड आर्डर का है, और इसके लिये स्टेट्स रेस्पांसीबल हैं । यह ठीक है कि जिस स्टेट से रेलवे जाती है, वहां की गवर्नमेंट को देखना होगा कि रेलवे पर किसी तरह की वारदात न हो । लेकिन इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि रेलवे कनसर्न एक व्यापारिक संस्था है, हालांकि वह गवर्नमट के हाथ में है और वह एक मानोपली है, और लोगों के सामने सामान लाने ले जाने या स्वयं सफ़र करने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है । रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन को यह सोचना होगा कि क्या इन वारदातों की सारी ज़िम्मेदारी स्टेट्स पर डाल देना काफ़ी है और क्या उस को स्वयं कोई उपाय काम में नहीं लाना चाहिये । लास्ट सेशन में आनरेबल डिप्टी मिनिस्टर, श्री रामस्वामी, ने इन बातों को चैक करने के बारे में भेजे गये एक सर्कुलर के विषय में प्रश्न का उत्तर देते हुये कहा था कि —

"जहां तक मैं जानता हूं, ऐसा कोई सर्कुलर नहीं भेजा गया है । परन्तु अपराधियों को पकड़ने के लिये सभी संभव कार्य किये जा रहे हैं । यह मामला कानून तथा व्यवस्था का है इसलिये राज्य सरकारों से सम्बन्धित है ।"

---

†मूल अंग्रेजी में

इस पर स्पीकर साहब ने इन्टरवीन करते हुये कहा कि—

"चलती गाड़ी में कानून तथा व्यवस्था का मामला किस प्रकार हो सकता है।"

इस पर मिनिस्टर साहब ने जवाब देते हुय कहा कि—

"क्योंकि यह डकैत जंजीर खींच कर गाड़ी रोकते हैं और जंगलों में भाग जाते हैं जो राज्यों का क्षेत्र है।"

मैं रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन को क्रीटिसाइज़ नहीं करना चहता हूं। मैं तो केवल यह चाहता हूं कि रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट्स को मिलकर यह सोचना चाहिये कि किस तरह से इस प्रकार के वाकयात को रोका जाय। जब कोई दुकानदार या कोई व्यापारी व्यापार करता है, तो उसका सब से पहला फ़र्ज़ यह होता है कि उसके कारण उस के कस्टमर्ज़ के हितों को नुकसान न पहुंचे। रेलवे के मामले में ग्राहक पैसेंजर्ज़, कनसाइनर्ज़ और कनसाइनीज़ हैं। रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिये कि उन पर आंच न आये। जब किसी व्यापारिक संस्था के ग्राहकों को यह मालूम हो कि उस के साथ व्यवहार करने से व लूट लिये जायेंगे, उन को किसी प्रकार की हानि होगी या वे मर्डर कर दिये जायेंगे, तो जब तक वे बाध्य न हों तब तक नहीं आयेंगे। चूंकि रेलवे के अलावा दूसरा कोई रास्ता आने जाने का नहीं है इसालये जब तक वे बाध्य न हो जायें तब तक व वहां नहीं जायेंगे। अगर यह कम्पिटिटिव बिज़िनेस रहता और गवर्नमेंट के मैनेजमेंट में ऐसी बात होती तो लोग दूसरी जगह जा सकते थे या दूसरी सर्विस से फायदा उठा सकते थे। लेकिन अब तो कोई और चारा ही नहीं है। इसी रास्ते से उनको जाना आना होता है।

मैंने एक कम्पेरेटिव स्टेटमेंट मांगा था और पूछा था कि किस साल में कितनी मर्डर हुई, कितनी डकैतियां हुई, कितनी रौबरीस हुई। उसका तखमीना मेरे पास आया है। फारेन कंट्रीस में रेलों में ऐसी कितनी वारदातें हुई हैं, इसके आंकड़े तो मेरे पास नहीं हैं लेकिन जो आंकड़े सप्लाई किये गये हैं उनको देखने से पता चलता है कि रनिंग ट्रेन्स में १९५३ में ७ मर्डर्स और स्टेशन प्रेमिसिस में १५ मर्डर्स हुई। १९५४ में रनिंग ट्रेन्स में ८ मर्डर्स हुई और स्टेशंस पर १२ मर्डर्स हुई। १९५५ में ६ मर्डर्स हुई और स्टेशंस पर १७ मर्डर्स हुई। राबरीस रनिंग ट्रन्स में १९५३ में ४५ हुई, १९५४ में २७ हुई, १९५५ में ३४ हुई, १९५६ में ३५ हुई और १९५७ में ५९ हुई। डकैतियों की भी संख्या कम नहीं है, उनकी संख्या २७,००, २९०० और ३,००० तक पहुंच चुकी है। अब देखना यह है कि दिन-प्रति-दिन डकैतियों की जो संख्या बढ़ती जा रही है, उसका क्या कारण है। इसका नतीजा यह होता है कि लोगों में भय की भावना फैलती है और इसका उपाय करना बहुत आवश्यक है। मैं मानता हूं कि ला एंड आर्डर का जो सबजैक्ट है वह रेलवे मिनिस्ट्री के हाथ में नहीं है। लेकिन हमको देखना यह है कि हम क्या कर सकते हैं। मैं सजैस्ट करूंगा कि हमारे रेलवे मिनिस्टर साहब होम मिनिस्टर साहब के तत्वावधान में या प्राइम मिनिस्टर साहब के तत्वावधान में जितनी भी स्टेट्स हैं उनके चीफ़ मिनिस्टर्स को बुला कर या उनके जो ला एंड आर्डर के मिनिस्टर हैं उनको बुला कर और साथ ही रेलवे बोर्ड के मैम्बर्स को बुला कर, उनकी एक कान्फ्रेंस करें और कोई रास्ता निकालें कि कैसे ये वारदातें कम हो सकती हैं। गया में चलती ट्रेन में औरतों के डिब्बे में जंज़ीर खींच कर लोग घुस गये थे और जब दूसरे मुसाफिर आये तब वे लोग भागे। यह बात नहीं है कि पुरुषों के जो कम्पार्टमेंट्स हैं उनमें ही इस तरह की वारदातें होती हैं, जो लेडीस कम्पार्टमेंट्स हैं उनको भी अब खतरा पैदा हो गया है। पता नहीं कब चेन खींच कर कोई बदमाश, कोई चोर उनके डब्बे में जा घुसे, उनके

असबाब को छीनले या उनकी इज्जत पर हमला करे। ये सब दिक्कतें हैं, ये कैसे दूर हों, उसका कोई न कोई उपाय होना चाहिये। हमको कम्प्लेसेंट नहीं होना चाहिये।

रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम) : कुछ रास्ता बताइये।

पंडित द्वा० ना० तिवारी : रास्ता ही तो मैं बतला रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने तो अभी तक यह बताया है कि कान्फ्रेंस करें और रास्ता निकालें, रास्ता नहीं बताया है।

पंडित द्वा० ना० तिवारी : रास्ता भी आगे चल कर बताऊंगा, अभी मुझ और बोलना है।

आपके पास रेलवे प्रोटैक्शन फोर्स है और उसके सिपाही कभी कभी कुछ गाड़ियों के साथ चलते हैं। क्या उनका व्यवहार होता है, किस तरह से वे लोग अपना काम करते हैं, क्या उन पर सुपरविजन भी होता है या नहीं, इन सब चीजों की तरफ आपका ध्यान जाना चाहिय। मैंने देखा है कि जो दो चार प्रोटेक्शन के आदमी गाड़ी के साथ जाते हैं वे अपनी बन्दूकें ले कर गाड़ी में सो जाते हैं और अगर जागे होते हैं तो कोई वारदात हो जाती है तो जल्दी से नहीं निकलते हैं। मैंने देखा है कि दिन के वक्त ट्रेन का सिगनल पुलिंग हुआ, हमारे साथ सिपाही फर्स्ट क्लास में बैठा हुआ था, गार्ड इत्यादि इधर उधर दौड़ रहे थे लेकिन वह निलकने को रजामन्द नहीं हुआ। काफी देर के बाद वह निकला।

बात यह है कि जो रेलवे प्रोटैकशन फोर्स के लोग होते हैं व स्टेट्स से मंगनी पर आते हैं। स्टेट्स से उनको लिया जाता है और उनकी जो सर्विस होती है वह स्टेट्स के अन्दर ही रहती है। उनको कोई परवा नहीं होती है कि रेलवे अधिकारी उनसे नाराज हैं

श्री जगजीवन राम : आपका मतलब शायद प्रोटैकशन फोर्स से नहीं, जी आर० पी० से है।

पंडित द्वा० ना० तिवारी : जी० आर० पी० से ही सही। उनको यह परवा नहीं होती है कि कोई उनके काम से नाखुश है या कोई नाराज है। मैं चाहूंगा कि रेलवे ट्रेंस में जितनी भी पुलिस ट्रेवल करे, चाहे वह जी० आर० पी० की हो या रेलवे प्रोटैक्शन फोर्स हो, वे रेलवे के अंडर होनी चाहिये। अगर ऐसा हुआ तो जो वारदातें होती हैं, डकैती की या चोरी की या मर्डर की, उनकी इन्क्वायरी वे ठीक तरह से कर सकेंगे तथा रेलवे के हाई आफिशल्स उन पर सीधे कंट्रोल रख सकेंगे। आज कल होता यह है कि ये लोग एक दो या चार पांच बरस के लिये आते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। जब वे यह जानते हैं कि उनको वापिस चले जाना है तो वे अपनी रिसपांसिबिलिटी फील नहीं करते हैं। जब उनको यह भी मालूम होता है कि उनकी कोई तरक्की इत्यादि नहीं होने वाली है, तो उनके मन में जो कुछ आती है उसे वह करते हैं, जो इच्छा होती है करते हैं और जो इच्छा नहीं होती है नहीं करते हैं। मैं चाहता हूं कि उनके ऊपर जो सुपरविजन है वह कुछ और स्ट्रिक्ट होना चाहिये।

जो सिपाही ट्रेंस के साथ चलते हैं उनकी संख्या बहुत कम है। सब गाड़ियों के साथ वे जा भी नहीं सकते हैं। सब गाड़ियों की देखभाल वे नहीं कर सकते हैं। मैं मानता हूं कि यह समस्या बहुत बड़ी है। रेल सारे देश में फैली हुई हैं और हर स्थान

पर पुलिस नहीं रखी जा सकती है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स नहीं रखी जा सकती है। लेकिन आपको देखना होगा कि किन किन लाइंस पर ज्यादा केसिस होते हैं, किन किन एरियास में ज्यादा केस होते हैं, किन किन ट्रेन्स पर ज्यादा केस होते हैं और उनको मार्क करना होगा जब ऐसा हो जाए तो उन एरियाज के लिए हमको ज्यादा स्टाफ देना चाहिए, उन एरियाज की प्रोटेक्शन की तरफ हमारा ज्यादा ध्यान होना चाहिए। सब ट्रेंस में केसिस नहीं होते हैं, यह आपकी रिपोर्ट्स से ही पता चलता है। दिन में बहुत कम केसिस होते हैं। ज्यादातर केसिस रात में ही होते हैं। तो रात में प्रोटेक्शन देने की तरफ आपका ज्यादा ध्यान होना चाहिये।

रेलवे मंत्रालय कई सौ करोड़ रुपया सालाना खर्च कर रहा है। अगर एक दो करोड़ रुपया अधिक प्रोटेक्शन प्रदान करने पर खर्च किया जाए तो किसी को कोई एतराज नहीं होगा, कोई इसको महसूस नहीं करेगा। आप पैसेंजर्स से लेकर पैसा खर्च करते हैं। उनकी रक्षा के लिए एक दो या चार करोड़ रुपया अगर आप खर्च करना चाहें तो हाउस ग्रज नहीं करेगा और न ही देश के लोग मरमर करेंगे या कोई इसके खिलाफ आवाज उठायगें।

श्री जगजीवन राम : आपका मंशा क्या है ? क्या आप चाहते हैं कि हर एक डिब्बे में कांस्टेबल बिठाया जाय।

पंडित द्वा० ना० तिवारी : यह मैं नहीं कहता। अब तक का जो अनुभव हुआ है उससे मालूम हो गया होगा कि किन किन ट्रेंस में और किन किन सैक्शंस पर आया मेल ट्रेंस में या दूसरी ट्रेन्स में ये वारदातें होती है। अगर कोई कदम नहीं उठाये गये तो दूर जाने वाले या दूर नहीं जाने वाले पैसेंजर्स की सेफ्टी खतरे में पड़ जाएगी। हमें चाहिए कि खास तौर पर ज्यादा प्रोटेक्शन हम रात में दें। हम फोर्स बढ़ायें लेकिन यह न हो कि वे लोग गाड़ियों में सोयें या बैठे ही रहें। उनको स्टेशन स्टेशन पर उतर कर घूमना चाहिये जिस से जो बदमाश लोग हैं, जो गुंडे लोग हैं वे यह समझें कि इस ट्रेन में प्रोटेक्शन फोर्स है और यदि इस में कुछ हमने किया तो हम पर आंच आ सकती है, हम पकड़े जा सकते हैं। आपने देखा होगा कि एक जगह पर चार वारदातें हुई हैं। "गत सत्र में प्रश्न संख्या ९६५ के बारे में मैंने पूछा था कि पिछले दो वर्षों में एक स्थान पर ही चार घटनायें हुईं। मैं जानना चाहता हूं कि इन घटनाओं को रोकने के लिए क्या उपाय किये गए हैं।" तो आप जानते हैं कि किस एरिया में, कहां पर और किन किन गाड़ियों में ये केसिस अधिक होते हैं और उन एरियाज को आपको तरजीह देनी चाहिये। वहां पर हमको ज्यादा प्रोटक्शन देना चाहिये। अगर वारदातें बढ़ती जायेंगी तो आपको इनकी तादाद भी बढ़ानी होगी। मैं मानता हूं कि आप हर डिब्बे में सिपाही नहीं दे सकते हैं, हर ट्रेन में नहीं दे सकते हैं। लेकिन जो इम्पार्टेंट ट्रेंस हैं जो रात की ट्रेंस हैं, उनमें तो आपको देने ही चाहियें। इसलिए आपको संख्या बढ़ानी होगी और जरूरत हो तो नई रिक्रूटमेंट करनी होगी। सुपरविजन के लिए भी कुछ लोग रखने होंगे और देखना होगा कि काम ठीक से होता है या नहीं।

मैंने आपको बताया है कि प्रोटक्शन फोर्स के सिपाही ठीक से काम नहीं करते हैं, गाड़ी में सो जाते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि जो बदमाश लोग होते हैं, जो चोर डाक

होते हैं वे इनसे भय नहीं खाते हैं। जब बदमाश लोग जान जायेंगे कि इस गाड़ी में पुलिस है तो मेरा अनुमान है कि वारदातें कम होंगी। आजकल ज्यादा हिम्मत ये लोग उसी ट्रेन में करते हैं जिसके बारे में वे जानते हैं कि यह अनप्रोटैक्टिड जा रही है।

उपाध्यक्ष महोदय आज भारतीय रेलों में लाइफ इनसिक्योर है और यात्रियों के जान व माल के लिए सुरक्षा और प्रोटेक्शन की कोई समुचित व्यवस्था मौजूद नहीं है। मैं हर डिब्बे और हर ट्रेन में सुरक्षा के हेतु तमाम दिन आदमियों का बन्दोबस्त करने के लिए नहीं कहता क्योंकि रेलगाड़ियों में इस तरह की वारदातें दिन में होने का कम चांस रहता है। कहीं-कहीं दिन में भी इस तरह की वारदातें हो जाया करती हैं लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। ज्यादातर रात में ऐसे केसेज़ होते हैं और इसके साथ ही कुछ खास ऐरियाज भी होते हैं जहां कि यह केसेज़ अधिकतर होते हैं। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इस समस्या पर ज़रा ध्यानपूर्वक विचार करें। आप इसके लिए कान्फ्रेंस बुलायें और वहां पर विस्तार से इस समस्या के समाधान के हेतु विचार करें क्योंकि अपराधियों द्वारा जुर्म करने के रोज़ ब रोज़ नये-नये तरीके काम में लाये जाते हैं और उनको सफलतापूर्वक रोकने के लिए यह बहुत जरूरी हो जाता है कि हम भी समय-समय पर मंत्रणा करें और उनको बन्द करने के उपाय सोचें।

मैं मानता हूं कि इस विषय में आपकी जवाबदेही कम है लेकिन रेलवे के द्वारा ट्रेड होती है और इसलिए आपको यह देखना चाहिए कि जो आपके ग्राहक हैं हमारे जो कनसाइनीज हैं उनका माल और जीवन सुरक्षित रहे। हमारे यात्रियों की ट्रैविल सेफ हो सके।

†**श्री तंगामणि** (मदुरै) : मैं अपने से पूर्व वक्ता के इस कथन की पुष्टि करता हूं कि रेलवे मंत्रालय की यह जिम्मेदारी है कि वह यात्रियों और रेलवे कर्मचारियों की सुरक्षा की व्यवस्था करें। उन्होंने रेलों में चोरियों तथा डैकतियों के बहुत से उदाहरण दिए। मुझे याद है कि गत सत्र में १८ सितम्बर, १६५८ को तारांकित प्रश्न संख्या १३५८ का उत्तर देते हुए माननीय मंत्री महोदय ने बताया था कि इन दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए क्या कार्यवाहियां की गई हैं। यात्रियों की सुरक्षा के लिए पांच उपाय काम में लाये गये हैं। यात्री गाड़ियों के साथ रेलवे पुलिस चलती है ; सुरक्षा के साधन बढ़ा दिए गये हैं। ब्रेक वान में एक विशेष प्रकार की रोशनी लगाई गई है, गार्डों तथा टिकट चैकरों से यात्रियों का, विशेषतया महिलाओं का विशेष ध्यान रखने के लिए कहा गया है और औरतों के डिब्बे गाड़ियों के बीच में लगाने की व्यवस्था की गई है। माल की चोरियों के लिए हमको बताया गया है कि छापे मारे जायेंगे और रेलवे अधिनियम की धारा १२२ के अधीन अभियोग चलाये जायेंगे। जिले की पुलिस के सहयोग से सादे कपड़ों में चोरियों का पता लगाने के लिए आदमी नियुक्त किए गए हैं। मूल्यवान वस्तुओं के साथ सशस्त्र पुलिस चलेगी तथा विशेष प्रकार के ताले लगाये जायेंगे। यहां तक तो ठीक है लेकिन मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि इन उपायों के बताये जाने के पश्चात् दुर्घटनायें बढ़ ही गई हैं।

मैं इन दुर्घटनाओं को तीन चार वर्गों में विभाजित करता हूं। पहली प्रकार की यह दुर्घटनाएं हैं जो यात्रियों की सुरक्षा से सम्बन्धित हैं। उदाहरणत: मोकामा एक्सप्रेस के कलकत्ते

†मूल अंग्रेजी में

[श्री तंगामणि]

से ५० मील दूर जाने पर खतरे की जंजीर खींच कर गाड़ी को खड़ा कर लिया गया और तीसरे दर्जे का डिब्बा लूट लिया गया। लखनऊ, मुगलसराय यात्री गाड़ी पर पत्थर फेंके गये जिससे ७० यात्री हताहत हुए।

दूसरी प्रकार के अपराध विशेष समय पर तथा विशेष क्षेत्रों में होते हैं। उदाहरणतः मद्रास से चलने वाली तीन एक्प्रेस गाड़ियां वृद्धाचलम से रात को बारह बजे बाद गुजरती हैं और तिरुचिरापल्ली ३, ४ बजे रात्रि में पहुंचती है। यह समय चोरों के लिए सर्वोत्तम होता है। ऐसे क्षेत्रों पर रेलवे को विशेष प्रबन्ध करना चाहिए।

रेलवे कर्मचारियों की सुरक्षा का भी समुचित प्रबन्ध होना चाहिए। मद्रास में एक सहायक स्टेशन मास्टर को पर्याप्त सुरक्षा नहीं दी गई थी, जिसके बारे में मैंने सभा में प्रश्न उठाया था। कोडम्बकोणम स्टेशन के स्टेशन मास्टर को पांच छः आदमियों ने चाकू मार दिया। इन लोगों की सुरक्षा का पूरा प्रबन्ध होना चाहिये। में दो उदाहरण और देता हूँ। सैलम के निकट शंकरिदुर्ग स्टेशन पर एक टिकट कलैक्टर अपने कर्तव्य के प्रति पूर्णत जागरूक था। उसने एक स्थानीय प्रतिष्ठित व्यक्ति से टिकट मांगा और इसी अपराध के कारण भारतीय दंड संहिता के अधीन कर्मचारी पर मुकदमा चल रहा है। एक पुलिस पदाधिकारी को उसने पकड़ा और इसी अपराध से पुलिस ने उसका उत्पीड़न करना आरम्भ कर दिया है। इसीलिए सरकार को इन कर्मचारियों की सुरक्षा का समुचित प्रबंध करना चाहिए।

अरियानूर रेलवे दुर्घटना के जांच आयोग ने सिफारिश की थी कि ो वाचमैन होने चाहिएं। सरकार को इस सिफारिश को लागू कर देना चाहिए। शायद अक्टूबर में ही एक चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी के रेल से टकरा कर मर जाने की खबर मिली थी। मालूम नहीं वह मरा अथवा उसकी हत्या कर दी गई। दक्षिण रेलवे श्रम संघ ने भी यही मांग की है कि इस सिफारिश को लागू कर दिया जाय।

इसके अतिरिक्त एक यह कठिनाई है कि रात में रेलवे लाइन के आर पार लोग जाते हैं जो अवैध होता है। परन्तु यदि कोई प्रभावशाली व्यक्ति रेलवे लाइन को पार करना चाहता है तो वाचमैन की कठिनाई बढ़ जाती है। पोडानूर में ऐसी ही घटना हुई। दो वाचमैनों के एक आदमी को रोक लेने पर सवेरे ही सब इंस्पैक्टर ने उनको थाने बुलाया और पता लगा है कि दोनों के विरुद्ध सब मजिस्ट्रेट के न्यायालय में मुकदमा चल रहा है।

अब रेलवे डाक सेवा को लीजिए। रेलवे डाक सेवा के कर्मचारियों की बहुत दिनों से यह मांग है कि उनको अधिक सुविधाओं वाला डिब्बा दिया जाय। टुंडला में रेलवे डाक सेवा के तीन कर्मचारियों की हत्या कर दी गई थी जिसके बारे में आज तक पता नहीं लगा है कि डिब्बे में क्या खराबी थी जिसके कारण हत्यारा डिब्बे में घुस सका। मैं आशा करता हूं कि माननीय रेलवे मंत्री इस पर प्रकाश डालेंगे।

म यह भी बता देना आवश्यक समझता हूं कि रेलों में चोरियां स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् बढ़ी हैं और इसके बारे में मैं सुझाव देना चाहता हूं। पहले रेलवे सम्पत्ति की चोरी होने पर रेलवे कर्मचारी गवाही दबाने की कोशिश करते थे तथा जो ईमानदार कर्मचारी चोरियों में साथ नहीं देते थे उनका अदक्षता के आधार पर स्थानान्तरण कर दिया जाता था। अब सरकार द्वारा निगरानी विभाग खोल दिये जाने के कारण स्थिति कुछ भिन्न

प्रकार की हो गई है, परन्तु फिर भी कुछ कमियां है जिनको वरिष्ठ अधिकारी ही ठीक कर सकते हैं। एक रेलवे कर्मचारी का सुझाव है कि निगरानी निरीक्षक के स्थान पर एक पुलिस अधीक्षक लगाया जाना चाहिए तथा उसके अधीन तीन निरीक्षक, पांच सेवा निवृत स्टेशन मास्टर, तीन स्थायी इंस्पैक्टर, नौ सेवा निवृत पुलिस इंस्पैक्टर होने चाहियें। सेवा निवृत व्यक्ति इसलिए होने चाहिएं जिससे वह गजेड पदाधिकारियों से भी न डरें क्योंकि लौट कर सेवा में जाने का उनको कोई भय नहीं होगा। मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय इस पर विचार करेंगे।

रेलवे कर्मचारियों पर विश्वास भी करना चाहिये और उनका सहयोग प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिये। रेलवे प्रस्थापना संहिता के नियम १४८ का हाल में बहुत ज्यादा प्रयोग किया गया है और बहुत पुराने कर्मचारियों को बिना किसी जांच के बरखास्त कर दिया जाता है। उदाहरण के लिये ड्राइवर राजू, स्टेशन मास्टर त्यागराजन तथा स्टेशन मास्टर वैंकटरामन को बिना किसी जांच के पद्च्युत कर दिया गया। मैं यह बताना चाहता हूं कि कर्मचारी परिषदें बनाई जानी चाहियें जिनका सभी प्रकार के मामलों में परामर्श लिया जाये। इस प्रकार बहुत सी चोरियों का भी पता लग सकता है।

अन्त में, मैं यही कहना चाहता हूं कि गत सत्र में जो उपाय लागू करने के लिये कहा गया था उनको लागू किया जाये। जिन क्षेत्रों में चोरियां अधिक होती हों उन पर विशेष ध्यान रखा जाये। रेलवे कर्मचारियों की सुरक्षा का पूरा प्रबन्ध किया जाये। रेलवे डाक सेवा तथा डाक और तार विभाग में भी पूरा समन्वय किया जाये।

†**श्री बि० दास गुप्त** (पुरुलिया) : मैं सबसे पहले राज्य सभा के सदस्य श्री प्रफुल्ल चन्द्र भंजदेव के एक पत्र का सारांश यहां पर बताता हूं। यह पत्र ११ नवम्बर के अमृत बाजार पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। उन्होंने उसमें लिखा था कि "जब वह बनारस एक्सप्रेस से बनारस से हावड़ा जा रहे थे तब उनका १५० रुपये का माल चोरी हो गया। गाड़ी में खतरे की जंजीर भी काम नहीं कर रही थी। जसीदीह स्टेशन पर उन्होंने रेलवे पुलिस को रिपोर्ट करनी चाही। परन्तु बहुत समय तक थाने पर कोई नहीं आया। टिकट कलैक्टरों ने हमारी कोई कठिनाई दूर करने का प्रयत्न नहीं किया। सिपाहियों से पूछा गया तो पता लगा सब इंस्पैक्टर साहब सोये हुए हैं और उनको जगाया नहीं जा सकता है। इतने में गाड़ी चल दी और हम तीसरे दर्जे में चलती गाड़ी में चढ़े क्योंकि खतरे की जंजीर खींचने पर उसका कोई असर नहीं हुआ। अगले स्टेशन माधोपुर में बड़ी कठिनाई से पुलिस तक पहुंचा गया। उन्होंने मुझे एक सफेद कागज रिपोर्ट लिखने के लिये दिया तथा चोर ने जो थैला छोड़ा था उसको लेकर उसकी कोई रसीद मुझे नहीं दी।"

मैंने इस पत्र को इसलिये पढ़ा जिससे सबको पता लग जाये कि जिनके हाथ में सुरक्षा है वही इसकी ओर ध्यान नहीं देते हैं। मैं मानता हूं कि सारी रेलवे लाइन पर पहरा नहीं बिठाया जा सकता है। सारी गाड़ी में पुलीस नहीं रखी जा सकती है परन्तु रिपोर्ट लिखने के लिये पुलीस को जगाया तो जा सकता है। माननीय मंत्री कह सकते हैं कि रेलवे पुलीस राज्य सरकारों के अधीन होती है परन्तु रेलवे सुरक्षा बल भी तो है। परन्तु इनका काम भी मैंने देखा है। मालगाड़ी लूटी जा रही है और वह लोग राइफलें लिये खड़े-खड़े तमाशा देख रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि रेलवे मंत्री इस ओर

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री वि० दास गुप्त]

ध्यान देंगे और रेलवे पुलिस के अयोग्य अधिकारियों को ऐसा दण्ड दिलायेंगे जो अन्य पुलिस वालों के लिये आदर्श बन जाये।

[श्री बर्मन पीठासीन हुए]

ईमानदार कर्मचारियों की हालत बड़ी खराब है। इस समय मैं केवल एक उदाहरण देता हूं। दक्षिण पूर्वी रेलवे में भादरा जिले के भुरी जंक्शन पर एक टिकट क्लैक्टर ने एक बिना टिकट यात्री को पकड़ा वहां पर खड़े एक पुलिस के सिपाही ने उसको छोड़ देने के लिये कहा। टिकट कलैक्टर के मना करने पर सिपाही ने उसे इतना मारा कि उसे अस्पताल भेजना पड़ा। मैं ऐसे कितने ही उदाहरण बता सकता हूं जिनमें ईमानदार रेलवे कर्मचारियों को कष्ट उठाने पड़े। हमें इस सम्बन्ध में ठोस कदम उठाने चाहियें। अब तक ऐसा होता है कि हम माननीय मंत्री को कोई बात बताते हैं तो वह अधीनस्थ कर्मचारियों को भेज देते हैं और इस प्रकार मामला उन्हीं पदाधिकारियों के पास पहुंच जाता है जो ईमानदार कर्मचारियों के विरोधी होते हैं।

ऐसे स्टेशनों पर जो नगरों से दूर जंगलों में होते हैं वहां पर स्टेशन मास्टर तथा अन्य कर्मचारियों को रिवाल्वर आदि दिये जाने चाहिये जिससे वह लोग डाकुओं आदि से अपनी रक्षा कर सकें। रेलवे डाक सेवा के गाड़ियों में चलने वाले कर्मचारियों को भी रिवाल्वर दिये जाने चाहियें। सरकार को इन सभी मामलों के प्रति सतर्कता और सावधानी से काम लेना चाहिये। यदि सरकार ने आवश्यक कार्यवाही नहीं की तो हो सकता है कि भारत में भी पाकिस्तान और सूडान की सी हालत हो जाये।

†श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : मेरे से पहले वक्ताओं ने कानून तथा व्यवस्था की बड़ी भयोत्पादक तस्वीर खींची और एक माननीय सदस्य ने तो यहां तक कहा कि अन्य देशों की घटनायें यहां पर न दोहराई जाय। श्री द्वा० ना० तिवारी ने ठीक बातें कहीं हैं तथा प्रशासन का ध्यान चोरियों, डकैतियों तथा हत्याओं की ओर दिलाया है। परन्तु मैं एक प्रश्न पूछता हूं कि कानून तथा व्यवस्था की स्थिति अन्य क्षेत्रों में अधिक खराब है अथवा रेलवे में। सभा में एक बार माननीय गृह मंत्री ने बताया था कि हमारे देश में कानून तथा व्यवस्था की स्थिति विदेशों से बहुत अच्छी है; मैं तो कहूंगा कि रेलवे की व्यवस्था तो देश के अन्य क्षेत्रों से कहीं अच्छी है। यदि किसी संसद सदस्य की कुछ चीजें चोरी हो गईं तो इसका मतलब यह तो नहीं कि समस्त प्रशासन ही खराब है। यह आलोचना न्यायोचित नहीं हैं। मैं मानता हूं कि इसको रोकने के लिये कुछ ठोस उपाय किये जाने चाहियें और इसलिये कुछ सुझाव देता हूं।

सबसे पहला सुझाव है कि रेलवे पुलिस को रेलवे द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिये। रेलवे पुलिस पर दो प्रकार के शासन होने के कारण वह समुचित रूप से काम नहीं कर पाती है। दूसरे हाल में ही चलते फिरते थाने बनाये गये हैं जो जंगलों में स्थित स्टेशनों पर जाते हैं। मेरा सुझाव है कि ऐसे थाने और बनाये जाने चाहियें। तीसरे सभी रेलवे कर्मचारियों को राइफल चलाने का प्रशिक्षण-दिया जाना चाहिये। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री इस पर ध्यान देंगे। मैं बताना चाहता हूं कि हत्याओं, डकैतियों तथा चोरियों की ओर जितना अन्य सदस्यों का ध्यान है उतना ही मेरा ध्यान है। मैं मानता हूं कि समाज विरोधी व्यक्ति इस सब के लिये जिम्मेदार हैं परन्तु साथ ही मेरा यह कहना भी है कि रेलवे कर्मचारियों का भी इसमें हाथ रहता है। इसलिये कर्मचारियों को सामाजिक शिक्षा देने का भी विस्तृत कार्यक्रम बनाना चाहिये। मेरा शिक्षा में बहुत विश्वास रहा है तथा मैं समझता हूं कि जब पुलिस तथा अन्य किसी तरीके के द्वारा कोई मामला ठीक नहीं हो पाता है तब शिक्षा के द्वारा उसको ठीक किया जा सकता है।

†मूल अंग्रेजी में

†श्री प्र० चं० बोस (धनबाद) : इस मामले पर काफी चर्चा हो चुकी है। इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि रेलवे में इन बातों की कमी जरूर है। इस सुरक्षा बल से पहले वहां व्यवस्था कुछ और थी। रेलवे प्राधिकार को सब हालात की जानकारी है और वे भी इस पर विचार कर रहे हैं। मैं यह अनुभव करता हूं कि यह बात ठीक ही है कि समाज विरोधी तत्वों की वृद्धि हो रही है। मैं एक दो सुझाव प्रस्तुत करना चाहता हूं। रेलवे पर माल इत्यादि की सुरक्षा का उत्तरदायित्व भी इस सुरक्षा बल पर छोड़ देना चाहिये क्योंकि स्टेशनों पर माल की हिफाजत का कोई समुचित प्रबन्ध नहीं है। मैं यह भी स्वीकार करता हूं कि सुरक्षा बल के लिये प्रत्येक व्यक्ति की रक्षा करना असम्भव है परन्तु दरवाजे इत्यादि को बन्द करने की व्यवस्था तो की जा सकती है। मैंने इन बातों पर रेलवे कर्मचारियों से बातचीत भी की है। उन्होंने बताया था कि सामान बिना किसी हिफाजत के पड़ा रहता है। उसके आस पास तार इत्यादि का कोई घेरा भी नहीं पड़ा रहता। यदि कुछ गुम हो जाता है तो बेचारे क्लर्क की शामत आती है और गार्ड-इत्यादि को कोई पूछता ही नहीं। मेरे विचार में रेलवे पुलिस अथवा सुरक्षा बल को राज्य सरकारों के आधीन न रख कर यदि रेलवे प्रशासन के आधीन कर दिया जाय तो अच्छा रहेगा। इस प्रकार का आवश्यक परिवर्तन करने में कोई विशेष असुविधा नहीं होगी। इसके बिना काम चलेगा नहीं। समाज विरोधी तत्व वृद्धि पर है और हमें सचेत होना चाहिये।

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : सभापति महोदय, मैं प्रस्तावक तथा अन्य माननीय सदस्यों को जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया, धन्यवाद देता हूं। इसके द्वारा सदन का तथा सारे देश का ध्यान इस महत्वपूर्ण समस्या की ओर आकृष्ट हुआ है। यह सुरक्षा का प्रश्न है और डाका, चोरी इत्यादि की घटनाओं से सम्बन्धित है। इससे लोगों को काफी परेशानी होती है। मंत्रालय के स्तर पर भी इस प्रकार की घटनाओं से काफी परेशानी होती है। और लोगों से अधिक हमारा इससे सम्बन्ध है क्योंकि यह सब घटनायें चलती गाड़ियों में होती हैं। रेलवे मंत्रालय तथा रेलवे मंत्री इस ओर बड़ी गम्भीरता से आकृष्ट होते रहे हैं। हमने जहां तक सम्भव हो सका है राज्य सरकारों से भी इस मामले में सहयोग लेने का प्रयत्न किया है, ताकि जो भी अपराध हमारे नोटिस में आता है उसका समुचित इलाज किया जाय। जब भी कभी आवश्यक समझा गया समस्त रेलों के सुरक्षा अधिकारी विभिन्न राज्यों की पुलिस के महा निरीक्षकों से मिलते रहे हैं। मुख्य प्रबन्धक राज्यों के मुख्य मंत्रियों से भी मिल कर स्थिति का मुकाबला करने के सम्बन्ध में विचार करते रहे हैं।

हाल ही में इस मास की सात तारीख को माननीय रेलवे मंत्री महोदय राज्यों के मुख्य मंत्रियों से मिले और उन्होंने इस प्रश्न पर चर्चा की और इन घटनाओं की रोक थाम के लिये जो कुछ भी किया जा सकता है उस पर बातचीत की। मुझे सदन को यह बताते हुये प्रसन्नता है कि मुख्य मंत्रियों ने इस मामले में पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन दिया है।

एक बात मैं यहां कहे बिना नहीं रह सकता कि स्थिति को बहुत बढ़ा-चढ़ा कर बताया जा रहा है, और उसका बड़ा भयावह रूप प्रस्तुत किया जाता है। मुझे प्रसन्नता है कि इस मामले में श्री दी० चं० शर्मा ने मेरा काम काफी हलका कर दिया है। कुछ भी हो उन्होंने बड़े यथार्थ दृष्टिकोण से इस मामले पर विचार किया है।

†पंडित द्वा० ना० तिवारी : इसमें भयावह रूप देने का कोई प्रश्न नहीं हम तो केवल यह चाहते हैं कि सब मिल कर इस रोग का कोई हल निकालें। यदि ऐसा मेरे भाषण का उल्लेख करके कहा गया है तो मुझे खेद है कि माननीय मंत्री ने मेरी बात को ठीक से नहीं समझा है।

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री शाहनवाज खां :** मेरा निवेदन है कि जो कुछ रेलवे में होता है, उसको, जो कुछ देश में हो रहा है, उससे अलग नहीं किया जा सकता। अभी हाल ही में गृह-कार्य मंत्रालय का प्रतिवेदन प्रकाशित हुआ है। उसमें १९५५ की अपराध-स्थिति का मुकाबला १९५६ से किया गया है। उसमें कहा गया है,

"जाली सिक्के बनाने के अतिरिक्त सभी बड़े-बड़े अपराधों में वृद्धि हुई है। सम्पत्ति की चोरी और हत्याओं में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। और यह वृद्धि सारे देश में फैल गई है।"

यह है गृह कार्य मंत्रालय का प्रतिवेदन। १९५६ में सारे देश में १०,०२५ हत्यायें हुईं और उस वर्ष रेलवे में हुई हत्याओं की संख्या २९ है। अब आप मुकाबला करके देखिये। रेलवे प्रतिदिन ३८ लाख यात्रियों को ले जाती है, तो क्या यह स्थिति भयावह कही जा सकती है। फिर भी यदि कोई हत्या होती है तो हम बड़ी गम्भीरता से उसकी ओर ध्यान देते हैं और इस प्रकार की घटनाओं को कम करने के लिये जो कुछ अपने से हो पाता है करते हैं।

जिन माननीय सदस्यों ने भाषण दिये हैं उन्होंने सवारी गाड़ियों में होने वाले अपराधों का उल्लेख किया है। उन्होंने स्टेशनों पर खड़ी या चलती माल-गाड़ियों में होने वाली चोरियों इत्यादि का भी उल्लेख किया है और रेलवे कर्मचारियों की सुरक्षा की भी चर्चा की है। उन्होंने रेलवे पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल का भी उल्लेख किया है। रेलवे पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल के कार्यों के सम्बन्ध में भी कुछ भ्रम है। संविधान के अन्तर्गत वर्तमान व्यवस्था के अनुसार यात्री गाड़ियों तथा उनके माल असबाब की सुरक्षा का उत्तरदायित्व रेलवे पुलिस का है। उस पर राज्य सरकारों का नियन्त्रण है। इस रेलवे पुलिस के भी दो भाग हैं, एक भाग अपराधों के लिये है और दूसरा व्यवस्था बनाये रखना और यातायात का नियंत्रण करना है। अपराध वाले विभाग का काम अपराधों का पता लगाना और अभियुक्तों पर विभिन्न अदालतों में मुकदमा चला कर उन्हें सजा दिलवाना है। इसके लिये खर्चा राज्य सरकारें देती हैं। परन्तु व्यवस्था पुलिस के लिये हम वर्ष में ८० लाख रुपये या इससे कुछ अधिक देते हैं। इसके अतिरिक्त रेलवे सुरक्षा बल है। युद्ध काल में जब लूट, मार, डकैतियों और हत्याओं की काफी वृद्धि हो गयी थी, तो इसको रोकने के लिये रेलवे, सुरक्षा बल का संगठन किया गया था। उनका काम रेलों की रक्षा करना था। जब हमने रेलवे सुरक्षा बल का पुनःसंगठन किया तो मालगाड़ियों के साथ चल कर सुरक्षा का काम उन से ले लिया गया। परन्तु यात्रियों की गाड़ियों की रक्षा के लिये साथ जाने का काम रेलवे पुलिस के पास ही है और उस पर राज्य सरकारों का नियन्त्रण है।

जैसाकि बताया जा चुका है, रेलवे सुरक्षा बल का पुनर्गठन किया गया था ताकि वह अपने उत्तरदायित्व को प्रभावपूर्ण और योग्यता से निभा सके। उनका अधिकार क्षेत्र बड़ा सीमित है और इस बात पर सदन में चर्चा भी हो चुकी है। इन लोगों का मुख्य कार्य रेलवे के क्षेत्र में रेलवे की सम्पत्ति की रक्षा करना है।

†**श्री रघुबीर सहाय** (बदायूं) : हम यह जानना चाहते हैं कि क्या माननीय मंत्री महोदय रेलवे पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल के कार्य से संतुष्ट हैं ?

†**श्री शाहनवाज खां** : अभी तक तो हमारे समक्ष कोई गम्भीर कठिनाइयां प्रस्तुत नहीं हुईं, और आगे चल कर मैं यह भी बताऊंगा कि अपराधों की स्थिति इतनी भयावह नहीं कि आज की व्यवस्था में कोई आधारभूत परिवर्तन किया जाये। मैं सुरक्षा बल के सम्बन्ध में कह रहा था।

---

†मूल अंग्रेजी में

उनको रेलवे की सम्पत्ति इत्यादि की रक्षा करने के सम्बन्ध में सीमित अधिकार प्राप्त है। चोरी, डकैती इत्यादि के सम्बन्ध में गिरफ्तारी आदि करने के मामले में उन्हें अधिक अधिकार प्राप्त नहीं। इस बल को जांच इत्यादि के भी कोई अधिकार नहीं। यह राज्य की पुलिस के प्राधिकार के अन्तर्गत आता है। अतः इस रेलवे सुरक्षा बल को पुनः संगठित किया गया है और मुझे यह कहने में बिलकुल संकोच नहीं अब यह बहुत अच्छी प्रकार से प्रशासित सुरक्षा बल है। परन्तु जो कुछ माननीय सदस्य समझते हैं, उससे उनका काम थोड़ा भिन्न है। इससे पूर्व इसे वाच एंड वार्ड कहा जाता था। इस समय इसमें सारे भारत में लगभग ४३,००० लोग हैं, और इस पर ६ करोड़ के लगभग अर्थात् ५.६९ करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं।

मुझे सदन को यह बताते हुये काफी प्रसन्नता होता है कि रेलवे सम्पत्ति की चोरियों में काफी कमी हुई है। इस सम्बन्ध में बाद में आंकड़े भी प्रस्तुत करूंगा। मुआवजे के दावों के सम्बन्ध में भी स्थिति में काफी प्रगति हुई है। हो सकता है कि इस बल के किसी एक सदस्य ने किसी स्थान पर चोरों का साथ दिया हो। मैं इस बात से इन्कार नहीं करता। क्योंकि इन ४३,००० व्यक्तियों में से सभी सन्त नहीं हैं, जो कि कभी कोई भूल नहीं करते। ऐसी घटनायें होती रहती हैं। किस एक का चोरों से मिल कर रेलवे सम्पत्ति की चोरी करने का मामला ठीक हो सकता है। यह बहुत उत्तम प्रकार से प्रशासित संस्थाओं और बलों तक में सम्भव हो सकता है।

†**श्री राजेन्द्र सिंह** (छपरा): कर्मचारियों की बात तो जाने दीजिये, अधिकारी तक चोरों का साथ देते हैं।

†**श्री शाहनवाज खां**: यह नयी बात है। माननीय सदस्य प्रस्ताव पर नहीं बोले और यह बात शायद उन्हें कुछ देर से सूझी है।

ऐसा उदाहरण एक आध हो सकता है, परन्तु सामान्यतः मैं सदन को यह आश्वासन दे सकता हूं कि रेलव सुरक्षा बल अच्छा कार्य कर रहा है और दिन प्रतिदिन उसमें सुधार हो रहा है। हम यह प्रयत्न करेंगे कि जहां तक सम्भव हो सके उसमें अधिक से अधिक सुधार किया जाये।

एक माननीय सदस्य ने यह सुझाव दिया है कि रेलवे पुलिस को रेलवे को अपने नियन्त्रण में कर लेना चाहिये। यह माननीय सदस्यों का मुख्य सुझाव है, परन्तु इसके रास्ते में कुछ वैधानिक कठिनाइयां हैं। रेलवे में जो अपराध होते हैं उसका कारण उस क्षेत्र की अपराध स्थिति भी होती है। सभी जानते हैं कि गाड़ियों इत्यादि का तोड़ना केवल एक ही विशेष क्षेत्र में सामान्यतः होता है। हमने इन गिरोहों को इन इलाकों की पुलिस की सहायता से समाप्त करने की पूरी कोशिश की है। राज्यों की पुलिस की तो यह जिम्मेदारी है ही कि वह अपराधों की जांच करके अपराधियों को गिरफ्तार करे। अतः हम वर्तमान अवस्था में रेलवे पुलिस के उत्तरदायित्व को नहीं सम्भाल सकते। परन्तु रेलवे सुरक्षा बल प्रत्येक समय रेलवे पुलिस को पूरी सहायता देने को तैयार है। आवश्यकता होने पर वह इसकी पूरी सहायता ले सकती है। अभी मेरे एक मित्र एक चलती गाड़ी में डकैती का उल्लेख कर रहे थे। यह घटना मुगल सराय के पास भरथाना स्टेशन पर हुई थी। कुछ लोग डिब्बे में चढ़ गये और रास्ते में उन्होंने लोगों को लूटना आरम्भ कर दिया। वे अभी भाग ही रहे थे कि सुरक्षा बल वालों ने उन्हें मौके पर गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने ऐसे कई एक लोगों पर गोलियां भी चलाई जो कि डिब्बों को तोड़ रहे थे। मुझे इस बात का खेद है कि वर्तमान अवस्था में हम रेलवे पुलिस का उत्तरदायित्व नहीं ले सकते।

---

†मूल अंग्रेजी में

शायद पंडित तिवारी ने महिलाओं के साथ चलती गाड़ी में छेड़छाड़ की घटनाओं का जिक्र किया। कुछ ऐसी घटनायें हुई हैं, परन्तु अभी आगे चल कर आंकड़ों से मैं यह बताऊंगा कि इस प्रकार के मामले बहुत ही थोड़े हैं। और इसमें भयभीत होने वाली कोई बात ही नहीं। यात्रा करने वाली महिलाओं को खतरा तो होता है परन्तु यह खतरा ऐसा ही है जैसा कि स्कूल में जाने वाली किसी बालिका को भी है। मेरे मित्र श्री तंगामणि ने मेरे एक प्रश्न के उत्तर को पढ़ा, जिसका सम्बन्ध महिला यात्रियों के डिब्बों के लिये की गयी व्यवस्था से है, कि महिलाओं के डिब्बे मध्य में रखे जाते हैं, प्रत्येक स्टेशन पर उन डिब्बों की रेलवे गार्ड अथवा अन्य रेलवे कर्मचारियों द्वारा देखभाल की जाती है और दरवाजों की चटखनी आदि की जांच की जाती है।

उन्होंने यह भी कहा कि रेलवे पुलिस और सुरक्षा बल में लोगों की संख्या काफी नहीं है। इस सम्बन्ध में मैं आंकड़े प्रस्तुत कर चुका हूं। हम रेलवे पुलिस के लिये एक करोड़ से कुछ कम रुपये देते हैं और रेलवे सुरक्षा बल पर ६ करोड़ से कुछ कम व्यय करते हैं। मेरे विचार में रेलवे की आय के अनुसार इससे अधिक खर्च करने की गुजाइंश नहीं है। यदि हम संख्या तीन, चार गुणा भी कर दें तब भी प्रत्येक व्यक्ति की रक्षा करना असम्भव ही रहेगा। आप डिब्बे में बैठे प्रत्येक व्यक्ति की तलाशी तो ले नहीं सकते।

†**श्री प्र० चं० बोस** : कठिनाई तब होती है जब रेलवे पुलिस वाले, बड़े बड़े स्टेशनों पर रेलवे अधिकारियों से सहयोग नहीं करते। वे लोग राज्य सरकार के अधीन हैं और रेलवे अधिकारी उनके आदेशों का पालन नहीं करते।

†**श्री शाहनवाज खां** : हो सकता है कहीं उन्होंने सहयोग न किया हो, परन्तु फिर भी व्यवस्था बड़े सन्तोषजनक ढंग से चल रही है। इधर उधर की एक आध घटना के अतिरिक्त कोई गम्भीर बात सामने नहीं आई। श्री तंगामणि ने रेलवे डाक सेवा के कर्मचारियों की सुरक्षा की बात की है। रक्षा तो सब आदमियों की होनी ही चाहिए, परन्तु मैं अभी कुछ नहीं कहता क्योंकि मामला न्यायालय के विचाराधीन है। परन्तु उन्हें याद होगा कि अपने उत्तर में मैंने कहा था कि जिस डिब्बे में डाक कर्मचारी यात्रा कर रहे थे उसमें एक सुन्दर महिला भी थी। मालूम होता है कि वे सब जबरदस्ती उसमें नहीं चढ़े थे। खैर अभी मैं इस बारे में कुछ और नहीं कहना चाहता।

इससे पूर्व कि मैं अपना स्थान लूं मैं चलती गाड़ियों में हुई लूट और डकैती की घटनाओं के आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूं :

	१६५५	१६५६	१६५७	१६५८ (अगस्त तक)
पश्चिमी रेलवे	१६	३१	३७	१६
मध्य रेलवे	१०	११	७	२०
(१६५८ में एक दम मध्य रेलवे में संख्या बढ़ गयी।)				
उत्तर पूर्व रेलवे	१३	६	६	२
उत्तर रेलवे	७	१७	१५	१३
दक्षिण रेलवे	इन सभी वर्षों में कोई भी घटना नहीं हुई।			

†मूल अंग्रेजी में

इसी प्रकार अन्य रेलों में भी २, ४, ५ घटनायें हुई हैं, और जैसा कि मैंने कहा है कि स्थिति इतनी भयावह नहीं है जितनी की कही जाती है। और एक बात और भी कहता हूं कि इन वर्षों में यात्रियों की संख्या और माल की मात्रा में काफी वृद्धि हुई है।

महिलाओं पर बलात्कार का जहां तक सम्बन्ध है पश्चिमी रेलवे पर १९५५ से १९५८ तक, चार वर्षों में कुल चार मामले हुये हैं। मध्य रेलवे पर केवल एक घटना हुई है। उत्तर पूर्व रेलवे पर एक भी घटना नहीं हुई, उत्तर रेलवे पर सात घटनायें हुई हैं, दक्षिण रेलवे पर कोई नहीं, पूर्व रेलवे पर एक और दक्षिण पूर्व रेलवे पर दो घटनायें। सभी को मिलाकर कुल १५ घटनायें हुई हैं। मुझे विश्वास है कि सदन मुझ से सहमत होगा कि यह कोई डरा देने वाली स्थिति नहीं है।

मैं हत्याओं के आंकड़े भी देता हूं।

	१९५५	१९५६	१९५७	१९५८ (अगस्त तक)
उत्तर रेलवे	१४	१३	२३	१७
दक्षिण रेलवे	१	१	०	३
पूर्व रेलवे	८	०	५	२
मध्य रेलवे	७	१	८	४
पश्चिमी रेलवे	१०	१०	८	१०
दक्षिण पूर्व रेलवे	२	२	५	१
उत्तर पूर्व रेलवे	४	२	३	३

यह रेलवे पर हुई कुल हत्याओं की संख्या है।

माल की चोरी की घटनाओं में भी काफी कमी हुई है। मैं कुछ आंकड़े प्रस्तुत करता हूं।

आवागमन में माल की चोरी की घटनाओं की संख्या में काफी कमी हुई है।

चोरियों की संख्या

दक्षिण रेलवे

१९५५	६१७
१९५६	४७९
१९५७	४५३

पश्चिम रेलवे

१९५५	९२७
१९५६	७८४
१९५७	७७६

उत्तर-पूर्व रेलवे

१६५५	७०८
१६५६	५५६
१६५७	६२६

यहां १६५७ में कुछ वृद्धि अवश्य हुई है।

दक्षिण-पूर्व रेलवे

१६५५	२,८५७
१६५६	२,८६४
१६६७	१,८३३

उत्तर-पूर्व सीमा रेलवे का क्षेत्र

१६५५	२०७
१६५६	१७१
१६५७	१६५

मध्य रेलवे

१६५५	१४०२
१६५६	१०५७
१६५७	८६०

उत्तर रेलवे

१६५५	४६४
१६५६	५१६
१६५७	५८७

पूर्व रेलवे

१६५५	२,७८४
१६५६	२,१४६
१६५७	३,१४१

पूर्वी रेलवे पर अवस्था कुछ सन्तोषजनक नहीं है ; हम स्थिति का सुधार करने के लिए पूरा प्रयत्न कर रहे हैं।

जो दावे गत पांच वर्षों में रेलवे ने चुकाये हैं, उसके आंकड़े निम्नलिखित हैं :

वर्ष	रुपये
१६५३–५४	१,८६,२२,८०४
१६५४–५५	२,५५,४५,११६
१६५५–५६	२,५६,४८,२०४
१६५६–५७	३,३२,७६,४५५
१६५७–५८	३,०४,००,०००

इस प्रकार पता लगेगा कि १६५७–५८ में १६५६–५७ के मुकाबले में स्थिति में काफी सुधार हुआ है।

इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि अपराध होते हैं परन्तु स्थिति ऐसी नहीं की हम भयभीत हो उठें। अन्त में मैं अपने माननीय मित्र पंडित द्वा० ना० तिवारी का आभार मानता हूं कि उन्होंने सदन का ध्यान इतने महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर आकृष्ट करवाया।

†**श्री तंगामणि** : आपने रेलवे कर्मचारियों की सुरक्षा के प्रश्न के बारे में कुछ जिक्र नहीं किया।

†**श्री शाहनवाज खां** : कभी कभी कुछ रेलवे कर्मचारियों पर हमले हुये हैं, परन्तु यह मामले स्थानीय पुलिस द्वारा ही लिये जाने होते हैं। परन्तु जहां भी यह हुए हैं हमने पुलिस से जोरदार कार्यवाही करने को कहा। राज्य सरकार और पुलिस ने उसमें काफी सख्ती से काम लिया है। हाल ही में जो घटना सियालदा स्टेशन पर हुई जहां कि दो टी० टी० किसी पुलिस अफसर को चार्ज कर लेने पर गिरफ्तार कर लिये गये थे। इस मामले को सदन में भी उठाया गया था और कुछ माननीय सदस्यों ने इस में कुछ रुचि प्रकट की थी। हमने राज्य पुलिस के साथ इसकी छानबीन की है परन्तु मामला अदालत के समक्ष होने के कारण अधिक कुछ नहीं किया जा सका।

जिन मामलों में अपना कर्त्तव्य पालन करते हुए रेलवे कर्मचारियों की जानें गयी हैं, हम उनके परिवारों को सहायता देते हैं और उन परिवारों के आश्रितों को समुचित नौकरियां देने का यत्न किया जाता है। राज्य सरकारों पर अधिक जोर डालने के अतिरिक्त इस मामले में हम और अधिक कुछ नहीं कर सकते।

†**श्री तंगामणि** : कोडम्बाकम स्टेशन मास्टर का क्या हुआ ?

†**श्री जगजीवन राम** : वह मामला अदालत के समक्ष है।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या सुरक्षा बल द्वारा यात्री गाड़ियों के साथ चल कर लोगों की सुरक्षा की व्यवस्था करने में कोई वैधानिक बाधायें हैं ?

†**श्री शाहनवाज खां** : रेलवे पुलिस से यह काम लेने में बहुत सी व्यवहारिक कठिनाइयां हैं। जिन क्षेत्रों में सुरक्षा की स्थिति खराब है वहां बल द्वारा सुरक्षा की व्यवस्था की ही जाती है। अन्य स्टेशनों के बारे में भी कई बार ऐसा किया जाता है। जब किसी स्टेशन पर कोई डकैती होती है तो रेलवे सुरक्षा बल को वहां कर्मचारियों में विश्वास पैदा करने के लिए लगाया जाता है। वर्तमान व्यवस्था से अच्छी और अन्य व्यवस्था अभी हाल नहीं हो सकती।

†**श्री आचार** (मंगलौर) : हत्याओं के मामले में अपराधियों को सजायें हुई अथवा कुछ मामलों में हत्यारों का पता न लगने के कारण कोई कार्यवाही नहीं हुई ? मंत्री महोदय के पास इस सम्बन्ध में आंकड़े हैं ?

†**श्री शाहनवाज खां** : यह एक बहुत बड़ा काम है। मुकदमें चलाने का काम स्थानीय पुलिस करती है और हम यह आंकड़े एकत्रित नहीं करते। परन्तु ऐसे मामले होते ही हैं, जिनमें अपराधियों का पता नहीं चल पाता।

†**सभापति महोदय** : अब चर्चा समाप्त होती है।

(इसके पश्चात् लोक-सभा बुधवार, १९ नवम्बर, १९५८ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

[मंगलवार, १८ नवम्बर, १९५८]

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		
तारांकित प्रश्न संख्या		
३३	पेनसिलीन का प्रयोग	९९–१०१
३४	दिल्ली में बूचड़खाने	१०१-०२
३५	भारी वर्षा के कारण फसलों को हानि	१०२–०५
३७	निर्माण कार्य विशेषज्ञ	१०५-०६
३८	पश्चिमी बंगाल में सिंचाई के कच्चे कुएं	१०६-०७
३९	डाक्टरी पढ़ने वाले विद्यार्थी	१०८–१०
४०	रेलवे डाक सेवा डिब्बे में हत्या	११०-११
४१	दिल्ली में जल संभरण	१११–१४
४२	मछली उत्पादन	११४–१७
४३	डम डम हवाई अड्डे का विकास	११७-१८
४४	तुंगभद्रा उच्च स्तर नहर योजना	११८–२०
प्रश्नों के लिखित उत्तर		१२१–५२
तारांकित प्रश्न संख्या		
३६	विलिंग्डन अस्पताल में डाक्टरों की कमी	१२१
४५	भारतीय कृषि गवेषणा परिषद्	१२१
४६	बीज फार्म	१२१
४७	भारतीय कृषि गवेषणा संस्था	१२२
४८	कलकत्ता में जल संभरण तथा जल निस्सारण व्यवस्था	१२२
४९	द्विभाषी टेलीप्रिंटर	१२२
५०	टोकियो जाने वाला प्रतिनिधिमण्डल	१२३
५१	"भारत आइये वर्ष"	१२३
५२	भाखड़ा बांध परियोजना	१२३
५३	सम्बलपुर-टिटिलागढ़ रेलवे लाइन	१२४
५४	डाक तथा तार विभाग की हड़ताल के दौरान स्वैच्छिक सेवा करने वाले व्यक्तियों के लिये नौकरी	१२४
५५	भाखड़ा बांध	१२४-२५
५६	डाक तथा तार कर्मचारियों के लिये औषधालय	१२५

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

तारांकित

प्रश्न संख्या

५७ जापान से जहाजों की खरीद १२५
५८ ग्रौटोमेटिक टेलीफोन एक्सचेंज . १२६
५९ डाक तथा तार कर्मचारियों के लिये वर्दियां . १२६
६० रेलवे कर्मचारियों के बच्चों के लिये होस्टल . . . १२६–२७
६१ स्वच्छता तथा जन स्वास्थ्य की ग्रखिल भारतीय संस्था, कलकत्ता . १२७–२८
६२ ग्रंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना . १२८

ग्रतारांकित

प्रश्न संख्या

४० दिल्ली में सड़क दुर्घटनाग्रें . १२८
४१ विदेशी पर्यटकों से ग्रर्जित विदेशी मुद्रा १२८–२९
४२ हिमाचल प्रदेश में नहरें . . . १२९
४३ हिमाचल प्रदेश परिवहन विभाग . . १२९
४४ हिमाचल प्रदेश परिवहन विभाग . . १३०
४५ रेलवे का विद्युतिकरण . १३०
४६ नई लाइनें . . . १३०
४७ तपेदिक से पीड़ित डाक तथा तार कर्मचारी . . १३१
४८ मध्य प्रदेश में वन्य पशुग्रों का संरक्षण . . १३१
४९ द्वितीय बनिहाल सुरंग १३१–३२
५० रेलवे मंत्रालय में कर्मचारी . . . १३२
५१ तार उपकरण १३२
५२ वर्दवान स्टेशन से ग्रप रेलगाड़ियों में यात्री . . . १३३
५३ कोणार्क, चिलका ग्रौर पुरी में पयर्टकों का ग्रागमन . . १३३
५४ उड़ीसा में रेलवे लाइनें १३४
५५ उड़ीसा में किसानों को ऋण १३४–३५
५६ ग्रनुसूचित जातियों ग्रौर ग्रनुसूचित ग्रादिम जातियों के लिये रक्षित कोटा . . . १३५
५७ मुर्गीखाने . . . १३५–३६
५८ दिल्ली में ग्रायुर्वेदिक ग्रौषधालय . १३६
५९ भाखड़ा बांध . . १३६
६० वंशधारा परियोजना . . . १३६–३७
६१ चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स . १३७
६२ दावे . १३७
६३ तार ग्रौर टेलीफोन का सामान . १३८
६४ रेलवे दुर्घटनाग्रों की क्षतिपूर्ति १३८
६५ हिमाचल प्रदेश में वन सर्वेक्षण १३८
६६ हिमाचल प्रदेश में सड़कें १३९

	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)	
	अतारांकित	
	प्रश्न संख्या	
६७	हिमाचल प्रदेश में पशु प्रदर्शिनियां	१३९
६८	संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि	१३९-४०
६९	रेलवे में समयनिष्ठता सप्ताह	१४०
७०	बैजवाड़ा-गुंटूर सेक्शन को दोहरा करना	१४०-४१
७१	अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था	१४१
७२	पर्यटन विभाग	१४१
७३	पंजाब में खाद्यान्नों की वसूली	१४२
७४	खाद्यान्नों का आयात	१४२-४३
७५	उड़ीसा में कुष्ठ रोग	१४३
७६	सामुदायिक विकास तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्डों में गैर-सरकारी व्यक्ति	१४३
७७	भारतीय रेलों पर दुर्घटनाएं	१४३
७८	ट्राफियों का दिया जाना	१४४
७९	दिल्ली में जल संभरण	१४४
८०	केरल की जल विद्युत संभावना	१४४-४५
८१	भारत की रेडक्रास सोसाइटी	१४५-४६
८२	उत्तरी चावल क्षेत्र में दिल्ली का शामिल किया जाना	१४६
८३	अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था	१४६-४७
८४	साइकल रिक्शाओं के स्थान पर स्कूटर रिक्शाओं का चलाया जाना	१४७
८५	सोनपुर का पुल	१४७
८६	नयी व्यवस्था के अधीन ग्रेड १ के क्लर्कों को लाभ	१४८
८७	परिवहन तथा संचार मंत्रालय में कर्मचारी	१४८
८८	मनीपुर में चिकित्सा कर्मचारी	१४९
८९	यात्रा अभिकरण	१४९-५०
९०	वातानुकूलित गाड़ियों में यात्रा करने वाले यात्री	१५०
९१	रेलों में चोरियां और डाके	१५०-५१
९२	भारिक (पोर्टर)	१५१-५२
	. . . . .	१५२-५३
	सभा-पटल पर रखे गये पत्र	

निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखे गये —

(१) अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था अधिनियम, १९५६ की धारा १९ के अन्तर्गत अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था को वर्ष १९५७–५८ (१ अगस्त, १९५७ से ३१ मार्च, १९५८ तक) के दूसरे वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति।

सभा पटल पर रखे गये पत्र--(क्रमशः) **विषय** **पृष्ठ**

(२) दिल्ली विकास अधिनियम, १६५७ की धारा ५८ के अन्तर्गत दिल्ली विकास प्राधिकार नियम, १६५८ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक २६ जुलाई, १६५८ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ६३२ की एक प्रति।

(३) दिल्ली सड़क परिवहन प्राधिकार के वर्ष १६५५-५६ के प्रशासन प्रतिवेदन की एक प्रति।

(४) मोटर गाड़ी अधिनियम, १६३६ की धारा १३३ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिल्ली मोटर गाड़ी नियम, १६४० में कुछ संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) दिल्ली गजट में प्रकाशित दिनांक ३ सितम्बर, १६५८ की अधिसूचना संख्या १२/१३०/५६-एम० टी०/होम।

(दो) दिल्ली गजट में प्रकाशित दिनांक ३ सितम्बर, १६५८ की अधिसूचना संख्या १२/१५४/५६-एम० टी०/होम।

(५) कसाई घरों और मांस का निरीक्षण करने के तरीकों के बारे में तदर्थ समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति।

प्राक्कलन समिति का प्रतिवेदन—उपस्थापित १५३

उनतीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया।

मंत्री द्वारा वक्तव्य १५३

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) अंशदायी योजना के बारे में १८ सितम्बर, १६५८ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १३६० पर श्री तंगामणि के एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर को शुद्ध करने के लिये एक वक्तव्य दिया।

कार्य-मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन—स्वीकृत १५३

इकतीसवां प्रतिवेदन स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित १५४-५८

चाय (सीमा शुल्क तथा उत्पादन-शुल्क की दरों में परिवर्तन) विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा समाप्त हुई। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खण्डवार विचार के बाद विधेयक पारित हुआ।

संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श) विनियमों में रूपभेद के बारे में प्रस्ताव १५८-७७

संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श) विनियम, १६५८, में रूपभेद संबंधी प्रस्तावों पर, जो २७ सितम्बर, १६५८ को प्रस्तुत किये गये थे, अग्रेतर चर्चा

विषय पृष्ठ

संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श) विनियमों में रूपभेद के बारे में प्रस्ताव—(क्रमशः)

आरम्भ हुई। गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) ने वादविवाद का उत्तर दिया।

श्री ब्रजराज सिंह द्वारा प्रस्तुत किया गया निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत हुआ :—

"कि यह सभा संकल्प करती है कि संविधान के अनुच्छेद ३२० के खण्ड (५) के अनुसरण में संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श) विनियम, १९५८, के, जो ११ सितम्बर, १९५८ को सभा-पटल पर रखे गये थे, विनियम संख्या १ में निम्नलिखित संशोधन किया जाये, अर्थात्:—

"**consultation** (परामर्श)" शब्द के पहले "**exemption from** (से मुक्ति)" शब्द रखे जायें।

दो प्रस्ताव, एक श्री ब्रजराज सिंह द्वारा प्रस्तुत किया गया और दूसरा श्री हरिश्चन्द्र माथुर द्वारा प्रस्तुत किया गया, अस्वीकृत हुये। अन्य प्रस्ताव सभा की अनुमति से वापस लिये गये और चर्चा समाप्त हुई।

एक सदस्य को सजा १७७

अध्यक्ष ने लोक-सभा को सूचित किया कि संसद् सदस्य, श्री बाला साहेब पाटिल को बम्बई पुलिस अधिनियम, १९५१ की धारा १३५ (३), १४९ और ३७(३) के अधीन ८—११—५७ को बेलगांव सिटी में सजा दिये जाने के बारे में उन्हें १५—११—५८ का एक संचार प्राप्त हुआ है।

रेल यात्रा में जीवन की असुरक्षा के बारे में चर्चा १७८—९३

रेल यात्रा में जीवन की असुरक्षा के बारे में अग्रेत्तर चर्चा आरम्भ हुई। रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) ने वादविवाद का उत्तर दिया और चर्चा समाप्त हुई।

बुधवार, १९ नवम्बर, १९५८ के लिये कार्यावलि—

विष (संशोधन) विधेयक, १९५८ पर विचार तथा इसका पारित किया जाना और भारतीय विद्युत् (संशोधन) विधेयक, १९५८ को संयुक्त समिति को सौंपने के प्रस्ताव पर विचार।